

भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

31 मार्च 1991 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
1992 की संख्या 3

संघ सरकार
(दिल्ली प्रशासन)

विषय सूची

	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्रस्तावनात्मक टिप्पणी		(vi)
विहंगावलोकन		(vii)
अध्याय-I		
संगठन	1	1
अध्याय-II		
दिल्ली प्रशासन के लेखे	2	3
अध्याय-III		
दिल्ली प्रशासन के सिविल विभाग		
पुलिस आयुक्त		
दिल्ली पुलिस	3	17
विकास आयुक्त		
परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण से पूर्व दोषपूर्ण योजना बनाना	4	28
पर्यवेक्षीय नियंत्रण के अभाव में सार्वजनिक निधियों का दुर्विनियोजन	5	30
कीटनाशी लाइसेंसों का नवीनीकरण न किया जाना	6	31
योजना का घटिया नियोजन एवं कार्यान्वयन	7	32
स्लज आपूर्ति योजना	8	34
बेकार उपकरण तथा कार्यान्वित न की गई योजनाएं	9	38
गांव पंचायतों से ऋण तथा ब्याज की वसूली न होना	10	38

दिल्ली उपायुक्त

सरकारी धन का दुर्विनियोजन	11	39
---------------------------	----	----

सिविल रक्षा तथा होम गार्ड निदेशालय

ब्लैक आऊट नियंत्रण पर अपव्यय	12	40
------------------------------	----	----

शिक्षा निदेशालय

निधियों का समय से पूर्व जारी किया जाना	13	42
--	----	----

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय

विद्यालय स्वास्थ्य योजना	14	43
--------------------------	----	----

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग

नजफगढ़ नाले की क्षमता बढ़ाना	15	46
------------------------------	----	----

दस वर्षों से भी अधिक समय से निर्माणाधीन साइफन	16	50
---	----	----

दोषपूर्ण ठेका प्रबंध	17	51
----------------------	----	----

भूमि तथा भवन विभाग

भूमिहीन श्रमिकों की भलाई के लिए रखी गई निधियों का उपयोग	18	53
---	----	----

समाज कल्याण निदेशालय

स्टाफ को अल्पपोषित बच्चों के लिए दिए गए अनुदान का विपथन	19	55
---	----	----

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय

आवासीय स्थानों के आबंटन में विलम्ब	20	55
ग्रामीण विकास के लिए निधियां	21	57

अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण निदेशालय

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की योजना के प्रशासन में असफल प्रबंध	22	57
---	----	----

लोक निर्माण विभाग

अग्रिमों का असमायोजन	23	59
एक ठेकेदार से राशियों की गैर वसूली तथा विलम्ब	24	61
निविदाओं को अंतिम रूप देने में विलम्ब	25	61

सामान्य

बट्टे खाते डाली गई/छोड़ी गई हानियां तथा अवसूली योग्य राशियां तथा किए गए अनुग्रही भुगतान	26	63
---	----	----

अध्याय-IV

दिल्ली विकास प्राधिकरण

लेखे	27	64
------	----	----

रोहिणी कॉम्प्लैक्स का विकास	28	66
सिरीफोर्ट पर एशियाई खेल गांव कॉम्प्लैक्स का निर्माण	29	70
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को मूल्य वरीयता	30	72
लाइसेंस शुल्क तथा भू किराये की वसूली न होना	31	73
अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, दि वि प्रा के अस्थाई कार्यालयों पर अनियमित व्यय	32	76
बिना योजना के निर्माण कार्य दिया जाना	33	76
लॉटरी निधियों का दुर्विनियोजन	34	77
अत्यधिक व्यय	35	79
दोषपूर्ण योजना के कारण अधिक व्यय	36	80
दोषपूर्ण ठेका प्रबंध तथा मध्यस्थता	37	81

अध्याय-V

दिल्ली प्रशासन के राजस्व विभाग

राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	38	84
कर राजस्व के संग्रहण की लागत	39	85

बिक्री कर

पंजीकृत व्यापारियों की संख्या	40	87
वसूली की प्रक्रिया में बिक्री कर मांगें	41	88
लम्बित वसूली प्रमाण पत्र	42	90
गबन तथा घोस्राघड़ी	43	91
उठाई गई तथा लम्बित बिक्री कर की मांगें	44	92
लेखापरीक्षा की जांच के लिए निर्धारण फाइलों का अप्रस्तुतीकरण	45	93
प्रतिप्रेषित मामलों का निपटान	46	94

असत्य/अवैध घोषणाओं अथवा घोषणाओं में अंतर्वेशनों का पता न लग सकने के कारण		
कम उद्ग्रहण	47	102
बिक्री छुपाने का पता न लगाए जाने के कारण		
कर का कम उद्ग्रहण	48	112
ब्याज का अनुद्ग्रहण	49	117
कर से अनियमित छूट प्रदान करना	50	121
शास्ति की वसूली न होना	51	124
सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर निर्धारण में गलती	52	126
पंजीकरण प्रमाणपत्र में अनियमित प्राधिकार देने के कारण हानि	53	127
कर योग्य टर्नओवर की कटौती का किया जाना	54	128
कर की गलत दर के लागू होने के कारण कम वसूली	55	129

परिवहन तथा पर्यटन निदेशालय

15 वर्षों के बाद पंजीकरण के नवीकरण में विलम्ब के कारण राजस्व में हानि	56	129
परमिट शुल्क के गलत नियतन के कारण राजस्व की हानि	57	130

परिशिष्ट

I वर्ष 1985-90 के दौरान (प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को) पंजीकृत मामलों का निपटान		132
II महिलाओं के प्रति अपराध		133
III बट्टे खाते डाली गई/छोड़ी गई तथा अनुग्रही भुगतानों की न वसूली योग्य राशियां तथा हानियां		135
अनुबंध-क		136

प्रस्तावनात्मक टिप्पणी

31 मार्च 1991 को समाप्त हुए वर्ष का यह लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संविधान की धारा 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। यह मुख्यतः दिल्ली प्रशासन के विभागों तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के वित्तीय लेन देनों की नमूना जांच से उद्भूत होने वाले मामलों से संबंधित है।

2. इस प्रतिवेदन में 3 पुनरीक्षणों सहित 57 पैराग्राफ निहित हैं।

3. इस प्रतिवेदन में उल्लिखित वे मामले हैं जो वर्ष 1990-91 और 1991-92 के शुरु के भाग के दौरान लेखापरीक्षा के समय ध्यान में आए तथा साथ साथ वे मामले भी हैं जो पूर्व वर्षों में ध्यान में आए थे लेकिन पिछले प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके। 1990-91 के बाद की अवधि से संबंधित मामले भी, जहां कहीं आवश्यक समझे गए हैं, शामिल किए गए हैं।

विहंगावलोकन

इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दिल्ली प्रशासन तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के संबंध में प्रकाश में आए कुछ मुद्दे नीचे दिए गए हैं:-

I. लेखे

वर्ष 1990-91 के दौरान दिल्ली प्रशासन का व्यय 1,659 करोड़ रुपये (अनुदान संख्या 90) तथा उसकी प्राप्तियां 1,025 करोड़ रुपये थी। कर राजस्व प्राप्तियों का 97 प्रतिशत था। की गई सेवाओं के लिए कर राजस्व या शुल्क थोड़ा था। 254 करोड़ रुपये राशि के सहायक अनुदान तथा 353 करोड़ रुपये राशि के ऋण अधिकांशतः दिल्ली नगर निगम तथा कुछ नई दिल्ली नगर पालिका, दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली छावनी बोर्ड को दिए गए थे।

(पैराग्राफ 2)

II. दिल्ली पुलिस

पुलिस द्वारा पंजीकृत मामलों में सजा तथा रिहाइयों की प्रतिशतता ने कमी की प्रवृत्ति को दर्शाया। लंबित जांचों की प्रतिशतता बढ़ गई थी जिससे जनता में भ्रष्टाचार तथा परेशानी में वृद्धि होने का खतरा रहता है। महिलाओं के प्रति दर्ज अपराधों की संख्या में 1985 से उनके लिपिबद्ध दर्ज करने के बाद 1989 तक वृद्धि दर्शाई तथा 1990 में वृद्धि का बराबर होना प्रतीत हुआ।

यद्यपि, सिपाहियों ने पूरा प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया था फिर भी उनको निर्धारित प्रशिक्षण को पूरा पाठ्यक्रम प्राप्त करने के प्रमाणपत्र जारी किए गए थे। दिए गए शस्त्र प्रशिक्षण का उसकी सीमा, संबद्धता तथा वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने के विषय पर मूल्यांकन नहीं किया गया था।

1987-91 वर्षों के दौरान प्राइवेट वाहनों को किराए पर लेने पर 4.82 करोड़ रुपये का व्यय किया गया था लेकिन लॉग बुक अनुरक्षित नहीं की गई थी। खराब हुए वाहनों को ड्यूटी स्लिपों में "प्रयोग" के रूप में दर्शाया गया था।

अपहरण विरोधी उपायों; हवाई पत्तन की दृष्टि परिमिती सुरक्षा की लागत के प्रति विभिन्न सरकारी विभागों तथा अन्य संस्थानों से 13.83 करोड़ रुपये की वसूली नहीं की गई थी।

अपराध अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत करने तथा एन सी आर बी की कम्प्यूटर पद्धति के साथ संयोजन के लिए 1987 में 55.68 लाख रुपये का एक कम्प्यूटर खरीदा गया था। योग्यता की कमी के कारण संयोजन अभी भी किया जाना है।

(पैराग्राफ 3)

III योजना का घटिया नियोजन तथा कार्यान्वयन

कृषिय, रासायनिक तथा जहरीली खरपतवारों द्वारा प्रदूषण रोकने की योजना के अंतर्गत केवल खरपतवारों को नष्ट करने तथा सब्जी नमूनों की जांच करने की योजना ही आरंभ की गई थी। कीटनाशकों का गुणवत्ता नियंत्रण तथा कीड़ों और बीमारियों पर निगरानी रखने की योजना आरंभ नहीं की गई थी। आबंटित किए गए 58.03 लाख रुपयों में से 9.01 लाख रुपये 1984-91 वर्षों के दौरान खर्च किए गए थे। कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था। अनुमान केवल अवलोकन के आधार पर लगाया गया था। 1.16 लाख रुपये की जहरीली खरपतवार नाशकों के खरीदे गए 1200 लिटरों में से केवल 135 लीटरों का ही उपयोग किया गया था।

(पैराग्राफ 7)

IV स्लज आपूर्ति योजना

स्लज निपटान के लिए "न लाभ न हानि" योजना के अंतर्गत 1984-85 तथा 1990-91 के बीच 60.47 लाख रुपये की हानि उठाई गई थी। स्लज का विक्रय मूल्य कुल खरीदे मूल्य, वितरण लागत तथा अन्य नियत प्रभारों से कम था। स्लज आपूर्त करने में 1 से 6 माह का विलम्ब हुआ था। 36 से 55 प्रतिशत सुपर्दगियों का सरकारी विभागों को तथा शेष किसानों तथा किचन गार्डन स्वामियों का, की गई विभाग द्वारा स्लज सुपर्दगी के लिए 18 ट्रकों के स्वामित्व में से केवल 11 का ही उपयोग किया गया था।

(पैराग्राफ 8)

V सरकारी धन का दुर्विनियोजन

उपायुक्त के कार्यालय में 1984 के दंगापीड़ितों, पंजाब से आए विस्थापितों तथा प्राकृतिक आपदाओं में हानि उठाने वालों को राहत देने के लिए रखे गए 34.14 लाख रुपयों का कैशियर द्वारा दुर्विनियोजन किया गया था। आहरण एवं संवितरण अधिकारी की पर्यवेक्षण की कमी, रोकड़ बही में दर्शाए गए रोकड़ शेष का सत्यापन न होने तथा दैनिक संवितरण के लिए अपेक्षा से अधिक रोकड़ रखने से गबन करने की सहायता मिली।

(पैराग्राफ 11)

VI ब्लैक आऊट के नियंत्रण पर किया गया निरर्थक व्यय

दिल्ली में सिविल रक्षा उपाय के रूप में ब्लैक आऊट नियंत्रण उपलब्ध कराने के लिए योजना का अप्रभावकारी कार्यान्वयन समन्वयन तथा उद्देश्यपूर्ण नियोजन की कमी के परिणामस्वरूप 16 वर्षों के बाद तक भी ब्लैकआऊट नियंत्रण सुविधा प्राप्त हुए बिना मार्च 1974 तथा फरवरी 1984 के बीच 19.53 लाख रुपये का व्यय किया गया।

(पैराग्राफ 12)

VII निधियों का असामयिक निर्मुक्त किया जाना

दिल्ली प्रशासन ने 22 एकड़ भूमि पर 495 लाख रुपये की लागत पर दिल्ली शहर संग्रहालय के निर्माण के लिए मार्च 1989 के अंतिम दिन साहित्य कला परिषद को 98.53 लाख रुपये निर्मुक्त किए। जिसने उसी दिन लोक निर्माण विभाग को संग्रहालय के निर्माण को जमा निर्माण कार्य के रूप में लेने के लिए समस्त राशि अदा कर दी। 18 महीनों से अधिक जून 1991 तक केवल 2.11 लाख रुपये का व्यय किया गया था। अपेक्षा से बहुत पहले निधियों का जारी किया जाना वित्तीय नियमों का उल्लंघन करना था।

(पैराग्राफ 13)

VIII विद्यालय स्वास्थ्य योजना

1980 में प्रारंभ की गई प्रतिरक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, पर्यावरणीय स्वास्थ्य विज्ञान तथा स्वच्छता, प्रतिकारीय सेवाओं आदि के लिए विस्तृत स्वास्थ्य देखभाल योजना के अंतर्गत 1985 तक 100 क्लिनिकों में 5 लाख स्कूली बच्चे सम्मिलित किए जाने थे। यद्यपि, 1984-85 में 64 क्लिनिकों में 3.42 लाख स्कूली बच्चे सम्मिलित किए गए थे, 1990-91 तक सम्मिलित किए गए बच्चों की संख्या कम होकर केवल 0.78 लाख तक रह गई थी। 1985-86 तथा 1990-91 के बीच 7.42 करोड़ रुपये खर्च किए गए लेकिन उपलब्धि 3.20 लाख के वार्षिक लक्ष्य के प्रति 0.53 लाख से 1.91 लाख के मध्य थी।

(पैराग्राफ 14)

IX नजफगढ़ नाले की क्षमता को बढ़ाना

18.02 करोड़ रुपये की लागत पर नजफगढ़ नाले की क्षमता को बढ़ाने का निर्माण कार्य मई 1984 तक पूर्ण किया जाना था। लेकिन मार्च 1991 तक 38.51 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके थे तथा निर्माण कार्य अभी पूर्ण किया जाना है।

नाले का भागों में तथा दो वर्षों के मध्यान्तर के बाद चरणों में नाले को गादरहित करने के परिणामस्वरूप 62.11 लाख रुपये का निष्फल व्यय हुआ। निर्माण कार्य को छोड़ देने तथा ठेकों के निरसन के कारण ठेकेदारों से 3 से 8 वर्षों के बीतने के बाद तक 28.35 लाख रुपये की वसूली नहीं की गई थी।

एक ठेकेदार को किए गए 2.28 लाख रुपये अधिक भुगतान को निर्माण कार्य की समाप्ति के 8 वर्षों के बाद तक वसूल नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ 15)

X दस वर्षों से अधिक समय से साइफन का निर्माणाधीन होना

अक्टूबर 1983 तक 17.88 लाख रुपये की लागत पर पूर्ण किए जाने के लिए नियत नाले के ऊपर एक साइफन को जोड़ों में अत्यधिक रिसाव के कारण अगस्त 1991 तक 31.75 लाख रुपये का व्यय करने के बाद तक, पूर्ण नहीं किया गया था तथा 31.75 लाख रुपये का निष्फल व्यय हुआ था।

(पैराग्राफ 16)

XI दोषपूर्ण ठेका प्रबंध

लो नि वि तथा सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग में 98 मामलों में, क्षतिपूर्ति वसूल करने के लिए नोटिस जारी करने में विलम्ब, किए गए अग्रहाय भुगतानों, ठेकों का गैर कानूनी निरस्तीकरण, ठेकों में न दिए गए निम्नाण कार्य के लिए भुगतान तथा ठेकों में लिए गए अधिक समय के कारण ठेकों के अकुशल तथा अनुप्रयुक्त संचालन से 158.64 लाख रुपये की परिहार्य हानि हुई।

(पैराग्राफ 17)

XII भूमि हीन श्रमिकों के लाभ के लिए रखी गई निधियों का उपयोग

दिल्ली प्रशासन से प्राप्त 70 लाख रुपये के ऋण का दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि वि प्रा) द्वारा भूमिहीन श्रमिकों के लिए 15,000 आवासीय इकाईयों के निम्नाण के लिए उपयोग किया गया था लेकिन भूमिहीन श्रमिकों को मकान आबंटित नहीं किए गए थे। मकानों में बिजली का कनेक्शन देने के लिए मार्च 1988 में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को देय 100 लाख रुपये भी दिल्ली प्रशासन के पास पड़े थे।

(पैराग्राफ 18)

XIII ग्रामीण विकास के लिए निधियां

गोबिन्द वल्लभ पंत पोलिटेक्नीक में 1984 में आरंभ ग्रामीण विकास में वैज्ञानिक तथा तकनीकी निवेश प्रदान करने के लिए बनाई "भारत में सामुदायिक पोलिटेक्नीक"को 7 लाख रुपये दिए गए थे जिसमें से अगस्त 1991 तक केवल 0.40 लाख रुपये का व्यय किया गया था।

(पैराग्राफ 21)

XIV निविदाओं को अंतिम रूप देने में विलम्ब

लोक निर्माण विभाग द्वारा दिल्ली मथुरा रोड़ को चौड़ा करने का निर्माण कार्य निविदाओं के प्रथम आमत्रण पर निम्नतम तकनीकी रूप से स्वीकार्य निविदाकर्ता को सौंपने में असफल रहने के परिणामस्वरूप 16.54 लाख रुपये का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 25)

दिल्ली विकास प्राधिकरण

XV लेखे

दि वि प्रा अपने द्वारा अनुरक्षित 8 लेखाओं में से 5 तुलन पत्र तैयार कर रहा है। 3 लेखाओं के तुलनपत्रों के अभाव में दि वि प्रा की कुल परिसम्पत्तियों तथा देयताओं को पूर्ण रूप से लेखे में नहीं लिया जा रहा है।

(पैराग्राफ 27)

XVI रोहिणी कॉम्प्लैक्स का विकास

पांच वर्षों में 1,17,016 आवासीय भूखण्डों को विकसित करने के लक्ष्य के प्रति दि वि प्रा ने दस वर्षों के दौरान केवल 30,732 भूखण्ड (26 प्रतिशत) ही विकसित किए लेकिन 41,060 भूखंड आबंटित किए गए थे तथा 43,964 व्यक्ति आबंटन की प्रतीक्षा में थे। दि वि प्रा ने 1,17,016 भूखण्डों के लिए 130.15 करोड़ रुपये के अनुमान के प्रति 1980-81 से 1990-91 तक 127.73 करोड़ रुपये खर्च किए लेकिन 94.31 करोड़ रुपये की अनुमानित प्राप्तियों के प्रति केवल 51.61 करोड़ रुपये ही वसूल किए गए।

दि वि प्रा ने जल आपूर्ति तथा मलजल व्ययन प्रणाली की मरम्मत पर 3.55 करोड़ रुपये खर्च किए जिसको दि न नि द्वारा संकेत की गई कमियों तथा त्रुटियों के कारण दि न नि को सौंपा न जा सका।

निर्माण कार्यों के लगभग 80 प्रतिशत में घटिया स्तर की सामग्री का उपयोग किया गया था। घटिया स्तर की सामग्री का उपयोग किए गए 264 मामलों में से केवल 12 मामलों में ही चूककर्ता ठेकेदारों से वसूलियां की गई थी।

(पैराग्राफ 28)

XVII सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को मूल्य वरीयता

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा क्षे उ) को स्वयं वित्त पोषित योजना के अंतर्गत पश्चिमपुरी में 232 मकानों के निर्माण का कार्य निम्नतम निविदा पर 7.15 प्रतिशत मूल्य वरीयता देते हुए सौंपा गया था। सा क्षे उ ने निर्माण कार्य निष्पादित नहीं किया। परिणामतः 25.08 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ तथा आवासों को उपलब्ध कराने के लिए एक वर्ष से अधिक समय का विलम्ब हुआ।

(पैराग्राफ 30)

XVIII लाइसेंस शुल्क तथा भू किराए की वसूली न होना

दि वि प्रा द्वारा अंतर्राज्यीय बस अड्डा तथा रोहतक रोड़, मजनू का टीला तथा आजाद पुर में ट्रांसपोर्ट केन्द्रों के दोषपूर्ण प्रबंध के कारण दुकानों, भूखण्डों तथा पार्किंग स्थलों के लाइसेंसधारियों से 2.38 करोड़ रुपये के लाइसेंस शुल्क तथा भू किराए की वसूली अभी की जानी थी (मार्च 1991)।

(पैराग्राफ 31)

XIX लॉटरी निधियों का दुर्विनियोजन

दिल्ली तथा धनबाद में दि वि प्रा के लॉटरी कार्यालयों में 23 लाख रुपये का दुर्विनियोजन किया गया था। लिपिकों से ईमानदारी या क्षतिपूर्ति बांडों को प्राप्त किए बिना उनको बहुत अधिक वित्तीय लेन देन सौंपे गये थे। नियंत्रण अधिकारी समय पर लेखे के प्रस्तुतीकरण को सुनिश्चित करने में असफल थे।

(पैराग्राफ 34)

XX दोषपूर्ण ठेका प्रबंध तथा मध्यस्थता

1986 तथा 1991 के बीच मध्यस्थता के लिए भेजे गए विवादों के 801 मामलों में से 109 में मध्यस्थों ने ठेकेदारों को उनके कुल 1521 लाख रुपये के दावों के प्रति 380 लाख रुपये दिए। दि वि प्रा के 617 लाख रुपये के प्रतिदावों के प्रति मध्यस्थों द्वारा निर्माण कार्य के निष्पादन में विलम्ब हेतु क्षतिपूर्ति वसूल करने के लिए समय पर तथा उचित नोटिस के जारी न होने, निर्माण कार्य

कार्यक्रमानुसार दि वि प्रा द्वारा सामग्री आपूर्ति न करने, वास्तुकारिए आरेखणों की विलम्ब से आपूर्ति आदि के कारण मध्यस्थों द्वारा केवल 38 लाख रुपये के दावे स्वीकृत किए गए थे।

65 मामलों में मध्यस्थों ने ठेकेदारों को दि वि प्रा के अपने संविदात्मक दायित्वों को पूर्ण करने में असफल रहने के कारण 137 लाख रुपये दिए गए।

(पैराग्राफ 37)

XXI राजस्व प्राप्तियां

1990-91 में दिल्ली प्रशासन की कुल राजस्व प्राप्तियां 1,024.66 करोड़ रुपये थीं जोकि 1,144.45 करोड़ रुपये की प्रत्याशित प्राप्तियों से 10 प्रतिशत कम थी। कर प्राप्तियां मुख्यतः बिक्री कर (689.71 करोड़ रुपये) राज्य उत्पाद शुल्क (162.21 करोड़ रुपये), वस्तुओं तथा यात्रियों पर कर (37.20 करोड़ रुपये), स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क (32.14 करोड़ रुपये) तथा मोटरवाहन कर (53.16 करोड़ रुपये) होती हैं।

(पैराग्राफ 38)

XXII बिक्री कर

विभाग में प्रतिप्रेषित निर्धारणों के निपटान की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए कोई केन्द्रीयकृत प्रणाली नहीं है। प्रतिप्रेषित मामलों की संख्या 1985-86 तथा 1990-91 के बीच निपटाए गए कुल मामलों का 50 प्रतिशत थी। प्रतिप्रेषण के सबसे पुराने मामले वर्ष 1976-77 से संबंधित थे। 4.57 करोड़ रुपये के कर वाले तीन मामलों के निरंतर प्रतिप्रेषण दिल्ली बिक्री कर अधिनियम 1975 के उपखण्डों का पालन न करने के परिणामस्वरूप 1979-80 में 34 लाख रुपये तथा 1981-82 से 1983-84 तक 170 लाख रुपये की उठाई मांग की वसूली नहीं की गई।

(पैराग्राफ 46)

लेखापरीक्षा द्वारा संकेत किए गए कर की कम वसूली, अर्थदण्ड तथा राजस्व की अन्य हानियों के 52 मामलों में 4.81 करोड़ रुपये का कर शामिल था। इन मामलों में से 23 का पुनः परीक्षण करने पर विभाग ने निर्धारणों में संशोधन करके कुल 2.48 करोड़ रुपये का अतिरिक्त मांग की।

(पैराग्राफ 47-55)

21 मामलों में घोषणापत्रों में झूठे या अवैध घोषणाओं या अंतर्वेशनों को रोकने में असफल रहने के परिणामस्वरूप 76 लाख रुपये की राशि के कर की कम वसूली, अर्थदण्ड की वसूली न होना तथा ब्याज की वसूली न हुई।

(पैराग्राफ 47)

8 मामलों में बिक्रियां छुपाई जाने का पता न लगाए जाने से 2.55 करोड़ रुपये राशि के लिए कर की कम वसूली, अर्थदण्ड तथा ब्याज का अनुद्ग्रहण हुआ।

(पैराग्राफ 48)

9 मामलों में 13.47 लाख रुपये का ब्याज वसूल नहीं किया गया था तथा 6 मामलों में अनियमित कूट दिए जाने के कारण 8.64 लाख रुपये के कर की हानि हुई थी।

(पैराग्राफ 49-50)

2 मामलों में सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार निर्धारण में गलती के परिणामस्वरूप 2.19 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

(पैराग्राफ 52)

XXIII मोटर वाहन कर

मोटर वाहनों के पंजीकरण, जिनका 15 वर्षों के बाद पुनः पंजीकरण अपेक्षित है, का नवीनीकरण न होने के परिणामस्वरूप 120.80 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई। अस्थायी परमिटों के मामले में परमिट शुल्क की गलत वसूली के परिणामस्वरूप 0.62 लाख रुपये राजस्व की हानि हुई।

(पैराग्राफ 56-57)

अध्याय-1

संगठन

1.1 संघ शासित प्रदेश दिल्ली 891 वर्ग कि मी ग्रामीण तथा 592 वर्ग कि मी शहरी क्षेत्रों से बनने वाले 1,483 वर्ग कि मी क्षेत्र में फैला हुआ है तथा उपराज्यपाल के अधीन दिल्ली प्रशासन द्वारा शासित होता है।

1.2 उप राज्यपाल (उ रा) को महानगर परिषद तथा कार्यकारी परिषद जो उपराज्यपाल को संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची तथा अनुवर्ती सूची में दिए गए विषयों के संबंध में सलाह देते हैं, द्वारा सहयोग दिया जाता है। कार्यकारी परिषद के सदस्य भारत सरकार के राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं।

1.3 दिल्ली नगर निगम (दि न नि), नई दिल्ली नगर पालिका (न दि न पा) तथा दिल्ली छावनी बोर्ड (दि छा बो) के स्थानीय निकाय क्रमशः 1,397.3 वर्ग कि मी, 42.7 वर्ग कि मी तथा 43 वर्ग कि मी के क्षेत्र में आने वालों को नागरिक सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं।

1.4 सांविधि द्वारा स्थापित दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि वि प्रा) को भूमि का उपयोग करने के तरीकों सहित दिल्ली का विकास, आवासीय, वाणिज्यिक तथा औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित तथा आवासीय योजनाओं का निष्पादन करना सौंपा गया है। उसके द्वारा स्लम विंग का भी प्रशासनिक रूप से नियंत्रण किया जाता है।

1.5 दिल्ली शहरी कला आयोग (दि श क आ) को दिल्ली संघ क्षेत्र दिल्ली में शहरी तथा पर्यावरणीय डिजाइन के सौन्दर्य को सुरक्षित, विकसित तथा अनुरक्षित करने के कार्य की जिम्मेवारी सौंपी गई है।

1.6 दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (दि प प वि नि) के सांविधिक, दिल्ली वित्त निगम (दि वि नि), दिल्ली राज्य खनिज विकास निगम (दि रा ख वि नि), दिल्ली लघु उद्योग विकास निगम (दि ल उ वि नि) तथा दिल्ली अनुसूचित जाति वित्तीय तथा विकास निगम (दि अ जा वि वि नि) दिल्ली प्रशासन के नियंत्रणाधीन कार्य करते हैं।

1.7 दिल्ली प्रशासन का बजट केन्द्रीय सरकार के बजट का एक भाग होता है तथा गृह मंत्रालय (सं. 90) के अंतर्गत एक अनुदान के रूप में होता है। भारत की समेकित निधि से निधियां आहरित की जाती हैं तथा दिल्ली प्रशासन की प्राप्तियां भी वहीं क्रेडिट की जाती हैं।

अध्याय II

2. दिल्ली प्रशासन के लेखे

2.1 प्राप्तियां एवं व्यय


वर्ष 1990-91 के दौरान दिल्ली प्रशासन की प्राप्तियां एवं व्यय निम्नानुसार थे:-

	1990-91	
	ब. अ.	वास्तविक
	(करोड़ रुपयों में)	
प्राप्तियां	1,144.45	1,024.66
व्यय	1,785.35	1,658.60

राजस्व प्राप्तियों के 97 प्रतिशत थे। भारत की समेकित निधि से व्यय से प्राप्तियों की प्रतिशतता 62 प्रतिशत थी। निम्न तालिका पिछले तीन वर्षों में प्राप्तियों तथा व्यय की प्रवृत्ति दर्शाती है।

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	प्राप्तियां			व्यय		
	कर	गैर-कर	जोड़	योजनागत	योजनेतर	जोड़
	राजस्व	राजस्व				
1988-89	792.90	20.67	813.57	557.09	655.42	1,212.51
1989-90	859.76	33.04	892.80	636.43	847.20	1,483.63
1990-91	990.99	33.67	1,024.66	740.91	917.69	1,658.60



2.2. गैर-कर राजस्व


कर राजस्व तथा संग्रहण की लागत के विवरण अध्याय V में दिए गए हैं।

(करोड़ रुपयों में)

गैर-कर प्राप्तियां

गैर-कर प्राप्तियों के प्रकार	संग्रहीत राशि			1989-90 के साथ मिलाने पर वृद्धि (+) कमी (-)
	1988-89	1989-90	1990-91	
1. ब्याज	2.92	1.76	1.56	(-) 0.20
2. पुलिस	1.60	8.16	7.79	(-) 0.37
3. लोक निर्माण कार्य	0.85	2.49	1.85	(-) 0.64
4. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	7.24	9.91	10.66	(+) 0.75

5	शिक्षा, खेलकूद कला एवं संस्कृति	2.79	3.21	3.14	(-) 0.07
6	चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य	0.69	0.85	1.07	(+) 0.22
7	हाऊसिंग	1.06	1.04	1.07	(+) 0.03
8	करॉप हजबैण्डी	0.39	0.60	0.53	(-) 0.07
9	ग्राम तथा लघु उद्योग	1.05	0.94	1.19	(+) 0.25
10	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	0.37	0.58	1.48	(+) 0.90
11	अन्य शीर्ष	1.71	3.50	3.33	(-) 0.17
जोड़		20.67	33.04	33.67	(+) 0.63



2.3 सेवाओं पर व्यय

पिछले दो वर्षों के तदनुसूची आंकड़ों सहित बजट अनुमानों से मिलान करने पर 1990-91

के दौरान विभिन्न सेवाओं पर व्यय निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपयों में)

व्यय क्षेत्र	वर्ष	बजट अनुमान		वास्तविक व्यय		आधिक्य(+)		बचत(-)	
		राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
सामान्य सेवाएं	1988-89	200.38	7.53	194.07	7.52	-	6.31	-	0.01
	1989-90	242.20	5.97	240.18	5.37	-	2.02	-	0.60
	1990-91	261.28	10.04	258.91	9.73	-	2.37	-	0.31
सामाजिक सेवाएं	1988-89	423.19	245.48	414.87	134.83	-	8.32	-	110.65
	1989-90	513.96	234.26	508.24	226.40	-	5.72	-	7.86
	1990-91	588.75	303.76	571.00	230.13	-	17.75	-	73.63
कृषि तथा सहायक	1988-89	5.64	1.72	5.32	1.61	-	0.32	-	0.11
कार्यकलाप	1989-90	7.93	1.37	7.55	1.20	-	0.38	-	0.17
	1990-91	10.34	1.40	10.28	1.20	-	0.06	-	0.20
ग्रामीण विकास	1988-89	1.42	0.18	1.40	0.18	-	0.02	-	-
	1989-90	1.27	0.55	1.26	0.55	-	0.01	-	-
	1990-91	1.81	0.98	1.67	0.92	-	0.14	-	0.06
सिंचाई तथा बाढ़	1988-89	5.71	13.71	5.63	13.23	-	0.08	-	0.48
नियंत्रण	1989-90	6.87	17.54	6.74	16.87	-	0.13	-	0.67
	1990-91	8.63	21.55	8.25	12.24	-	0.38	-	9.31
जल तथा ऊर्जा	1988-89	1.65	-	1.65	-	-	-	-	-
	1989-90	3.05	-	3.04	-	-	0.01	-	-
	1990-91	1.46	-	1.16	-	-	0.30	-	-

उद्योग एवं खनिज	1988-89	3.74	2.58	3.55	2.57	-	0.19	-	0.01
	1989-90	4.91	3.64	4.83	3.49	-	0.08	-	0.15
	1990-91	8.97	3.86	8.94	3.78	-	0.03	-	0.08
परिवहन	1988-89	58.18	26.48	58.17	25.59	-	0.01	-	0.89
	1989-90	64.67	27.88	64.43	28.62	-	0.24	+	0.74
	1990-91	77.61	59.06	77.25	40.06	-	0.36	-	19.00
विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	1988-89	0.33	-	0.16	-	-	0.17	-	-
	1989-90	0.62	0.01	0.55	0.01	-	0.07	-	-
	1990-91	0.72	-	0.55	-	-	0.17	-	-
सामान्य आर्थिक सेवाएं	1988-89	18.61	0.27	18.41	0.27	-	0.20	-	-
	1989-90	6.92	0.06	6.80	0.06	-	0.12	-	-
	1990-91	5.33	0.68	5.10	0.68	-	0.23	-	-
सहायक अनुदान तथा अंशदान	1988-89	54.44	-	54.44	-	-	-	-	-
	1989-90	55.30	-	55.30	-	-	-	-	-
	1990-91	63.19	-	63.17	-	-	0.02	-	-
ऋण एवं अग्रिम	1988-89	-	282.36	-	269.04	-	-	-	13.32
	1989-90	-	302.18	-	302.14	-	-	-	0.04
	1990-91	-	355.93	-	353.58	-	-	-	2.35
जोड़	1988-89	773.29	580.31	757.67	454.84	-	15.62	-	-125.47
	1989-90	907.70	593.46	898.92	584.71	-	8.78	-	8.75
	1990-91	1028.09	757.26	1006.28	652.32	-	21.81	-	-104.94

1990-91 के दौरान दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया गया व्यय मुख्यतः शिक्षा (18.48 प्रतिशत), शहरी विकास (15.45 प्रतिशत), पुलिस (10.11 प्रतिशत) चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य (9.25 प्रतिशत) तथा परिवहन (7.07 प्रतिशत) पर किया गया था। स्थानीय निकायों को दिए गए ऋण तथा अनुदान व्यय का 36.60 प्रतिशत थे।

शहरी विकास (70.65 करोड़ रुपये), परिवहन (19.34 करोड़ रुपये), हाऊसिंग (8.64 करोड़ रुपये), बाढ़ नियंत्रण (7.98 करोड़ रुपये), चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य (5.72 करोड़ रुपये) तथा शिक्षा (5.04 करोड़ रुपये) जैसे क्षेत्रों पर निधियों के उपयोग में बचत 126.75 करोड़ रुपये राशि की थी।

2.4 स्थानीय निकायों को भुगतान

वाहन कर, सीमा कर तथा मनोरंजन एवं बाजी कर से प्राप्त राशियां स्थानीय निकायों को "3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थान को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन", शीर्ष के अंतर्गत सहायक अनुदान तथा अंशदानों के रूप में समनुदेशित की जाती हैं। वर्ष 1990-91 के दौरान 63.17 करोड़ रुपये की राशि स्थानीय निकायों को निम्नानुसार अभिभाजित की गई थी:-

(करोड़ रुपयों में)

	दि न नि	न दि न पा	दि छा बो	जोड़
वाहनों पर कर	13.24	2.29	0.41	15.94
मनोरंजन कर	12.68	1.09	0.18	13.95
बाजी कर	-	1.04	-	1.04
सीमा कर	30.86	0.95	0.43	32.24
जोड़	56.78	5.37	1.02	63.17

स्थानीय निकायों तथा दि वि प्रा को 1990-91 तथा पिछले दो वर्षों में दिल्ली प्रशासन के विभागों द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिम तथा अनुदान नीचे दिए गए हैं:-

निकायों के नाम	वर्ष	सहायक अनुदान	ऋण तथा अग्रिम (करोड़ रुपयों में)
दिल्ली नगर निगम	1988-89	142.00	248.42
	1989-90	167.10	282.10
	1990-91	215.43	339.82
नई दिल्ली नगर पालिका	1988-89	15.70	18.76
	1989-90	16.71	13.72
	1990-91	21.93	11.07
दिल्ली छावनी बोर्ड	1988-89	0.42	-
	1989-90	0.58	-
	1990-91	0.40	-
दिल्ली विकास प्राधिकरण	1988-89	15.29	-
	1989-90	18.80	-
	1990-91	16.17	2.21
जोड़	1988-89	173.41	267.18
	1989-90	203.19	295.82
	1990-91	253.93	353.10

दिल्ली नगर निगम, सहायक अनुदान (215.43 करोड़ रुपये) तथा ऋण एवं अग्रिम (339.82 करोड़ रुपये) दोनों का मुख्य प्राप्तिकर्ता था।

पुनर्भुगतानों का समायोजन करने के पश्चात 31 मार्च 1989, 1990 तथा 1991 को स्थानीय निकायों तथा दि वि प्रा के पास बकाया कुल ऋण तथा अग्रिम नीचे दिए गए हैं:-

(करोड़ रुपयों में)

निकाय का नाम	बकाया ऋण की राशि			
	31 मार्च 1989 को	31 मार्च 1990 को	31 मार्च 1991 को	31 मार्च 1991 को अतिदेय ब्याज
दिल्ली नगर निगम (दि न नि)	534.27	707.01	158.91	184.41
नई दिल्ली नगर पालिका (न दि न पा)	56.75	67.33	4.23	6.66
दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि वि प्रा)	46.73	38.69	43.59	70.11
जोड़	637.75	813.03	206.73	261.18

जैसा कि दिल्ली प्रशासन ने बताया, विभिन्न स्थानीय निकायों से 31 मार्च 1991 को भुगतान के लिए अतिदेय ब्याज 261.18 करोड़ रुपये था। देय ब्याज तथा ऋणों के पुनर्भुगतान की किशतों, जो देय हो गई थी (पैरा 2.6 भी देखें), की वसूली के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है।

स्थानीय निकायों अर्थात् दि न नि तथा न दि न पा की लेखापरीक्षा के परिणाम पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित किए गए हैं। दि वि प्रा से संबंधित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियां इस प्रतिवेदन के अध्याय IV में शामिल हैं। दिल्ली छावनी बोर्ड की लेखापरीक्षा रक्षा सेवाओं की लेखापरीक्षा का एक भाग है जिस पर एक पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किया गया है।

2.5 निवेश

वर्ष 1990-91 तथा पिछले दो वर्षों के दौरान दिल्ली प्रशासन द्वारा सांविधिक निगमों,

(करोड़ रुपयों में)

निकायों का नाम	निवेश				संचयी निवेश पर		
	1988-89 के अंत तक	1989-90 के अंत तक	1990-91 के दौरान	1990-91 के अंत तक	विवरणी की प्रतिशतता के अनुसार वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश		
					88-89	89-90	90-91
1 दिल्ली वित्तीय निगम	4.65	5.85	1.10	6.95	-	-	-
2 दिल्ली पर्यटन तथा परिवहन विकास निगम	2.41	2.46	0.55	3.01	-	-	-
3 दिल्ली राज्य खनिज विकास निगम	3.18	3.18	-	3.18	-	-	-
4 दिल्ली राज्य सिविल आपूर्ति निगम	5.00	5.00	-	5.00	-	-	-
5 दिल्ली लघु उद्योग विकास निगम	7.65	8.20	0.70	8.90	-	-	-
6 दिल्ली अनुसूचित जाति वित्तीय तथा विकास निगम	1.83	2.20	0.50	2.70	-	-	-
7 सहकारी बाजार परिसर	0.45	0.45	-	0.45	-	-	-
8 दिल्ली सहकारी आवास वित्त समिति	9.92	13.92	4.50	18.42	-	-	-
9 श्रम सहकारी समितियां	0.02	0.02	-	0.02	-	-	-
10 उपभोक्ता सहकारी समितियां	0.93	0.93	-	0.93	नगण्य	-	-

11	अन्य सहकारी							
	समितियां	0.62	0.62	-	0.62	-	-	-
12	दिल्ली राज्य							
	सहकारी बैंक	1.05	1.05	-	1.05	-	-	-
13	इन्द्रप्रस्थ चिकित्सा							
	निगम लि.	2.76	2.76	1.00	3.76	-	-	-
<hr/>								
	जोड़	40.47	46.64	8.35	54.99	-	-	-
<hr/>								

निगमों में प्रबंधन की गुणवत्ता के पुनरीक्षण तथा पहले यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्राप्त लाभार्श, यदि कोई हो, पर सूचना पूर्ण रूप से लेखाओं में दर्शाई गई है, कार्यवाही अपेक्षित है।। दूसरे लाभार्श में निवेश तथा फ्री रिजर्वों जो बोनस शेयर के रूप में सरकार को जारी नहीं किए गए हैं, की उचित प्रतिशतता निहित है।

2.6 वसूल न किए गए ऋण तथा ब्याज

1990-91 के वित्त लेखाओं (विवरण सं. 3) में स्थानीय निकायों तथा अन्य को दिए गए ऋण किश्तों तथा ब्याज की गैर वसूली निम्नलिखित है। गृह मंत्रालय तथा दिल्ली प्रशासन द्वारा वसूलियां करने के लिए कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(करोड़ रुपयों में)

क्र सं.	ऋणधारी का नाम तथा सबसे पुराना वर्ष जब से ऋण दिया गया	वसूली के लिए अतिदेय ऋण की राशि	अतिदेय ब्याज की राशि
---------	--	--------------------------------	----------------------

गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए ऋण

(दिल्ली प्रशासन प्रभाग)

1.	सहकारी समितियां, दिल्ली (1961-62)	0.33	0.26
2.	दिल्ली पर्यटन विकास निगम, नई दिल्ली (1977-78)	1.85	1.18
3.	दिल्ली विकास प्राधिकरण (1956)	*83.09	134.23
4.	दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान दिल्ली (1969-70)	277.84	97.05
5.	दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम, लि., नई दिल्ली (1974-75)	26.92	34.60
6.	दिल्ली नगर निगम (1969-70)	99.38	96.27
7.	दिल्ली जल आपूर्ति तथा मलजल व्ययन संस्थान, नई दिल्ली (1969-70)	146.52	291.07
8.	दिल्ली अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम लि. (1983-84)	1.25	0.17

गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए ऋण

(पुनर्वास प्रभाग)

9.	नगर निगम दिल्ली (1984-85)	0.56	0.77
----	---------------------------	------	------

शहरी विकास मंत्रालय द्वारा दिए गए ऋण

10. उपभोक्ता सहकारी समिति लि., नई दिल्ली (1964-65)	0.01	0.01
11. दिल्ली विकास प्राधिकरण नई दिल्ली (1957-58)	1.68	0.91
12. दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (1974-75)	0.01	-
13. नगर निगम दिल्ली (1952-53)	1.01	0.93
14. दिल्ली जल आपूर्ति एवं मलजल व्ययन संस्थान नई दिल्ली	13.16	5.05

* टिप्पणी: पैरा 2.4 के अनुसार 43.59 करोड़ रुपये दिल्ली प्रशासन द्वारा दि वि प्रा को ऋण हैं, अतः ये गृह मंत्रालय से दि वि प्रा को अलग ऋण होना चाहिए। उसे देखने की आवश्यकता है। इसी प्रकार दि न नि को दिए गए ऋणों के बारे में भी है।

निम्नलिखित ऋणों की शर्तों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है, जैसा कि वित्त लेखाओं (विवरण सं.3) में प्रकाश डाला गया है। गृह मंत्रालय तथा दिल्ली प्रशासन द्वारा ऋण की शर्तों पर तुरन्त निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है अथवा उन्हें अनुदानों या ऋणों के समायोजन द्वारा तुरन्त वसूल किए जाने की आवश्यकता है।

(लाख रुपयों में)

क्र सं.	कर्जदार का नाम तथा वर्ष जिसमें ऋण दिया	ऋणों की संख्या	ऋण की कुल राशि
---------	--	----------------	----------------

गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए ऋण

1.	दिल्ली पर्यटन विकास, निगम, नई दिल्ली (1988-89)	4	26.00
2.	दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम, नई दिल्ली (1986-87)	2	60.00

2.7 वित्त लेखाओं में किए जाने वाले समायोजन

वित्त लेखाओं (दिल्ली प्रशासन भाग) में, विभिन्न ऋण, जमा तथा प्रेषण, ऋण तथा अग्रिम तथा, उच्चत शीर्षों के अंतर्गत 2,170.80 करोड़ रुपये का डेबिट शेष तथा 1220.07 करोड़ रुपये के क्रेडिट शेष बकाया थे। मुख्य मदें नीचे दर्शाई गई हैं:-

लेखे का शीर्ष	31.3.91 को राशि (करोड़ रुपयों में)
---------------	---------------------------------------

6075	विविध सामान्य सेवाओं के लिए ऋण	डेबिट	12.23
6215	जल आपूर्ति तथा सफाई के लिए ऋण	डेबिट	665.15
6216	आवास के लिए ऋण	डेबिट	126.64
6217	शहरी विकास के लिए ऋण	डेबिट	131.14

6801	विद्युत परियोजनओं के लिए ऋण	डेबिट	1180.08
7610	सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	डेबिट	20.86
7615	विविध ऋण	डेबिट	34.70
8005	राज्य भविष्य निधि	क्रेडिट	228.33
8011	बीमा तथा पेंशन निधि	क्रेडिट	246.67
8443	सिविल जमा	क्रेडिट	201.46
8449	अन्य जमा	क्रेडिट	201.98
8658	उचन्त लेखा	क्रेडिट	99.32
8670	चैक तथा बिल	क्रेडिट	242.31

उचन्त तथा चैक एवं बिल के अंतर्गत बकाया शेषों के शीघ्र निपटान की आवश्यकता है। ऋण तथा जमाओं पर, अंकित तथा विस्तृत सहायक लेखाओं का जोड़ उपर्युक्त पुस्तक शेषों से वार्षिक रूप से मिलाया जाना चाहिए। इसके लिए कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है।

अध्याय-III

दिल्ली प्रशासन के सिविल विभाग

पुलिस आयुक्त

3. दिल्ली पुलिस

3.1 प्रस्तावना

दिल्ली के पंजाब से अलग होने पर 1912 में दिल्ली पुलिस गठित की गई थी और पुलिस महा निदेशक का भी कार्य करने वाले मुख्य आयुक्त के अधीन रखी गई थी। 1948 में पुलिस महानिरीक्षक का अलग से पद संस्वीकृत किया गया था। खोसला कमीशन (1966-68) की सिफारिशों पर 1978 में दिल्ली में आयुक्त पद्धति प्रारंभ की गई थी। कुछ कार्य जो पहले जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किए जा रहे थे जो विभिन्न अधिनियमों के प्रशासन से सम्बद्ध थे जैसे शस्त्र अधिनियम, भारतीय विस्फोटक अधिनियम, दिल्ली पब्लिक जुआ अधिनियम और पंजाब सुरक्षा राज्य अधिनियम, को पुलिस आयुक्त को स्थानांतरित कर दिया गये थे। दिल्ली पुलिस के कार्यों में भीड़ का प्रबंध, यातायात, कानून और आदेश समस्याएं, अ वि व्य और विदेश महा हस्तियों की सुरक्षा, नशा प्रतिबंध, किशोर अपराध, रक्षा, सुरक्षा और सोसाइटी के अपेक्षाकृत कमजोर वर्ग का रक्षण आदि सम्मिलित हैं।

3.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

वर्ष 1986-87 से 1990-91 से संबंधित दिल्ली पुलिस के लेखाओं की लेखापरीक्षा में संवीक्षा की गई थी और निष्कर्ष आगे के उप पैराग्राफों में दिए गए हैं:-

3.3 संगठनात्मक ढांचा

संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली का प्रशासन उपराज्यपाल के अधिकार में है जिस की पुलिस आयुक्त सहित ग्यारह अतिरिक्त पुलिस आयुक्तों, उप और सहायक पुलिस आयुक्तों की बड़ी संख्या और विभिन्न पदक्रमों में 50,000 पुलिस कर्मियों द्वारा सहायता की जाती है।

प्रचालन उद्देश्यों से दिल्ली का क्षेत्र 3 रेंजों, 11 जिलों, 35 उप खण्डों, 105 पुलिस स्टेशनों, 67 आउटपोस्टों और 6 निरीक्षण पोस्टों में विभाजित किया गया है।

3.4 विशिष्टताएं-

- पुलिस के पास दर्ज अखोजित मामलों की प्रतिशयातता कमी की प्रवृत्ति को दर्शाती है परन्तु दण्ड और अपराध मुक्ति की प्रतिशतता को भी। परन्तु निरीक्षण के लिए लम्बित मामलों की

प्रतिशतता बढ़ती जा रही है और जांच के लिए लम्बित मामलों जिनमें भ्रष्टाचार में वृद्धि के जोखिम तथा जनता को परेशान करना सम्मिलित है की प्रतिशतता भी बढ़ रही है।

- नारियों के प्रति अपराधों के मामलों की संख्या प्रतिवर्ष जो 1985 से अभिलिखित की जा रही है 1989 तक बढ़ी और वृद्धि 1990 में निम्नस्तर की प्रतीत हुई।
- राजपत्रित अधिकारियों और उच्च अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सितम्बर 1991 तक नहीं खोला गया था।
- पुलिस सिपाहियों को निर्धारित प्रशिक्षण का पूरा पाठक्रम कर लेने पर प्रमाणपत्र जारी कर दिए गए थे यद्यपि उन्होंने प्रशिक्षण का निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा नहीं किया था।
- केवल 21 से 69 प्रतिशत पुलिस कार्मिक पिछले पांच वर्षों 1986-90 में आग्नेयास्त्र के अभ्यास के लिए भेजे गए थे यद्यपि सभी पुलिस कार्मिक प्रशिक्षित किए जाने थे। वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शस्त्र प्रशिक्षण का इस की सीमा, उपयुक्तता और प्रासंगिकता के आधार पर मूल्यांकित नहीं किया गया था।
- 15 पुलिस स्टेशन, एम टी कार्यशाला, पुलिस पोस्ट और सुरक्षा लाइनों के निर्माण के लिए मार्च 1988 और मार्च 1991 के बीच भूमि खरीदने के लिए 2.56 करोड़ रुपये व्यय किए गए थे परन्तु भवनों का निर्माण अभी प्रारंभ किया जाना है।
- 1987-91 के दौरान निजी वाहनों के किरायों पर 4.82 करोड़ रुपए का व्यय किया गया था। किसी भी वाहन के संबंध में रोचनामचा नहीं रखे गए थे, सभी ड्यूटी स्लिपें मध्यम रात्रि से 24 घंटों की अवरोधन अवधि दर्शाती थी और वाहनों के अवरोधन की वास्तविक अवधि अभिलेखों में नहीं थी, बेकार वाहन भी ड्यूटी स्लिप में प्रयोग में दिखाए गए थे।
- पुलिस स्टेशनों के मालखानों में साइकिल, वाहन, सीमेंट थैले सहित पकड़ी गई सम्पत्ति 1981-82 से कई लाख रुपयों के अवमूल्यन के कारण नुकसान दिखाती हुई अनेक वर्षों से खुले में और अस्तव्यस्त ढंग से भण्डारित की गई थी।
- अपराध डाटा के संग्रहण और प्रसारण के लिए जिलाओं तथा राज्यों को जोड़ने हेतु एन सी आर बी की कम्प्यूटर पद्धति के संयोजन के लिए 1987 में 55.68 लाख रुपये की लागत पर खरीदा गया कम्प्यूटर योग्यता की कमी के कारण संयोजित नहीं किया गया है।
- दिल्ली प्रशासन को वर्ष 1981-83 के दौरान भेजे गए मैन्यूअल के ड्राफ्ट पैरा अभी तक

अनुमोदित नहीं किए गए थे।

- सिविल विमानन मंत्रालय और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण से इन्द्रा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हवाई जहाज के अपहरण के खिलाफ उपायों और परिसीमा सुरक्षा के लिए लगाए गए पुलिस कार्मिकों की लागत के प्रति 8.39 करोड़ रुपए वसूल नहीं किए गए थे।
- मार्च 1991 के अंत तक विभिन्न संस्थाओं और प्राधिकरणों से दिल्ली पुलिस अधिनियम के अंतर्गत उनको दिए गए पुलिस रक्षकों की लागत के प्रति 5.44 करोड़ रुपये वसूली के लिए बकाया थे।

3.5 वित्तीय व्यय

1985-86 से 1990-91 के वर्षों के दौरान बजट आबंटन और पुलिस पर व्यय निम्नानुसार थे:-

करोड़ रुपयों में

वर्ष	बजट आबंटन		वास्तविक	
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
1985-86	0.57	66.51	0.58	66.61
1986-87	1.22	84.93	1.22	85.18
1987-88	1.85	113.31	1.85	113.38
1988-89	1.70	127.60	1.70	127.55
1989-90	2.33	158.17	2.33	157.47
1990-91	3.64	168.25	3.64	168.09

3.6 कार्य

3.6.1 सामान्य:- राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (रा अ अ ब्यू) के अनुसार राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में 1988 में किए गए प्रज्ञेय अपराधों की मात्रा में दिल्ली का चौथा स्थान था। 1989 में इसका तीसरा स्थान हो गया। भारतीय दण्ड संहिता (भ द सं) के अंतर्गत दर्ज मामलों की सांख्यिकी

दिसम्बर 1990 को समाप्त छः वर्षों के दौरान अखोजित रही और उनकी प्रगति परिशिष्ट-1 में दी जा जाती है।

अखोजित मामलों की प्रवृत्ति ने 56 से घटकर 41 प्रतिशत तक उतार की प्रवृत्ति को दर्शाया था परन्तु सजा और विमुक्ति की प्रतिशतता भी कम हुई थी जबकि अन्वेषण के लिए लम्बित मामलों की संख्या में वृद्धि हुई थी। उन मामलों जहां मुकद्दमें/सजा लम्बित है तथा उन मामलों जहां चालान/सजा दी गई है की संख्या भी बढ़ रही है। जैसा कि जाना जाता है प्रशासनिक विलम्ब यदि रोका नहीं गया, भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति को जन्म देगा और जनता में हताशता की भावना उत्पन्न करेगा।

1986 से 1990 के वर्षों के दौरान दिल्ली पुलिस की संख्या में वृद्धि नीचे दी जाती है-

वर्ष	वास्तविक संख्या (ग्रुप "घ" स्टाफ को छोड़कर)
1986	34,167
1987	36,016
1988	39,678
1989	42,763
1990	45,223

1988 से 1990 के वर्षों के दौरान कतल, कतल का प्रयास, लूट आदि की संख्या में वृद्धि नीचे दी जाती है:-

	1988	1989	1990
डकैती	9	15	19
कतल	296	349	390
कतल करने का प्रयास	250	364	387
लूट	202	213	227
दंगे	114	152	301
छीना झपटी	184	215	206
चोट	1,579	1,794	1,845
सेंधमार	1,452	1,529	1,556
चोरी	11,249	12,340	12,204
अन्य भा दं सं	12,682	13,552	14,712
जोड़	28,017	30,523	31,847

दिल्ली के दांचे के पुनर्गठन के लिए दिसम्बर 1987 में भारत सरकार द्वारा गठित समिति ने टिप्पणी की थी (दिसम्बर 1989) कि पुलिस आयुक्त पद्धति से अपराध के नियंत्रण जो इसका मुख्य लक्ष्य है, में कोई सुग्राह्य सुधार नहीं आया था। अतः समिति ने अनुशंसाकी कि यह पद्धति समाप्त कर दी जाए जिसके न करने पर पुलिस को दी गई शक्तियां उतने तक सीमित करनी चाहिए जिसकी वस्तुतः उनके दिल्ली में जनता में व्यवस्था अनुरक्षण के लिए अपना मुख्य उत्तरदायित्व निभाने के लिए आवश्यकता हो। समिति की अनुशंसाएं अभी तक दिल्ली प्रशासन और गृह मंत्रालय के विचाराधीन हैं (नवम्बर 1991)।

3.6.2 नारियों के प्रति अपराध और दहेज संबंधित मामले

सभी पुलिस जिला में महिला पुलिस निरीक्षकों की अध्यक्षता में 1984 से प्रारंभ कक्ष स्थापित किए गए थे। चुने हुए पुलिस स्टेशनों में ड्यूटी अधिकारियों के रूप में महिला पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। परिशिष्ट II में दिए गए ब्यौरों के अनुसार यह देखा जाएगा कि

1985 से महिला अपराधों की अभिलिखित संख्या में तेजी से वृद्धि हुई जब इस प्रकार के मामलों का अभिलेखन प्रारंभ किया गया था और 1990 में वृद्धि कम हो गई थी। पिछले दो वर्षों में यह कम तेज होती प्रतीत हुई (परिशिष्ट II)।

3.7 प्रशिक्षण

3.7.1 दिल्ली पुलिस अपने कर्मियों को प्रवेश और इन सर्विस प्रशिक्षण देने के लिए दो प्रशिक्षण विद्यालय चलाती है। पुलिस कर्मियों को उनके यूनिटों में भी प्रशिक्षण दिया जाता है। अधिकारियों को दूसरे राज्यों और संस्थाओं को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है।

3.7.2 पुलिस प्रशिक्षण पर गोरे समिति ने राजपत्रित अधिकारियों और उच्चतर अधीनस्थ अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए एक पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय (पु प्र म वि) खोलने की अनुशंसा (1971) की थी, निम्नतर अधीनस्थों के प्रशिक्षण के लिए और सशस्त्र पुलिस के प्रशिक्षण के लिए एक अलग पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय (पु प्र वि) भी खोलने की अनुशंसा की थी। पु प्र म वि अभी तक चालू नहीं हुआ है (सितम्बर 1991)।

3.7.3 प्रशिक्षणार्थी और प्रशिक्षक प्रायः कानून व्यवस्था ड्यूटी पर लगाए गए थे जिससे प्रशिक्षण कार्यक्रम बाधित हुआ; प्रशिक्षण केन्द्र में निर्धारित प्रशिक्षण अवधि का केवल 59 से 67 प्रतिशत तक ही अवस्थान रहा। पुलिस सिपाहियों को निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा कर लेने के प्रमाणपत्र जारी कर दिए गए थे यद्यपि उन्होंने निर्धारित पाठ्यक्रम का पूरा प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया था।

3.7.4 पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में ड्यूटी पर लगाए गए घुप घ स्टाफ को प्रशिक्षण से असम्बद्ध कुछ अधिकारियों के घरों में लगाया गया था।

3.7.5 एक पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय के निर्माण के लिए 73.7 एकड़ माप की भूमि अगस्त 1982 में अर्जित की। भवन का निर्माण शुरू नहीं किया गया है और स्थल को भर्ती प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में प्रयोग में लगाया जा रहा था।

3.7.6 सभी पुलिस कर्मियों को प्रतिवर्ष अग्नेयास्त्र का अभ्यास करना अपेक्षित है। परन्तु प्रशिक्षण सभी को नहीं दिया गया है जैसा कि निम्न आंकड़ों से प्रकट होता है, फिर भी अभ्यास के लिए भेजे जाने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है।

का वर्ष	कार्मिक संख्या	व्यक्तियों की संख्या शस्त्रों के प्रशिक्षण को भेजे गए	प्रतिशतता अभ्यास के लिए भेजे गए व्यक्तियों की प्रतिशतता
1986	34,167	7,236	21
1987	36,016	21,814	61
1988	39,678	27,435	69
1989	42,763	25,233	59
1990	45,223	28,004	62

विभाग ने बताया (जुलाई 1991) कि ड्यूटी पर अधिक लगाए जाने या छुट्टी पर जाने के अलावा सभी कार्मिक फाइरिंग अभ्यास के लिए भेजे जाते हैं। परन्तु लेखापरीक्षा में पूछताछ के बाद वार्षिक अभ्यास के लिए नियुक्त किए गए कार्मिकों के रजिस्टर केवल मई 1991 में खोले गए थे। शस्त्रों के अभ्यास के लिए भेजे गए कर्मचारियों का मानीटर नहीं किया गया था नहीं पत्रशिक्षण को इसकी सीमा, सम्वद्धता और वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरा करने के संदर्भ में मूल्यांकित किया गया था।

3.8 आवास

3.8.1 आवासीय- भारत सरकार द्वारा स्वीकृत खोसला कमीशन की अनुशंसाओं के अनुसार सभी सहायक उपनिरीक्षकों को और 50 प्रतिशत नीचे के अधीनस्थों को सरकार द्वारा आवासीय स्थल प्रदान किए जाने हैं। अन्य 50 प्रतिशत निम्नतम अधीनस्थों को बैरेक स्थल दिए जाने हैं। 1987-91 के वर्षों के दौरान हैड कान्सटेबलों, सहायक उप निरीक्षकों और उप निरीक्षकों के लिए संतुष्टि का स्तर केवल 25 और 31 प्रतिशत के बीच रहा।

3.8.2 प्रशासनिक भवन- संस्वीकृत पुलिस स्टेशनों की संख्या 1986 में 80, 1987 में 94 और 1988 में 105 थी। परन्तु 1986 से 8 टूटे फूटे भवनों या किराए के भवनों और 6 टैटों में कार्य कर रहे थे। दिल्ली सशस्त्र पुलिस के लिए नई पुलिस लाइन एक बटालियन के रहने के लिए थी परन्तु 5 बटालियनें रह रहीं थी और बाह्य बल भी वहां स्थायी या अर्धस्थायी रूप में रहते थे।

दिल्ली पुलिस की कुछ यूनिटें अर्थात्, सुरक्षा संचार, मोटर यातायात के पास सुरक्षित कार्यालय स्थल नहीं है।

15 पुलिस स्टेशनों के निर्माण और मोटर यातायात कार्यशाला, पुलिस पोस्ट तथा सुरक्षा लाइनों के निर्माण के लिए मार्च 1988 और मार्च 1991 के बीच 2.56 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे परन्तु भवनों का निर्माण अभी प्रारंभ किया जाना है (सितम्बर 1991)।

3.9 खरीदें

3.9.1 महानिदेशक आपूर्ति और निपटान (म नि आ नि) द्वारा सितम्बर 1990 और फरवरी 1991 के बीच 3.35 लाख रुपये की लागत पर अधिप्राप्त 3000 बांडी रक्षकों में से 91,000 रुपये की लागत के 818 बांडी रक्षकों की एक किस्त घटिया किस्म की थी।

पुलिस विभाग द्वारा अगस्त और अक्टूबर 1990 के बीच खुले बाजार से अधिप्राप्त 1274 अतिरिक्त बांडी रक्षकों में से 500 अदद क्रय समिति द्वारा रद्द कर दिए गए थे क्योंकि विशिष्टियों के अनुकूल नहीं थे और 774 अदद प्राप्त नहीं हुए थे यद्यपि उनका आदेश दिया गया था।

3.9.2 फरवरी 1988 में म नि आ एबंनि द्वारा आदेशित 13 लाख रुपये के मूल्य की 11848 ऊनी जर्सियां नवम्बर 1989 तक प्राप्त नहीं हुई थी और ठेका रद्द कर दिया गया था। पुलिस विभाग ने जून 1989 में म नि आ ए नि से 2000 जर्सियों की सीधी खरीद के लिए अनुमत करने का अनुरोध किया और सितम्बर 1989 में अनुमति प्राप्त होने पर पुलिस विभाग ने खुले बाजार से 2000 जर्सियों की सीधे खरीद की।

म नि आ एबंनि द्वारा 48.52 लाख रुपये के मूल्य की अगस्त 1990 तक आपूर्ति करने के लिए 31848 ऊनी जर्सियों के आदेश दिए जाने के प्रति सितम्बर 1991 तक केवल 18359 जर्सियां प्राप्त की गई थीं। म नि आ नि द्वारा अपने ठेके में शास्ति धारा के अभाव में आपूर्ति कर्ताओं के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।

3.9.3 म नि आ एबंनि द्वारा जुलाई 1990 में 2.46 लाख रुपये मूल्य के 8791 जोड़ी सफेद कैनवास के जूतों के आदेशों के प्रति नवम्बर 1990 में केवल 2428 जोड़ी जूते और जनवरी 1991 में 1919 जोड़े प्राप्त हुए थे। जूतों की शेष मात्रा जुलाई 1991 तक प्राप्त नहीं हुई थी यद्यपि म नि आ एबंनि द्वारा फर्म को 2.34 लाख रुपये अर्थात् 95 प्रतिशत राशि की अदायगी कर दी गई थी।

3.9.4 केन्द्रीय जिले में मार्च 1990 के दौरान खरीदी गई 2.16 लाख रुपये के मूल्य की मर्दे जैसे कैमरा, रैफ्रीजरेटर, वोल्टेज स्टैबलाइजर और स्पोर्ट रैकेट, भण्डार रजिस्टर में दर्ज नहीं की गई थी।

3.9.5 विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय में जनवरी 1987 से 6.22 लाख रुपये मूल्य की कपड़े की सामग्री अप्रयुक्त पड़ी हुई थी।

3.9.6 मार्च 1989 में 3.82 लाख रुपये की राशि और मार्च 1990 में 2.55 लाख रुपये की राशि बिलों पर गलत प्रमाण पत्र देते हुए, कि पु प्र वि में सामान प्राप्त हो गया था, आहरित की गई थी यद्यपि, वे आगामी वित्तीय वर्ष में प्राप्त किए गए थे।

3.10 मोटर वाहन

3.10.1 प्राप्त वाहन:- नवम्बर 1984 में दंगों के दौरान यह बताया गया था कि यातायात साधनों की कमी के कारण पुलिस की गतिशीलता में कमी थी और घटनाओं के स्थल पर वेशीघ्रता से नहीं पहुंच सकें। दिल्ली पुलिस के पास वाहनों की संख्या दिसम्बर 1984 में 1220 से दिसम्बर 1990 तक 2560 तक बढ़ गई।

अगस्त 1984 और मई 1991 के बीच 23.98 लाख रुपये के पुस्तक मूल्य के 134 निष्प्रयोजनीय वाहनों का निपटान नहीं किया गया था (जुलाई 1991)।

पुलिस विभाग की 1986 से 1989 की वर्षों के दौरान चौरी हुई 20 मोटर साइकिलें और 2 कारें अभी भी अखोजित थी, उनको बट्टे खाते नहीं डाला गया था।

3.10.2 किराए पर लिए वाहन:- पुलिस विभाग द्वारा 1987-91 के वर्षों के दौरान किराए पर लिए गए वाहनों पर 4.82 करोड़ रुपये का व्यय किया गया था। किसी भी किराए के वाहन के संबंध में रोजनामचा नहीं रखा गया था। सभी ड्यूटी स्लिपें अवस्थान अवधि मध्य रात्रि से 24 घंटे की दर्शाती थीं। वाहन के अवस्थान का वास्तविक समय अभिलेखों में नहीं था। निष्प्रयोजनीय वाहन भी ड्यूटी स्लिपों में "प्रयोग में" में दर्शाए गए थे। ठेकेदारों द्वारा दिए गए किराए के वाहन 10 से 18 वर्ष पुराने थे और जल्दी जल्दी टूट जाते थे।

3.10.3 रोजनामचे:- पांच यूनिटों में मार्च 1988 और मार्च 1991 के बीच विभिन्न अवधियों के लिए 82 विभागीय वाहनों के रोजनामचों की किसी भी अधिकारी द्वारा जांच नहीं की गई थी। यात्रा का उद्देश्य और ब्यौरे अभिलेखों में नहीं थे। मासिक सारांश (गोशवेयर) तैयार नहीं किए गए थे अथवा गलत तैयार किए गए थे। कुछ वाहन एक लीटर पेट्रोल या डीजल से 112 और 453 कि मी के बीच चले दिखाए गए थे। माह के दौरान आहरित दिखाई गई पेट्रोल या डीजल की मात्रा और

पेट्रोल पम्पों से प्राप्त मासिक विवरणों में आपूर्त की गई दर्शाई गई पेट्रोल या डीजल की मात्रा में मिलान नहीं किया गया था।

3.11 माल खाने

जांच के दौरान पकड़ी गई सम्पत्ति सहित सम्पत्ति के भण्डारण के लिए प्रत्येक पुलिस स्टेशन को माल खाना रखना होता है। कुल मालखानों में पकड़ी गई सम्पत्तियां अस्तव्यस्थ ढंग से भण्डारित की गई थीं और छोटे कमरे या पुरानी बैरकें प्रयुक्त की गई थीं। ट्रक, कारें, दुपहिया और तिपहिया स्कूटर, साइकिल रिक्शा और साइकिलें अनेक वर्षों से खुले आंगन में पड़ी हुई थीं परिणामस्वरूप लाखों रुपयों का मूल्य ह्रास का नुकसान हुआ। उनको मालखाना में रखने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। शकरपुर पुलिस स्टेशन में 250 सीमेंट थैले 1981-82 से खुले आंगने में पड़े हुए थे इस प्रकार 32 गैस सिलेण्डर भी जो फरवरी 1982 तथा मार्च 1990 के बीच जब्त किए गए थे, पड़े थे।

कमला मार्केट पुलिस स्टेशन में 76 मामलों में अदालतों द्वारा निर्णीत सम्पत्तियाँ दावेदारों को नहीं दी गई थी।

3.12 अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण

दिल्ली पुलिस ने अपराध अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के लिए 1987 में 55.68 लाख रुपये के मूल्य का एक कम्प्यूटर खरीदा। यह अपराध डाटा के संग्रहण और प्रसार के लिए रा.अ.अ.बी.से सम्बन्धित जिलों और राज्यों की कम्प्यूटर पद्धति से जोड़ा जाना था। परन्तु योग्यता की कमी के कारण जोड़ने का कार्य नहीं किया गया है (सितम्बर 1991)।

3.13 मैनुअल

दिल्ली पुलिस नियम 1980 के प्रचालन तक पंजाब पुलिस नियमों का अनुपालन कर रही थी। खोसला कमीशन (1968) ने अनुशंसा की थी कि लगभग दस वर्ष की अवधि में दिल्ली पुलिस को अपना स्वयं का मैनुअल संकलित करना चाहिए। यह बताया गया था (जुलाई 1991) कि दिल्ली पुलिस मैनुअल के ड्राफ्ट अध्याय 1981 से 1983 के वर्षों के दौरान दिल्ली प्रशासन को भेजे गए थे लेकिन अभी तक अनुमोदित नहीं किए गए थे (सितम्बर 1991)।

3.14 अंतरिक लेखापरीक्षा

दिल्ली पुलिस में 32 आहरण और वितरण अधिकारियों के लेखाओं की प्रतिवर्ष आंतरिक लेखापरीक्षा की जानी अपेक्षित थी। केवल 19 युनिटों के लेखे मार्च 1991 को समाप्त पांच वर्षों के दौरान लेखापरीक्षित किए गए थे। आंतरिक लेखापरीक्षा के लक्ष्य नियत नहीं किए गए थे न ही आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए युनिटों की प्राथमिकता नियत की गई थी। दिल्ली पुलिस द्वारा मार्च 1990 के अंत तक आंतरिक लेखापरीक्षा की 105 टिप्पणियों पर कार्यवाही नहीं की गई थी।

3.15 लेखापरीक्षा में पाए गए अन्य बिन्दु

3.15.1 इन्दिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हवाई जहाज अपहरण निरोधी उपायों और परिसीमा सुरक्षा के लिए गए स्टाफ के व्यय के 8.39 करोड़ रुपये सिविल विमानन मंत्रालय और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण से वसूली के लिए लम्बित पड़े हुए थे। 50.52 लाख रुपये का दावा मा.अ.ह.अ.प्रा. द्वारा इस आधार पर कि केवल वेतन और भत्ता, छुट्टी वेतन तथा पेंशन अंशदान और प्रयुक्त गोला बारुद के मूल्य की प्रतिपूर्ति की जाएगी, रद्द कर दिया था। फरवरी 1990 में मा.अ.ह.अ.प्रा.ने निर्णय किया कि छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी यद्यपि, गृह मंत्रालय ने अक्टूबर 1989 में स्पष्ट कर दिया था कि यात्रा व्यय, आकस्मिकताएं जैसे कार्यालय व्यय, सामग्री और आपूर्तियां, मोटर वाहन तथा हवाई जहाज के अपहरण के निरोधी उपायों एवं परिसीमा सुरक्षा स्टाफ पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए। सभी प्रतिपूर्ति न किया गया व्यय दिल्ली पुलिस के बजट जो वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किया जा रहा है, से पूरा किया जा रहा है। प्रतिपूर्ति न किए जाने और गृह मंत्रालय तथा सिविल विमानन मंत्रालय के विचारों में अंतर के संबंध में वित्त मंत्रालय जो दोनों मंत्रालयों को बजट आबंटन स्वीकृत करती है, को निर्णय लेने की आवश्यकता है।

3.15.2 विभिन्न संस्थानों और प्राधिकारियों को दिए गए पुलिस गाड़ों का व्यय दिल्ली पुलिस अधिनियम के अंतर्गत वसूली योग्य है। दिल्ली विकास प्राधिकरण से 3.87 करोड़ रुपये, बैंक और हवाई अड्डा प्राधिकारियों से 41 लाख रुपये, दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका से 14 लाख रुपये तथा विदेशी एयरलाइनों से 2 लाख रुपये सहित मार्च 1991 के अंत तक विभिन्न निकायों और संगठनों से 5.44 करोड़ रुपये वसूली के लिए बकाया थे।

3.15.3 केन्द्रीय जिले में एक पुलिस स्टेशन में मार्च 1986 और मार्च 1988 के बीच 1.55 लाख रुपये का गबन किया गया था जिसमें से 1.38 लाख रुपये मालखाने में जमा कर दिए गए बताए गए

थे। हानि को उच्चतर अधिकारियों या लेखापरीक्षा अधिकारी को नहीं बताया गया था यद्यपि वित्तीय नियमों के अधीन इसकी अपेक्षा थी।

3.15.4 पुलिस विभाग द्वारा अप्रैल 1986 और मार्च 1991 के बीच अग्रिम धन या सुरक्षा जमा के रूप में 19.16 लाख रुपये की राशि के बैंक ड्राफ्ट भुनाए नहीं गए थे और धन सरकारी खाते से बाहर रहा। कालातीत हुए ड्राफ्ट कठिनता से प्रतिभूति थे। दिसम्बर 1986 और मार्च 1991 के बीच 4.14 लाख रुपये के बैंक ड्राफ्ट भी सरकारी खाते में क्रेडिट किए बिना इसी प्रकार से विभाग के पास पड़े हुए थे (मई 1991)।

3.15.5 दिसम्बर 1987 में 81,000 रुपये की लागत पर खरीदी गई एक खरीद टर्नर की कमी के कारण प्रयोग में नहीं लाई गई थी (जून 1991)।

3.15.6 दिसम्बर 1984 में खरीदा गया और एक बटालियन के नियंत्रण कक्ष में स्थापित किया गया एक रंगीन टेलीविजन सैट सितम्बर 1986 में चुरा लिया गया था और फरवरी 1987 में अखोजित बताया गया था। इसको अभी तक (अगस्त 1991) बट्टे खाते में नहीं डाला गया था।

मामले को गृह मंत्रालय और दिल्ली प्रशासन को नवम्बर 1991 में संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1992)।

विकास आयुक्त

4. परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण से पूर्व दोषपूर्ण योजना बनाना

दिल्ली में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के एक भाग के रूप में दिल्ली प्रशासन द्वारा कार्यान्वित "प्रथागत कृषि" योजना के अंतर्गत दिल्ली प्रशासन ने मार्च 1991 तक 5.69 लाख रुपये (अतिरिक्त उपकरणों की लागत को छोड़कर) की लागत पर बारह ट्रैक्टर प्राप्त किए थे जो किसानों को खेत जोतने में उपयोग करने के लिए उपलब्ध कराए जाने थे। इनमें से 1971 में चार ट्रैक्टर, 1974 में तीन, 1978 में चार तथा 1987 में एक ट्रैक्टर खरीदा गया था। यह योजना "न लाभ न हानि" के आधार पर चलाई जानी थी। वर्ष 1986-87 से 1990-91 के दौरान ट्रैक्टरों के उपयोग करने में किसानों को उपलब्ध कराई गई सेवाएं, ट्रैक्टरों के उपयोग से नियत लक्ष्य तथा उपलब्ध मशीन क्षमताएं नीचे दी गई हैं:-

वर्ष	क्षमता (घंटे)	नियत लक्ष्य (घंटे)	उपलब्ध (घंटे)	क्षमता की प्रतिशतता के अनुसार उपयोग
1986-87	7,780	5,000	2,118	27.22
1987-88	8,400	5,000	1,476	17.57
1988-89	8,400	5,000	1,694	20.17
1989-90	8,400	5,000	1,119	13.32
1990-91	8,400	5,000	1,608	19.14

इस बात का पता होने के बावजूद कि 11 ट्रैक्टरों की उपलब्ध क्षमता का पूर्णतः उपयोग नहीं किया जा रहा था, एक बेकार ट्रैक्टर के स्थान पर फरवरी 1987 में एक और ट्रैक्टर (1.13 लाख रुपये की लागत) खरीदा गया था।

विकास आयुक्त (वि आ) ने नवम्बर 1991 में बताया कि ट्रैक्टरों का उपयोग प्रत्याशित लक्ष्य से काफी कम था क्योंकि यह कार्य मौसमी था तथा कार्य के लिए उपलब्ध क्षेत्र टुकड़ों में बंटा हुआ था तथा ट्रैक्टरों के रास्ते इधर उधर के अनुक्रम में गांवों से दूर स्थित थे। आगे यह बताया गया था कि ट्रैक्टर चालक एवं मकैनिकों के दो पदों को समाप्त करके व्यय को कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे थे।

यद्यपि, योजना " न लाभ न हानि" के आधार पर चलाई जानी थी। वास्तव में यह हानि पर चल रही था जो कि मार्च 1991 को समाप्त पांच वर्षों के दौरान 21.18 लाख रुपये (निवेशित पूंजी पर ब्याज के अंश को छोड़कर) राशि की थी, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

(लाख रुपयों में)

वर्ष	कुल व्यय	कुल आय	हानि
1986-87	4.69	1.25	3.44
1987-88	4.78	0.84	3.94

1988-89	5.60	0.97	4.63
1989-90	5.71	0.74	4.97
1990-91	5.80	1.60	4.20
<hr/>			
जोड़	26.58	5.40	21.18
<hr/>			

वि आ ने नवम्बर 1991 में बताया कि योजना "न लाभ न हानि" के आधार पर नहीं चलाई जानी है। विभाग का यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि अभिलेखों से प्रकट हुआ है कि प्रारंभ में योजना "न लाभ न हानि" के आधार पर चलाई गई थी।

मामला सितम्बर 1991 में कृषि मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1992)।

5. पर्यवेक्षीय नियंत्रण के अभाव में सार्वजनिक निधियों का दुर्विनियोजन

वनस्पति संरक्षण योजना के अंतर्गत, किसानों को विभिन्न प्रकार के कीटनाशक "न लाभ न हानि" के आधार पर उपलब्ध कराए जाते हैं। आपूर्तियां, अलीपुर, नजफगढ़, नांलोई, महारौली तथा शाहदरा में खण्ड विकास अधिकारियों (ख वि अ) के माध्यम से खैबर पास पर एक वनस्पति संरक्षण सहायक के अधीन एक बिक्री डिपों से की जाती है।

कीटनाशकों की बिक्री, ख वि अ को भेजी गई तथा उनके द्वारा वापस की गई मात्रा पर उचित निगरानी नहीं की गई थी तथा 1988-89 तथा 1990-91 के वर्षों के अतिरिक्त प्रोफार्मा लेखे भी तैयार नहीं किए गए थे। 1974-75 से 9 सितम्बर 1987 तक खैबर पास के बिक्री डिपों की निगरानी एक व सं स द्वारा की गई थी। अक्टूबर 1987 में उसे व सं स के रूप में वापस तैनात किया गया था तथा अगस्त 1988 में उसे कार्यभार सौंपने के निर्देश दे दिए गए थे। व सं स ने सभी कीटनाशकों अथवा समस्त सम्बद्ध स्टॉक तथा बिक्री रजिस्ट्रों का चार्ज नए पदधारी को नहीं सौंपा तथा कुछ स्टॉक सितम्बर 1988 में सौंपा गया था जबकि स्टॉक तथा बिक्री रजिस्टर केवल मार्च 1989 में ही सौंपे गए थे।

स्टॉक तथा बिक्री रजिस्ट्रों से जुलाई 1989 तथा अप्रैल 1990 के बीच किए गए स्टॉक के प्रत्यक्ष सत्यापन से 1974-75 से 1988-89 से संबंधित 2.20 लाख रुपये के मूल्य के कीटनाशकों

की कमी का पता चला। कीटनाशकों की बिक्री प्राप्तियों से संदिग्ध गबन के 2.20 लाख रुपये में से, व सं स द्वारा जुलाई 1989 से दिसम्बर 1989 के दौरान 0.61 लाख रुपये की राशि जमा कराई गई थी। 1.59 लाख रुपये की शेष राशि वसूल नहीं की गई थी (अगस्त 1991)। व सं स द्वारा दुर्विनियोजन के विषय में विभाग द्वारा दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को अप्रैल 1990 में सूचित किया गया था। दिल्ली पुलिस द्वारा की गई पूछताछ का परिणाम प्रतीक्षित है।

वनस्पति संरक्षण अधिकारी की व सं सं के कार्य पर नियंत्रण तथा स्टॉक के आवधिक सत्यापन करने में असफल रहने से दुर्विनियोजन से बचने अथवा उसका पहले पता न लगाने के कारण 1.59 लाख रुपये की हानि हुई।

मामला कृषि मंत्रालय तथा दिल्ली प्रशासन को सितम्बर 1991 में भेजा गया था। मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 1991) कि राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र के प्राधिकारियों द्वारा कीटनाशकों की प्राप्ति तथा बिक्री के क्रियाविधिक पहलू उनके क्षेत्र में नहीं आते थे तथा इस विषय में वे कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते थे। दिल्ली प्रशासन से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1992)।

6. कीटनाशी लाइसेंसों का नवीनीकरण न किया जाना

कीटनाशी अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्मित कीटनाशी नियम, 1971 के अनुसार किन्हीं कीटनाशियों को बनाने, बेचने स्टॉक करने अथवा प्रदर्शित करने के इच्छुक व्यक्तियों के लाइसेंस द्वारा नियमन की अनुमति दी गई है। लाइसेंसों का प्रत्येक दो वर्षों के पश्चात नवीनीकरण किया जाता है।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया था (अप्रैल से जुलाई 1991) कि दिसम्बर 1983 से मार्च 1991 की अवधि के दौरान 845 लाइसेंस जो नवीनीकरण के लिए देय हो चुके थे का नवीनीकरण नहीं कराया गया था जिसके परिणामस्वरूप लाइसेंस तथा सुरक्षा उलझनों द्वारा नियमन में असफल रहने के अतिरिक्त 2.43 लाख रुपये के लाइसेंस शुल्क की वसूली नहीं की जा सकी। उसी प्रकार, उन प्रतिष्ठानों, जो कि बिना लाइसेंस के व्यापार कर रहे थे, पर 7.42 लाख रुपये का अर्धदण्ड लगाया जा सकता था परन्तु अर्धदण्ड नहीं लगाया गया था। लाइसेंसधारियों के परिसरों का कोई निरीक्षण नहीं किया गया था।

मिथ्या कीटनाशकों पर रोक लगाने के लिए, कीटनाशक, निरीक्षक द्वारा नमूनों की उचित कीमत चुकाने के पश्चात उससे नमूनें ले लिए जाते हैं। नमूनें का एक भाग तो उसको वापस दिया जाता है जिससे यह लिया गया था, एक भाग कीटनाशक विश्लेषक को जांच के लिए भेज दिया जाता है तथा तीसरा भाग यदि कीटनाशक के विषय में न्यायालय में कोई कार्यवाही प्रारंभ होती है तो उसके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए रख दिया जाता है।

1986-87 से 1990-91 के वर्षों के दौरान एकत्र किए गए 770 नमूनों की लागत के प्रति कीटनाशकों के निर्माताओं तथा उन्हें बेचने वाले प्रतिष्ठानों को 1.16 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया था। 688 मामलों में, कीटनाशक विश्लेषक की रिपोर्टें, अनुकूल थीं। तथापि, मुख्यालय पर तथा अलीपुर, नजफगढ़, नांगलोई, महरौली तथा शाहदरा में विभाग के बिक्री डिपुओं के माध्यम से कीटनाशकों को परचून में बेचने की कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप विभाग को 71,000 रुपये की हानि हुई। 29,000 रुपये मूल्य के 458 नमूनों की प्रयोग अवधि समाप्त हो गई थी।

विकास आयुक्त (वि. आ.) ने बताया (नवम्बर 1991) कि चूंकि प्रशासनिक कारणों से अपेक्षित स्टाफ स्वीकृत नहीं किया जा सका, इसलिए लाइसेंसों के नवीनीकरण तथा लाइसेंसों के निरीक्षण के लिए समय पर कार्यवाही नहीं की जा सकी। विश्वसनीयता से सहसम्बद्ध लाइसेंसों की अवधि तथा लाइसेंसधारी द्वारा लगाए गए योग्यताप्राप्त व्यक्तियों की संख्या तथा लम्बी अवधि के लाइसेंसों पर उपयुक्त शुल्क वसूल करने में भिन्नता से बेहतर सुरक्षा तथा निरीक्षण के लिए कम स्टाफ के साथ परिसरों के निरीक्षणों की कम आवश्यकता होती।

वि आ ने भी बताया कि विभाग के पास 35,000 रुपये मूल्य के 658 नमूने (केवल एक तिहाई भाग) सरकारी फार्मों में लगा दिए जाएंगे या किसानों को बेच दिए जायेंगे।

मामला कृषि मंत्रालय को सितम्बर 1991 में भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1992)।

7. योजना का घटिया नियोजन एवं कार्यान्वयन

कृषि रसायनों तथा जहरीले खरपतवार के कारण पर्यावरणीय प्रदूषण के नियन्त्रण की एक योजना दिल्ली प्रशासन द्वारा बनाई गई थी जिसका 1984-85 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदन किया गया था। योजना के अंतर्गत कीटनाशक अवशेषों की जांच करने के लिए खाद्यपदार्थों की जांच तथा विश्लेषण, बाजार में बेचे गए कीटनाशकों की गुणवत्ता की जांच, तथा कीड़ा महामारी की निगरानी तथा पार्थीनियम खरपतवार का नियंत्रण शामिल था।

1984-85 से 1990-91 के वर्षों के दौरान प्रदान की गई निधियां तथा व्यय निम्न प्रकार से था:

वर्ष	प्रदान की गई निधियां (लाख रुपयों में)	वास्तविक व्यय
------	--	---------------

1984-85	3.03	3.03
1985-86	12.00	0.10
1986-87	10.00	0.40
1987-88	11.00	0.98
1988-89	10.00	1.50
1989-90	10.00	1.50
1990-91	2.00	1.50

जोड़	58.03	9.01
------	-------	------

केवल पार्थीनियम के माप से संबंधित खरपतवार का नियंत्रण तथा सब्जियों में कीटनाशक अवशेषों की जांच ही कार्यान्वित किए गए थे।

1985-86 से 1990-91 के वर्षों के दौरान निर्धारित लक्ष्य तथा उपलब्धियां निम्न प्रकार से थीं:

वर्ष	खाद्य पदार्थों आदि के नमूने		निगरानी		खरपतवार का नाशन	
	लक्ष्य	उपलब्धियां (संख्या में)	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां (हैक्टेयरों में)
1985-86	50	45	सभी फसलें	शून्य	800	शून्य
1986-87	200	76	-वहीं-	शून्य	800	546
1987-88	500	15	-वहीं-	शून्य	2,000	2,187
1988-89	500	161	-वहीं-	शून्य	2,000	840
1989-90	600	120	-वहीं-	शून्य	2,000	2,000
1990-91	125	129	-वहीं-	शून्य	2,000	1,803
जोड़	1,975	546		शून्य	9,600	7,376

इस प्रकार कीटनाशक अवशेषों की जांच के लिए 1985-86 से 1990-91 के वर्षों के दौरान लिए जाने वाले 1975 नमूनों के लक्ष्य के प्रति केवल 546 नमूने लिए गए थे तथा उनकी जांच की गई थी। पार्थीनियम खरपतवार का नाश केवल 77 प्रतिशत क्षेत्र में किया गया था। परन्तु लक्ष्य निर्धारित करने से पूर्व दिल्ली में पार्थीनियम खरपतवार के क्षेत्र का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था जिसका केवल अवलोकन के आधार पर अनुमान लगाया गया था। विकास आयुक्त (वि आ) ने बताया (नवम्बर 1991) कि योजना के कार्यान्वयन से पूर्व व्यवस्थित सर्वेक्षण स्टाफ की कमी के कारण नहीं किया जा सकता।

खरपतवार को नाश करने के लिए मार्च 1988 से अक्टूबर 1988 की अवधि के दौरान 1.16 लाख रुपये की लागत पर 1200 लीटर खरपतवार नाशक खरीदे गए थे। मार्च 1991 तक केवल 135 लीटर खरपतवार नाशक ही प्रयोग में लाए गए थे। 1.03 लाख रुपये मूल्य के शेष 1065 लीटर खरपतवार नाशक अप्रयुक्त रहे। आगे, मार्च 1986 में खरीदे गए 0.79 लाख रुपये मूल्य के 131 फुहार उपकरणों में से 0.39 लाख रुपये मूल्य के 64 उपकरण पिछले पांच वर्षों से प्रयोग में नहीं लाए गए थे (जैसा कि जुलाई 1991 की लेखापरीक्षा में देखा गया)।

वि आ ने आगे बताया (नवम्बर 1991) कि सब्जियों में विषैले रसायनों आदि की जांच के लिए उन्नत तकनीक तथा परिष्कृत प्रयोगशाला तथा उपकरण की आवश्यकता थी। फालतू खरपतवार नाशकों के विषय में परियोजना अधिकारी ने बताया कि उनका 1991-92 तथा 1992-93 में प्रयोग किया जाएगा तथा स्पेस उपकरणों का प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रों में वनस्पति संरक्षण के कार्य के लिए किया जा रहा था।

योजना का नियोजन तथा निष्पादन लक्षित क्षेत्र सहसम्बद्ध नहीं किया गया था। भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्य उचित रूप से निर्धारित तथा प्राप्त नहीं किए गए थे।

मामला सितम्बर 1991 में कृषि मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1992)।

8. स्लज आपूर्ति योजना

दिल्ली में गहन कृषि जिला कार्यालय के भाग के रूप में एक स्लज आपूर्ति योजना कार्यान्वित की गई थी। लेखापरीक्षा में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक, संघ सरकार (सिविल) के वर्ष 1979-80 के प्रतिवेदन के पैराग्राफ 8(3) के परिणामों के अनुसार, मंत्रालय ने अक्टूबर 1980

में बताया था कि दिल्ली प्रशासन हानियों को घटाने के प्रयास कर रहा था तथा प्रोफार्मा लेखे अनुरक्षित किए जाएंगे।

मई-जून 1991 में की गई योजना के अभिलेखों की जांच परीक्षा से प्रकट हुआ कि 1984-85 से 1990-91 के वर्षों के दौरान योजना के कार्य में 60.47 लाख रुपये का घाटा था जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

वर्ष	कुल व्यय	कुल प्राप्तियां	घाटा	व्यय में हानि की प्रतिशतता (लाख रुपयों में)
1984-85	16.25	10.38	5.87	36
1985-86	21.81	14.71	7.10	33
1986-87	25.30	16.52	8.78	35
1987-88	27.11	15.43	11.68	43
1988-89	29.15	17.00	12.15	42
1989-90	34.90	28.97	5.93	17
1990-91	39.17	30.21	8.96	23
जोड़	193.69	133.22	60.47	31

स्लज को बेचने की दर उस मूल्य, जो यदि उसके अधिग्रहण तथा संवितरण, निवेशित पूंजी पर ब्याज, मूल्यहास तथा खरीदे गए ट्रकों की लागत पर ब्याज पर किए गए व्यय पर आधारित जितना होगा, से कम मूल्य पर नियत किया गया है। विभाग द्वारा 1984-85 से 1990-91 तक के वर्षों के दौरान समय समय पर नियत की गई विक्रय दरें निम्न प्रकार थीं:-

अवधि	किसानों के लिए		गैर किसानों के लिए		
	6 टन	3 टन	6 टन	3 टन	1 टन (टैपों)
4 अगस्त 1984 से	380 रु.	200 रु.	500 रु.	260 रु.	110 रु.
14 फरवरी 1991					
15 फरवरी से आज की तिथि तक	450 रु.	250 रु.	650 रु.	325 रु.	150 रु.

1988-89 से 1990-91 के वर्षों के दौरान स्लज के उपयोग कर्ताओं का श्रेणीकरण तथा उनको आपूर्त स्लज की मात्रा निम्न प्रकार थी:-

वर्ष	किसान	किचन गार्डन तथा फार्म	सरकारी विभाग	जोड़
(टनों में)				
1988-89	8,319	2,775	13,482	24,576
1989-90	18,348	2,364	11,553	32,265
1990-91	15,411	3,447	12,450	31,308

स्पष्ट रूप से प्रशासन के राजस्व को बढ़ाने के लिए विभाग में वाणिज्यिक विपणन प्रणालियों का प्रयोग नहीं किया जा रहा था।

विकास आयुक्त (वि आ) ने बताया नवम्बर 1991 कि योजना "न लाभ न हानि" के आधार पर नहीं चलाई जा रही थी। अधिग्रहण की लागत तथा स्लज के संवितरण के आधार पर नियत की गई दर बहुत अधिक होगी। किसान अपने खेतों में उपयोग हेतु स्लज खरीदने में समर्थ नहीं हो सकते। तथापि, वि आ ने कहा कि यथासमय दरों में संशोधन किया जाएगा। परन्तु अभिलेखों से प्रकट हुआ कि मूलतः योजना "न लाभ न हानि" के आधार पर अनुमोदित की गई थी।

31 मार्च 1991 को विभाग के पास संयंत्रों से स्लज उठाकर उसकी उपभोक्ताओं के पास आपूर्ति करने के लिए एक बेकार ट्रक को छोड़कर 17 ट्रकों (लागत 28.09 लाख रुपये) का एक फ्लीट था। ट्रकों को चलाने तथा मरम्मत तथा अनुरक्षण की देखभाल करने के लिए 12 ट्रक चालक, 9 क्लीनर, 3 मकैनिक, 4 फिटर एक कार्यमिस्त्री, एक आटो इलैक्ट्रिशियन, एक वैल्डर तथा एक मकैनिक पर्यवेक्षक थे। लेकिन 1988-89 से 1990-91 के दौरान वर्ष में 200 दिनों के लिए प्रति ट्रक प्रतिदिन 3 ट्रिप्स की दर पर परिकल्पित 2.06 लाख टन स्लज उठाने की उपलब्ध क्षमता के प्रति वास्तव में उठाई गई मात्रा केवल 0.88 लाख टन थी। निम्नलिखित तालिका 1988-89 से 1990-91 तक के वर्षों के दौरान दर्ज की गई मांग तथा नियत लक्ष्य की तुलना में वास्तव में आपूर्त किए गए स्लज की मात्रा को दर्शाती है:-

वर्ष	ट्रकों की क्षमता	नियत लक्ष्य	दर्ज की गई मांग	आपूर्त की गई मात्रा
		(टनों में)		
1988-89	80,106	40,000	27,978	24,576
1989-90	70,782	40,000	33,471	32,265
1990-91	55,338	40,000	32,652	31,308

वि आ ने बताया (नवम्बर 1991) कि लक्ष्यों की उपलब्धि ट्रकों के पुराने तथा कमजोर फ्लीट मलजल अभिक्रिया संयंत्रों में सूखे स्लज उपलब्ध न होने, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कार्य करने की स्थितियों आदि के कारण नहीं हुई थी।

विभाग ने मई 1990 में एक पुराने ट्रक के प्रतिस्थापन में 3.67 लाख रुपये का 6 टन की क्षमता वाला एक नया ट्रक खरीदा। 1989-90 के दौरान विभाग के पास 18 ट्रकों (एक बेकार ट्रक सहित) के फ्लीट के प्रति औसतन केवल 11 ट्रक ही उपयोग में लाए गए थे। मार्च 1986 में विभाग ने किचन गार्डन मालिकों द्वारा की गई स्लज की मांग को पूरा करने के लिए 1.01 लाख रुपये का एक दोहरा केबिन पिक अप ट्रक खरीदा। इस ट्रक की एक दिन में 3 ट्रिप लगाने तथा प्रतिदिन 150 रुपये अर्जित करने की आशा थी। तथापि, ट्रक ने 1986-87 से 1990-91 के दौरान, 3600 ट्रिपों के लक्ष्य के प्रति केवल 845 ट्रिप ही लगाए थे। उपभोक्ताओं को स्लज की आपूर्ति करने में भी विलम्ब हुआ था। जांच परीक्षा से प्रकट हुआ कि वर्ष 1989-90 के दौरान आपूर्त स्लज के कुल 32,265 टनों में से 7032 टन मांग के 1 से 3 माह के भीतर, 3,228 टन 3 से 6 माह के बाद तथा 378 टन 6 माह की मांग के बाद आपूर्त किया गया था। वि आ ने बताया (नवम्बर 1991) कि 18 ट्रकों के प्रति 11 ट्रकों का उपयोग करना 12 ट्रकों, जोकि 10 से अधिक वर्षों से पुराने थे तथा 3 लाख कि मी से अधिक दूरी पूरी कर चुके थे, का जल्दी जल्दी मरम्मत किए जाने के कारण था।

मामला सितम्बर 1991 में कृषि मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1992)।

9. बेकार उपकरण तथा कार्यान्वित न की गई योजनाएं

(i) विकास विभाग के अधीन बीज जांच प्रयोगशाला को मजबूत बनाने की एक योजना के अंतर्गत जून 1985 में 1.80 लाख रुपये के मूल्य का उपकरण खरीदा गया था। इससे बीज अधिनियम के अंतर्गत प्रयोगशाला के कार्यों को निष्पादित करने तथा प्रतिवर्ष 3000 से 4000 बीज नमूनों की शुद्धता, आद्रता, अंकुरण की गति तथा पेथोजेन्स से रहित होने की जांच करने के लिए उसकी सहायता करना था। उपकरण को उसकी अधिप्राप्ति के समय से ही उपयोग में नहीं लाया गया था।

मंत्रालय तथा दिल्ली प्रशासन द्वारा 1988-89 से 1990-91 के वर्षों के दौरान प्रयोगशाला को जारी किए गए 7.80 लाख रुपये में से 4.23 लाख रुपये जनशक्ति पर अप्रयुक्त रहे।

(ii) बागवानी विभाग को 1985-86 से 1988-89 वर्षों के दौरान "परख नली" में बागवानी पौधों को बढ़ने में सहायता देने के लिए एक टिशू कल्चर प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए 3.50 लाख रुपये आबंटित किए गए थे। विभाग ने उपकरण तथा औजारों की खरीद पर 2.45 लाख रुपये खर्च किए। 1988-89 से कोई व्यय नहीं किया गया था। टिशू कल्चर प्रयोगशाला दिसम्बर 1991 तक स्थापित नहीं की गई थी।

विभाग ने बताया कि धीमी प्रगति स्टाफ, भूमि तथा भवन की अनुपलब्धता के कारण थी। इसी बीच खरीदे गए उपकरणों में से कुछ की एक वर्ष की गारंटी अवधि मार्च 1989 में समाप्त हो गई थी।

अपर्याप्त योजना बनाने तथा उपकरण के लिए आधारभूत सुविधाएं प्राप्त हो सकने से पहले निधि जारी करने के कारण उपकरणों पर किया गया 2.45 लाख रुपये का निवेश बेकार पड़ा है।

मामला अगस्त सितम्बर 1991 में कृषि मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1992)।

10. गांव पंचायतों से ऋण तथा ब्याज की वसूली न होना

दुकानों तथा बस स्टापों जैसी लाभकारी परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु गांव पंचायतों को ऋण प्रदान करने की एक योजना के अंतर्गत, विभाग ने 1974-75 से 1980-81 के वर्षों के दौरान 101 गांव-पंचायतों को 10.10 लाख रुपये की राशि के ऋण दिए। इसमें से 1979-80 से 1982-83 तक 5.06 लाख रुपये मूल राशि के प्रति तथा (0.35 लाख रुपये ब्याज के प्रति) वसूल किए गए थे। मूल राशि में से 5.04 लाख रुपये का शेष वसूल नहीं किया गया था (सितम्बर 1991) तथा पंचायत

निदेशालय प्रत्येक पंचायत से प्राप्त राशि (जुलाई 1991) अथवा देय ब्याज को सूचित नहीं कर सका। निदेशालय द्वारा लाभकारी परिसम्पतियों के विवरण की सूची भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई जा सकी।

निदेशालय ने सितम्बर 1991 में बताया कि योजना का प्रत्युत्तर ढीला था, अतः 1984-85 के पश्चात इसे बंद कर दिया गया था। योजना का अनुश्रवण तथा अभिलेखों का अनुरक्षण निदेशालय में पद भार के भार के बार बार परिवर्तन के कारण सुनिश्चित नहीं किया गया था। खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से बकाया ऋण की वसूली के प्रयास किए जा रहे थे।

मामला कृषि मंत्रालय तथा दिल्ली प्रशासन को अगस्त 1991 में भेजा गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1992)।

दिल्ली उपायुक्त

11. सरकारी धन का दुर्विनियोजन

एक आहरण एवं वितरण अधिकारी (आ वि अ) ने 1984 के दंगापीड़ितों, पंजाब के प्रवासियों तथा प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिए अग्रिमों का आहरण किया। व्यय के लेखे अग्रिम के आहरण की तिथि से एक माह के भीतर ब्यौरेवार बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान तथा लेखाधिकारी (भु ले अ) को प्रस्तुत किए जाने थे। परन्तु आ वि अ ने 1984-85 से 1987-88 के वर्षों की अवधि के लिए 30.29 लाख रुपये की राशि के अग्रिमों के लिए भु ले अ को लेखे प्रस्तुत नहीं किए। संबंधित खजान्ची को कार्यभार देने के लिए कहा गया था तथा 3 फरवरी 1989 को एवजी तैनात किया गया था।

पिछले खजान्ची ने 8 मार्च 1989 को कैश बुक बंद की परन्तु 4,13,717.90 रुपये की राशि का नकद शेष नए पदधारी को नहीं सौंपा गया था, यद्यपि इसे नकद शेष के रूप में कैश बुक में दर्शाया गया था। नए खजान्ची के ध्यान में आया कि 2,14,11,350.63 रुपये के आहरित अग्रिमों के समायोजन अभी तक लम्बित हैं तथा नकद शेष के रूप में उपलब्ध नहीं थे तथा उन्हें लेखाबद्ध किया जाना था। पुराने खजान्ची ने बाद में जून 1989 तथा अगस्त 1990 के बीच विस्तृत बिल प्रस्तुत करके 1,84,10,653 रुपये के लेखाबद्ध किए। 34,14,415.53 रुपये के न सौंपे गए अग्रिम शेष तथा नकद शेष अभी तक लेखाबद्ध नहीं किए गए थे (अगस्त 1991)।

अस्थायी अग्रिम रजिस्टर जिसमें अधिकारियों, को 2,14,11,350.63 रुपये की राशि के दिए गए अग्रिमों को दर्शाया जाना चाहिए था, लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था।

दिसम्बर 1989 में खजान्ची को निलम्बित कर दिया गया था तथा सरकारी धन के दुर्विनियोजन तथा आहरित अग्रिमों के लेख के प्रस्तुत न करने पर पुलिस के पास प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (प्रा सू रि) जून 1990 में दर्ज कराई गई थी। पुलिस की जांच का परिणाम प्रतीक्षित है (अक्टूबर 1991)।

निम्नलिखित अनियमितताओं से सरकारी धन का दुर्विनियोजन हुआ:

- (i) 17 जनवरी 1985 से कैश बुक की प्रविष्टियों की न तो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जांच की गई थी और न ही कैश बुक लिखने वाले के अतिरिक्त किसी अधिकारी से उनकी जांच करायी गई थी।
- (ii) कैश बुक को बंद करते समय, अवितरित राशि के ब्यौरे उसमें दर्ज नहीं किए गए थे।
- (iii) कार्यालयाध्यक्ष ने एक बार 29 जुलाई 1989 के अतिरिक्त कैश बुक में दर्शाए गए नकद शेष का कमी भी सत्यापन नहीं किया था।
- (iv) 3 से 6 लाख रुपये की दैनिक औसत आवश्यकता के प्रति नकद शेष 25.61 लाख रुपये से 1.53 करोड़ रुपये के बीच था। खजांची द्वारा रोकी गई इतनी बड़ी राशियां तथा आ तथा वि अधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण का अभाव, नियमों के विपरीत था।

सरकारी धन की हानि के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों पर उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई थी।

मामला गृह मंत्रालय तथा दिल्ली प्रशासन को सितम्बर 1991 में भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1992)।

सिविल रक्षा तथा होम गार्ड निदेशालय

12. ब्लैक आऊट नियंत्रण पर अपव्यय

रक्षा उपाय के रूप में 1968 में दिल्ली प्रशासन के अंतर्गत सिविल रक्षा नियंत्रण कक्ष (सि र नि क) से दिल्ली में (ब्लैक आऊट) विद्युत आपूर्ति के स्विच खोलने तथा बंद करने के एक तरीके को डिजाइन करने का निर्णय लिया गया था।

एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सा क्षेत्र उ) को इस उद्देश्य के लिए उपकरण बनाने के लिए कहा गया था। परीक्षण करने के बाद 1972 में उपकरण का अनुमोदन कर दिया गया था। यह निर्णय लिया गया था कि प्रथम चरण में उपकरण द्वारा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (दि वि प्र सं) तथा नई दिल्ली नगरपालिका (न दि न पा) के 200 उप केन्द्र नियंत्रित किए जाएंगे। तदनुसार सा क्षेत्र उ के समक्ष उपकरण के लिए आवश्यक आदेश अक्टूबर 1972 में प्रस्तुत किए गए थे।

उपकरण की आपूर्ति करने में सा क्षेत्र उ को आंतरिक तार लगाने तथा जोड़ने, परीक्षण तथा चालू करने के कार्य की जिम्मेवारी लेनी थी। दिल्ली में उनके उप स्टेशनों पर अनुपूरक उपकरण का प्रापण तथा प्रतिष्ठापन दि वि प्र सं द्वारा किया जाना था। इसी प्रकार नई दिल्ली क्षेत्र में उप स्टेशनों में उपकरण का प्रापण तथा प्रतिष्ठापन न दि न पा द्वारा किया जाना था। डा ता विभाग दिल्ली को उप स्टेशनों को जोड़ने के लिए अपेक्षित किराए पर भूमिगत दूरभाष तारें उपलब्ध कराने का कार्य सौंपा गया था। सिविल रक्षा तथा होम गार्ड निदेशालय द्वारा मार्च 1974 तथा फरवरी 1984 के बीच निम्नलिखित निधियां प्रदान की गई थीं:-

क्र सं.	एजेंसी का नाम	किया गया व्यय (लाख रुपयों में)	व्यय की अवधि
1	सा क्षेत्र उ	9.30	मार्च 1974 से मार्च 1982
2	दि वि प्र सं	2.13	मार्च 1977
3	न दि न पा	1.15	मार्च 1977
4	डा एवं ता	6.95	मार्च 1978 से फरवरी 1984

1974 में ब्लैक आऊट उपकरण प्राप्त हुआ था तथा न दि न पा द्वारा 1980 में अपने उप स्टेशनों में 55 नियंत्रण पैनल प्रतिष्ठापित किए गए थे। दि वि प्र सं द्वारा मई 1977 तक उपकरण अधिप्राप्त करके अधिकांश नियंत्रण केन्द्रों में नियंत्रण कक्षक प्रतिष्ठापित किए गए थे। यद्यपि डाक तार विभाग को अपेक्षित दूरभाष तार उपलब्ध कराने के लिए 7.95 लाख रुपये दिए गए थे, लेकिन डा. ता. विभाग द्वारा दूरभाष तार के जोड़े उपलब्ध न कराए जाने के कारण योजना का परिचालन नहीं हुआ। दि वि प्र सं ने मार्च 1985 में सिविल रक्षा प्राधिकारियों को एक पैरलल नियंत्रण देने का अनुरोध किया।

अप्रैल 1986 में गृह मंत्रालय ने दिल्ली प्रशासन, जिसने उपकरण की अधिप्राप्ति को वित्तपोषित किया था, की सहमति के अनुसार दि वि प्र सं को नियंत्रण सौंपने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। सहमति जुलाई 1987 में दी गई थी। तथापि, दि वि प्र सं द्वारा सि र नि क से उपकरण लेने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। इसी बीच उपकरण पुराना हो गया तथा विद्युत उप स्टेशनों की संख्या में वृद्धि होने के कारण प्रतिष्ठापित नहीं किया जा सका। ऊर्जा विभाग भी दिल्ली में इसी तरह की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्वीडिश तकनीकी सहायता से एक तरंग प्रणाली तैयार कर रहा था। अतः दिसम्बर 1990 में उपकरण को किसी अन्य शहर, जहां इसको उपयोग में लाया जा सके, में स्थानांतरित करने की संभाव्यता की छानबीन करने का निर्णय लिया गया था। सा क्षे उ ने सर्वेक्षण करने के बाद दिसम्बर 1990 में बताया कि कुछ उपकरणों के टूटने या लापता होने की आशा थी तथा इसलिए उपकरणों की पूर्ण जांच की जाए। अप्रैल 1991 में सा क्षे उ को जांच के लिए 0.25 लाख रुपये का शुल्क दिया गया था तथा निरीक्षण कार्य प्रगति पर था (सितम्बर 1991)।

इस प्रकार प्रभावकारी तथा उद्देश्यपूर्ण योजना के अभाव में, विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच कार्यान्वयन तथा समन्वयन के कारण 19.53 लाख रुपये का व्यय करने के बाद तथा 16 वर्षों के बाद तक ब्लैक आऊट नियंत्रण सुविधा का परिचालन नहीं हुआ।

मामला गृह मंत्रालय तथा दिल्ली प्रशासन को अक्टूबर 1991 में भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1992)।

शिक्षा निदेशालय

13. निधियों का समय से पूर्व जारी किया जाना

दिल्ली प्रशासन ने कश्मीरी गेट पर एक संग्रहालय के लिए 22 एकड़ भूमि के आबंटन के लिए जनवरी, 1989 में शहरी विकास मंत्रालय को सिफारिश की। मार्च 1989 में, दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली शहर संग्रहालय का कार्य 495 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर साहित्य कला परिषद (परिषद) को सौंपा। कश्मीरी गेट पर जनवरी 1989 में दिल्ली प्रशासन द्वारा शहरी विकास मंत्रालय से प्राप्त 22 एकड़ भूमि में से, 7 एकड़ भूमि दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास थी, 9 एकड़ भूमि दिल्ली नगर निगम के नियंत्रणाधीन थी, तथा शेष 6 एकड़ भूमि विद्युत प्रदाय संस्थान तथा दिल्ली

प्रशासन के पास थी। परिषद को भूमि उपलब्ध कराने से पूर्व, शिक्षा निदेशालय ने संग्रहालय के निर्माण हेतु 31 मार्च 1990 को परिषद को 98.50 लाख रुपये का अनुदान जारी किया। बदले में परिषद ने 31 मार्च 1990 को संग्रहालय के निर्माण कार्य को जमा निर्माण कार्य के रूप में लेने के लिए राशि का दिल्ली के लोक निर्माण विभाग (लो नि वि) को भुगतान कर दिया। निर्माण कार्य दिसम्बर 1990 में प्रारंभ तथा दिसम्बर 1992 तक पूरा किया जाना था।

98.50 लाख रुपये के जमा में से जून 1991 तक लो नि वि द्वारा केवल 2.11 लाख रुपये (वास्तुकार का शुल्क 1.63 लाख रुपये, सर्वेक्षण: 0.22 लाख रुपये, तथा विभागीय प्रभार 0.26 लाख रुपये) का व्यय किया गया था।

परिषद ने मार्च 1991 में बताया कि लो नि वि के पास जमा कराई गई निधियां, मुख्य सचिव, दिल्ली प्रशासन की अध्यक्षता में 2 मार्च 1990 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुक्रम में थीं।

लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यकता से बहुत पूर्व निधियों का जारी किया जाना वित्तीय नियमों के विपरीत था।

मामला सितम्बर 1991 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा दिल्ली प्रशासन को भेजा गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1992)।

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय

14. विद्यालय स्वास्थ्य योजना

दिल्ली के यमुना पार क्षेत्र में लगभग 53000 बच्चों के लिए एक विद्यालय स्वास्थ्य योजना (वि स्वा यो) एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में 1979 में शुरू की गई थी। बच्चों को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जानी थी:

- स्वास्थ्य समीक्षा
- रोगक्षमताकरण
- उपचारी सेवाएं
- विशेषज्ञ सेवाएं
- परामर्श सेवाएं
- स्वास्थ्य सेवाएं
- उपबोधन सेवाएं
- पर्यावरणीय स्वास्थ्य तथा सफाई

छठी योजना अवधि (1980-85) में प्रत्येक क्लिनिक में एक डाक्टर, एक नर्स, एक फार्मासिस्ट तथा दो परिचरों से सन्निहित विद्यालय स्वास्थ्य क्लिनिक प्रारंभ किए गए थे तथा छठी योजना अवधि के अंत तक 64 क्लिनिक खोले गए थे। इसके अतिरिक्त परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए ई एन टी तथा आंख विशेषज्ञ प्रत्येक के पांच पद, दंत्य सर्जनों के 8 पद, स्वास्थ्य सेवाओं का एक उप निदेशक तथा सहायक अराजपत्रित स्टाफ मार्च 1981 तथा अक्टूबर 1982 में स्वीकृत किया गया था। विशेषज्ञों के पद मार्च 1984 से मई 1991 तक धीरे धीरे भर दिए गए थे परन्तु दंत्य सर्जनों के 6 पद तथा आंख तथा ई एन टी विशेषज्ञों का एक एक पद अभी भी खाली पड़े थे (दिसम्बर 1991)। एक क्लिनिक में एक वर्ष में 5000 विद्यार्थियों को सेवाएं दी जानी थी।

छठी योजना अवधि (1980-85) के अंत तक इस योजना के अंतर्गत 100 क्लिनिकों में 5 लाख बच्चों को सेवाएं प्रदान की जानी थी परन्तु छठी योजना अवधि के अंतिम वर्ष के अंत तक 64 क्लिनिकों द्वारा केवल 3.42 लाख विद्यार्थियों को ही ये सेवाएं प्रदान की गई थी।

सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1985-90) के दौरान कोई भी अतिरिक्त क्लिनिक नहीं खोले गए थे। सातवीं योजना अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत जिन विद्यार्थियों ने सेवाएं प्राप्त की उनकी संख्या 1984-85 में 3.42 लाख से 1990-91 में 0.78 लाख तक घट गई। विशेषकर मार्च 1991 को समाप्त तीन वर्षों के दौरान विद्यार्थियों की कवरेज बहुत कम थी। स्वास्थ्य क्लिनिकों पर स्टाफ के वेतन, औषधियों आदि पर व्यय तथा 1985-86 से 1990-91 के दौरान सेवाएं प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या के वार्षिक विवरण नीचे दिए जा रहे हैं:-

वर्ष	वेतन तथा औषधि वाहन सहित कुल व्यय बच्चों की			स्कूली बच्चों की		
	अन्य व्यय पर व्यय	अन्य मदें	संख्या जिन्हें सेवाएं दी जानी थी	संख्या जिन्हें सेवाएं प्रदान की गई	(लाखों में)	
	(लाख रुपयों में)					
1985-86	52.75	12.79	0.18	65.72	3.20	1.02
1986-87	72.64	11.83	2.75	87.22	3.20	1.91
1987-88	95.68	14.22	4.60	114.50	3.20	1.88

1988-89	117.98	29.59	4.49	152.06	3.20	0.53
1989-90	131.43	24.81	1.04	157.28	3.20	1.03
1990-91	130.97	34.31	0.42	165.70	3.20	0.78
<hr/>						
जोड़	601.45	127.55	13.48	742.48	19.20	7.15
<hr/>						

1985-86 से 1990-91 के वर्षों के दौरान विद्यार्थियों की कवरेज में कमी विद्यालय स्वास्थ्य क्लिनिकों द्वारा विद्यार्थियों की कवरेज में कमी (i) डाक्टरों के पदों को न भरे जाने; (ii) 23 जुलाई 1988 से 31 दिसम्बर 1988 तक झुग्गी झोपड़ी समुदाय तथा पुनर्वास कालोनियों में हैजा महामारी के नियंत्रण पर जनशक्ति के प्रविस्तार; (iii) 1990-91 में झुग्गी झोपड़ी समुदाय में 40 चल स्वास्थ्य क्लिनिकों के माध्यम से लगभग 10 लाख लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए वि स्वा यो स्टाफ के उपयोग; (iv) वि स्वा यो के डाक्टरों की अन्य संस्थानों/अस्पतालों में तैनाती तथा (v) परीक्षाओं, दीर्घावकाश तथा छुट्टियों के दौरान स्कूल बंद हो जाने के कारण बच्चों की अनुपलब्धता आदि कारणों से बताई गई थी। निदेशालय ने आगे बताया (दिसम्बर 1991) कि दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली के स्लम निवासियों को स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए एक योजना बनाई थी और इसके कार्यान्वयन के पश्चात फरवरी 1989 से वि स्वा यो, जो झु झो समुदाय के लिए चल स्वास्थ्य योजना का अतिरिक्त उत्तरदायित्व संभाल रही थी, स्कूल के बच्चों पर पूरी तरह से ध्यान देने की स्थिति में होगी।

निदेशालय का मत तर्कसंगत नहीं था क्योंकि 1984-85 के दौरान डाक्टरों की उसी संख्या से तथा उन्हीं परिस्थितियों में 3.42 लाख विद्यार्थियों को सेवाएं प्रदान की गई थी। केवल वि स्वा यो के प्रयोग के लिए रखे गए स्टाफ की अन्य प्रयोजनों के लिए तैनाती योजना के उद्देश्यों के विपरीत थी। परिणामस्वरूप, वि स्वा यो के संसाधनों के विपथन द्वारा अन्य योजनाओं के लिए निर्धारित लक्ष्यों के प्रति उपलब्धियों के औपचारिक विपथन अथवा अनुश्रवण के बिना, वि स्वा यो के उद्देश्यों की पूर्ण रूप से प्राप्ति नहीं हो रही थी।

मामला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा दिल्ली प्रशासन को सितम्बर 1991 में भेजा गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1992)।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग

15. नजफगढ़ नाले की क्षमता बढ़ाना

15.1 प्रस्तावना

नजफगढ़ नाला, जोकि दिल्ली में मुख्य जल निष्कासन प्रणाली है, हरियाणा में नजफगढ़ झील से निकलता है और रोहतक तथा गुडगांवा के समीपवर्ती जिलों और साहिबी नदी से होकर बहता है। यह तब दिल्ली में 51 कि मी की दूरी तय करता है और यमुना में गिर जाता है। मुख्यतः हरियाणा और दिल्ली में फैले हुए 10780 वर्ग किलोमीटर बेसिन क्षेत्र के लिए केवल यही एक निर्गम नाला है। 1977 में भारी वर्षा के कारण साहिबी नदी के बहाव में नजफगढ़ नाले को बहुत से स्थानों से तोड़ दिया और दिल्ली के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र बाढ़ से घिर गए। 1978 में यह प्रस्ताव रखा गया था कि नजफगढ़ नाले की क्षमता बढ़ाई जाए। यह आशा की गई थी कि परियोजना के पूरा होने पर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि और शहरी क्षेत्रों में घरों की टूट फूट (हानि प्रतिवर्ष 82 लाख रुपये अनुमानित की गई) को रोका जा सकेगा, ग्रामीण भूमि की 20 प्रतिशत में दो फसले प्राप्त की जा सकेंगी तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भूमि की कीमत बढ़ेगी जिसके परिणामस्वरूप 323 लाख रुपये के लगभग वार्षिक लाभ होगा।

15.2 परियोजना

साहिबी नदी और नजफगढ़ नाले (नाला) के बाढ़ नियंत्रण के लिए केन्द्रीय जल कमीशन द्वारा 1978 में तैयार किए गए मास्टर प्लान में धान्सा बांद से ककरोला रेगुलेटर नाले की क्षमता 3000 क्यूसेक से 8000 क्यूसेक तक तथा ककरोला से इसके यमुना में गिरने तक 10,000 क्यूसेक तक बढ़ाने के लिए था। प्लान को एक योजना के रूप में कृषि और सिंचाई मंत्रालय (मंत्रालय) द्वारा 18.02 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर मई 1984 तक पूरा करने के लिए मई 1979 में संस्वीकृत किया गया था। कार्य दिसम्बर 1979 में प्रारंभ कर दिया गया था परन्तु मार्च 1984 तक प्रत्यक्षतः केवल 40.32 प्रतिशत तक ही प्रगति हुई और किया गया व्यय 20.22 करोड़ रुपये था।

18.02 करोड़ रुपये से 37.11 करोड़ रुपये की अनुमानों में वृद्धि (i) मूल्य में वृद्धि के लिए (572.58 लाख रुपये) (ii) मूल अनुमानों में कम प्रावधान के लिए पूर्ति (305.51 लाख रुपये), (iii) निर्माण कार्य के क्षेत्र, डिजाइन में परिवर्तन तथा अतिरिक्त मांग (630.81 लाख रुपये), (iv)

अपूर्ण अन्वेषण की पूर्ति (353.32 लाख रुपये) और (v) अन्य कारण (46.65 लाख रुपये) के कारण की गई थी। संशोधित अनुमानों में वार्षिक लाभ 323 लाख रुपये से 559 लाख रुपये तक बढ़ाया गया था।

15.3 परियोजना का लागू किया जाना

परियोजना के अंतर्गत कार्य की निष्पादित की जाने वाली मुख्य मदें और अगस्त 1991 तक किया गया कार्य नीचे दिए जाते हैं:-

क्र सं.	कार्य की मद	अनुमानित व्यय (लाख रु. में)	अनुमान के अनुसार मात्रा	अगस्त 1991 तक निष्पादित कार्य की मात्रा	निष्पादित किया जाने वाला शेष कार्य
1	अधिप्राप्त भूमि	472.00	1,342 एकड़	1,242 एकड़	100 एकड़
2	भूमि का कार्य	1,575.45	171 लाख क्यू मि	167 लाख क्यू मि	4 लाख क्यू मि
3	खुदाई का कार्य	46.94	41,691 व.मी.	40.691 व मी	1000 वर्ग मीटर
4	अतिरिक्त रेगुलेटर	159.65	2 संख्या	1 संख्या	1 संख्या
5	पुल	438.55	16 संख्या	15 संख्या	1 संख्या
6	उपमार्ग	106.79	146 संख्या	146 संख्या	शून्य
7	अन्य	911.46	उ न	उ न	उ न
जोड़		3,710.84			

टिप्पणी: उ न- उपलब्ध नहीं

31 मार्च 1991 तक 38.51 करोड़ रुपये का व्यय था। परियोजना के लागू करने में कमी के लिए विभाग ने निम्नलिखित बताया (अगस्त 1991):-

- (i) भूमि अधिग्रहण और मिट्टी के कार्य में कमी तकनीकी कारणों से थी।
- (ii) दिल्ली नगर निगम द्वारा छावल पुल में प्रस्तावित परिवर्तन के कारण शेष खुदाई कार्य निष्पादित नहीं हुआ था।

- (iii) शेष रेगुलेटर के संबंध में कार्य मई 1991 में दिया गया था और
(iv) अंतर्राज्यीय झगड़े के कारण एक पुल नहीं बनाया जा सका।

15.4 कार्यों का निष्पादन

1982-83 और 1983-84 में 43.11 लाख रुपये की लागत पर डिजिलिटिंग कार्य किया गया था। दुबारा 1986-87 और 1989-90 के बीच 19 लाख रुपये उसी पहुंच में मार्ग डिजिलिटिंग पर खर्च किए गए थे। डिजिलिटिंग विभागीय रूप से भी ठेकेदार द्वारा कराया गया था। परन्तु पहुंच मार्ग (134,850 से 145000) में डिजिलिटिंग दुबारा ठेकेदारों द्वारा किया गया था। दूसरे अवसर पर पहुंच मार्ग छः उपमार्गों में विभाजित कर दिया गया था परन्तु उपमार्गों में 1,43,000 से, 1,45,000 तक डिजिलिटिंग कार्य बिल्कुल नहीं किया गया था। पांच उपमार्गों में कार्य अप्रैल/मई 1987 तक पूरा किया जाना था। एक में यह जून 1987 में पूरा किया गया और अन्य चार में कार्य ठेकेदारों द्वारा छोड़ दिया गया था। अतः पांच उप मार्गों में डिजिलिटिंग कार्य अभी तक पूरा नहीं किया गया है (सितम्बर 1991)।

(i) नाले को चौड़ा करने और डिजिलिटिंग का कार्य करने, पुल का निर्माण और विस्तार, रेगुलेटरों का निर्माण खुदाई/कार्य प्रवेश मार्गों का उत्खनन और निर्माण का 1147 लाख रुपये के निर्माण कार्य 1979-80 और 1990-91 के बीच दिए गए ठेकों (निविदाओं के आधार पर) के अधीन निष्पादित किए गए थे। परन्तु 161.33 लाख रुपये के मूल्य के कार्य आदेश निविदाएं मांगे बिना 1980-81 से 1990-91 के वर्षों के दौरान जारी किए गए थे। 48.42 लाख रुपये के मूल्य के 144 मामलों में कार्य अत्यावश्यकता का स्वरूप अभिलेख में नहीं था। नियमों के अंतर्गत 2500 रुपये से अधिक की लागत के सभी कार्यों के लिए जहां तक संभव हो मण्डल अधिकारियों द्वारा निविदाएं मांगी जानी चाहिए। केवल आपात कालीन मामलों या जब कार्य का महत्व मांग करता है मण्डल अधिकारी बिना निविदाएं मांगे (लिखित में अत्यावश्यकता के स्वरूप अभिलेख के बाद) कार्य दे सकता है।

(ii) एक ठेकेदार को अधिक अदायगी:- धांसा रेगुलेटर से भारत नगर पुल" तक नजफगढ़ नाले की क्षमतावृद्धि का कार्य अक्टूबर 1982 तक पूरा करने के लिए 16.62 लाख रुपये की लागत पर मार्च, 1982 में एक ठेकेदार को दिया गया था। कार्य निश्चित समय तक पूरा नहीं किया गया था और यह विभाग द्वारा जुलाई 1983 में बंद कर दिया गया था।

ठेकेदार को 2.28 लाख रुपये की अधिक अदायगी की गई थी, ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

(क) अनुप्रस्थ काट पद्धति द्वारा वास्तविक माप (2.06 लाख क्यूसेक मीटर) की बजाए गड्डा खुदाई पद्धति द्वारा की गई माप के आधार पर मिट्टी कार्य के 2.14 लाख क्यूसेक मीटर के लिए ठेकेदार को अदायगी की गई थी। उसके परिणामस्वरूप 0.86 लाख रुपये की अधिक अदायगी हुई।

(ख) ठेकेदार ने कार्य की स्थानापन्न मर्दों के 9003.44 क्यू मी और 13394 क्यू मी अतिरिक्त मिट्टी कार्य किया। उसको मिट्टी कार्य के लिए 5.30 प्रति क्यू मी स्वीकृत दर के प्रति 9.97 रुपये प्रति क्यू मी की दर पर और कार्य के स्थानापन्न मर्दों के लिए 4.25 रुपये प्रति क्यू मीटर की दर पर अदायगी की गई थी। परिणामस्वरूप 1.19 लाख रुपये (अतिरिक्त कार्य के लिए 0.42 लाख रुपये और स्थानापन्न मद के लिए 0.77 लाख रुपये) की अधिक अदायगी की गई।

(ग) ठेकेदार ने डिजाइन स्तर तक कार्य निष्पादित नहीं किया। परिणामस्वरूप मिट्टी कार्य के लिए दर 9.97 रुपये से 9.23 रुपये प्रति क्यू मीटर कमी करने का आदेश दिया था। इसी बीच ऊंची दरों पर अदायगी पहले ही की जा चुकी थी परिणामतः 0.38 लाख रुपये की अधिक अदायगी हुई जिसकी वसूली, सिवाए 0.15 लाख रुपये के जो निष्पादित किए गए अतिरिक्त कार्य के लिए देय थी, नहीं की गई थी।

यद्यपि, जुलाई 1983 में कार्य पूरे हुए आठ वर्षों से अधिक समय व्यतीत हो गया है, ठेकेदार से 2.28 लाख रुपये की अधिक अदायगी की वसूली अभी तक (सितम्बर 1991) नहीं की गई है।

(iii) ठेकेदार से गैर वसूली:- उनके द्वारा कार्य के बंद करने और ठेकों के निरसन के कारण विभिन्न ठेकेदारों से 28.35 लाख रुपये की राशि वसूली योग्य थी (जुलाई 1983 से दिसम्बर 1988 तक) परन्तु राशि अभी तक (सितम्बर 1991) वसूल नहीं की गई है।

(iv) अग्रिम का असमायोजन:- विभाग ने फरवरी 1986 में उपायुक्त दिल्ली को भूमि के अधिग्रहण के लिए 74 लाख रुपये का अग्रिम दिया। अधिग्रहण और भू स्वामी को अग्रिम में से अदा की गई राशि के ब्यौरे उपायुक्त से अभी तक (सितम्बर 1991) प्राप्त नहीं हुए हैं।

(v) वाहनों पर परिहार्य व्यय:- परियोजना के अंतर्गत अगस्त और नवम्बर 1982 के बीच नौ ट्रक और दो मैटाडोर क्रमशः 17.77 लाख रुपये तथा 1.55 लाख रुपये की लागत पर खरीदे गए थे। परन्तु ट्रकों में से दो ट्रक उस कार्य के लिए अंतरित कर दिए गए जो परियोजना के अंतर्गत नहीं था। इसी प्रकार एक मैटाडोर भी अक्टूबर 1983 में केवल एक वर्ष के प्रयोग के बाद अंतरित कर दी गई थी। इस प्रकार परियोजना निधियों से इन वाहनों की खरीद पर 5.26 लाख रुपये का किया गया

व्यय न्याय संगित नहीं था।

(vi) विशेष औजारों और संयंत्र का कम उपयोग और दूसरे कार्य पर लगाना:- चूंकि मिट्टी के कार्य की बहुत बड़ी मात्रा विभागीय मशीनों द्वारा की जानी थी अतः 6 ट्रैगलाइनें और 3 बुलडोजर क्रमशः 110.66 लाख रुपये और 63.27 लाख रुपये मूल्य पर (वर्ष 1979-80 के दौरान) खरीदे गए थे। मशीनें परियोजना पर एक पारी में लगाई गई थीं न कि परियोजना की दो या तीन पारियों में। कुल मिलाकर मशीनों के प्रयोग में 5043 कार्य घंटों की कमी को खराबी आदि पर आरोपित कर दिया गया। प्रायः मशीनें कार्य की कमी के कारण पूरे एक माह अप्रयुक्त रहीं।

दो ट्रैगलाइनें अप्रैल 1984 में और दो अप्रैल 1985 में परियोजना से अंतरित कर दी गई थीं यद्यपि मूल्य परियोजना को डेबिट किया गया था। अतः सभी छः ट्रैगलाइनों का मूल्य 110.66 लाख रुपये परियोजना में सम्मिलित करना उपयुक्त नहीं था।

मामले को जल संसाधन मंत्रालय और दिल्ली प्रशासन को अक्टूबर 1991 में संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1992)।

जल संसाधन विकास मंत्रालय
(सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग)

16. दस वर्षों से भी अधिक समय से निर्माणाधीन साइफन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1985-86 के पैराग्राफ 3.7.1 में एक अनुपूरक नाली के ऊपर कोरोनेशन उपचार संयंत्र पर एक साइफन के निर्माण कार्य में विलम्ब का उल्लेख किया गया था। निर्माण कार्य 17.88 लाख रुपये की लागत पर अक्टूबर 1982 में प्रारंभ किया जाना था तथा अक्टूबर 1983 में पूर्ण किया जाना था। ठेकेदार का नवम्बर 1983 में देहान्त हो गया, जबकि कार्य अभी पूरा नहीं हुआ था। विधवा के अनुरोध पर जनवरी 1984 में कार्य उसे सौंप दिया गया था।

चूंकि कार्य की प्रगति धीमी थी, एक कारण बताओं नोटिस अक्टूबर 1985 में और दूसरा जनवरी 1986 में जारी किया गया था तथा अनुबंध ठेकेदार के जोखिम तथा लागत पर जून 1986 में रद्द कर दिया गया था। तब तक ठेकेदार को 20.04 लाख रुपये का भुगतान किया गया था।

शेष निम्नान कार्य 14.06 लाख रुपये की बातचीत द्वारा तय की गई लागत पर छः महीने के अंदर पूरा करने की शर्त पर एक अन्य ठेकेदार को अक्टूबर 1989 में सौंपा गया था जो कि 7.17 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 96.10 प्रतिशत अधिक था। दूसरे ठेकेदार को अगस्त 1991 तक 11.71 लाख रुपये का भुगतान किया गया था, लेकिन वह भी समापन की निर्धारित अवधि (अप्रैल 1990) के एक वर्ष बाद भी कार्य को पूरा करने में असफल रहा। सोलह प्रतिशत निर्माण कार्य अभी भी पूरा किया जाना था। तथापि अभी भी कार्य के पूरा होने की कोई संभावना नहीं थी क्योंकि पहले ठेकेदार द्वारा निर्मित दीवारों तथा जोड़ों के रिसने के कारण निर्माणाधीन साइफल को क्रियात्मक नहीं बनाया जा सका।

परिणामस्वरूप, कोरोनाशन उपचार संयंत्र पर साइफल के निर्माण पर किया गया 31.75 लाख रुपये का व्यय निष्फल सिद्ध हुआ। कोई उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया था।

मामला सितम्बर 1991 में जल संसाधन मंत्रालय तथा दिल्ली प्रशासन को भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1992)।

17. दोषपूर्ण ठेका प्रबंध

अप्रैल 1986 से मार्च 1991 की अवधि से संबंधित लोक निर्माण विभाग तथा सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग के लेखाओं की मई तथा अगस्त 1991 के बीच लेखापरीक्षा में जांच परीक्षा की गई थी तथा परिणाम नीचे दिए गए हैं:-

(i) 26 मामलों में विभागों ने ठेके के खण्ड 2 के अधीन 20.51 लाख रुपये राशि की क्षतिपूर्ति का दावा किया कि यदि ठेकेदार निर्माणकार्य आरंभ करने तथा समाप्त करने की निर्धारित तिथियों के बाद निर्माण कार्य आरंभ नहीं करता है या अधूरा रहने देता है तो वह प्रतिदिन निर्माण कार्य की अनुमानित लागत के एक प्रतिशत के बराबर की राशि निर्माण कार्य की अनुमानित लागत का अधिकतम दस प्रतिशत के अधीन क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान करेगा। लेकिन मध्यस्थों द्वारा यह दावा अलग करके रख दिया गया था क्योंकि विभाग द्वारा ठेकेदारों को समय पर कार्य पूरा करने में असफल रहने पर क्षतिपूर्ति वसूल करने के आशय के सामयिक नोटिस जारी नहीं किए गए थे जोकि भारतीय ठेका अधिनियम की धारा 55 के अधीन अपेक्षित है। विभाग यह भी सिद्ध नहीं कर सका कि उसकी हानि ठेकेदार द्वारा किए गए निर्माण कार्य को पूरा करने में विलम्ब के कारण थी जोकि भारतीय ठेका अधिनियम की धारा 74 के अंतर्गत अपेक्षित है।

(ii) 28 मामलों में विभागों ने त्रुटिपूर्ण निर्माणकार्य के कारण ठेकेदारों से 35.41 लाख रुपये की

वसूलियां करने का आदेश दिया जिसका भुगतान किया गया था। पूर्ण दर पर की गई वसूली बाद में घटायी गई थी। लेकिन मध्यस्थ द्वारा वसूली को गैरकानूनी करार दिया गया क्योंकि विभाग से ठेकेदार को भुगतान करने से पहले भुगतानों की विशुद्धता तथा ग्राह्यता को सत्यापित करने की आशा की जाती है।

(iii) 44 मामलों में विभागों ने निर्माण कार्यों में समाविष्ट सामग्रियों के मूल्यों में 23.18 लाख रुपये की वृद्धि, जोकि नए कानून नियम या आदेश लागू किए जाने का प्रत्यक्ष परिणाम थी तथा जिसकी वृद्धि निर्माण कार्य के लिए निविदा की प्राप्ति के समय प्रचलित मजदूरी या/मूल्य का 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ गई, करने की अनुमति नहीं दी। ऐसा इस लिए किया गया था क्योंकि ठेकेदार द्वारा किए गए निर्माण कार्य के निष्पादन में हुए विलम्ब का भी परिणाम था तथा ठेका निरस्त कर दिया गया था। मध्यस्थ ने वृद्धि इस आधार पर अनुमत की कि विभाग ने गैरकानूनी ढंग से ठेका निरस्त किया था।

(iv) 28 मामलों में, विभाग के अनुरोध पर ठेकेदार ने ठेके में दी गई दरों से अधिक ऊंची दरों पर निर्माण कार्य की अतिरिक्त मदें निष्पादित की लेकिन बाद में विभागों द्वारा निर्माण कार्य की मदों की दरें घटाई गई थी तथा ठेकेदारों से 8.70 लाख रुपये की वसूलियों की गई थी। मध्यस्थों ने विभागों द्वारा की गई वसूलियां अलग रख दी क्योंकि विभाग द्वारा पहले वृद्धि के लिए सहमति प्रदान की गई थी।

(v) जैसा कि ठेके के अंतर्गत अपेक्षित था, छः मामलों में विभागों ने इंजीनियर तथा डिप्लोमा प्राप्त इंजीनियर तैनात करने में असफलता के लिए ठेकेदारों से 1.16 लाख रुपये की वसूली के लिए आदेश दिए थे। मध्यस्थता में वसूली इस आधार पर अलग रख दी गई थी कि जैसा कि नियम के अंतर्गत अपेक्षित था, ठेकेदार को निर्माण कार्य के समापन की निर्धारित तिथि तक नोटिस नहीं दिया गया था।

(vi) 6 मामलों में ठेकेदारों ने सिद्धांत रूप में उपयोग की सीमा से अधिक जारी सामग्री वापिस नहीं की थी तथा विभाग ने 2.80 लाख रुपये की वसूली करने का आदेश दिया था। लेकिन मध्यस्थता में वसूलियां अलग निकालकर रख दी गई थी क्योंकि विभाग द्वारा ठेकेदारों को सामग्री के अधिक उपयोग पर सामयिक नोटिस जारी नहीं किए गए थे।

(vii) विभागों द्वारा ठेकेदारों को स्थल आदि सौंपने में विलम्ब होने के कारण मध्यस्थ द्वारा ठेकेदारों का 8.57 लाख रुपये का दावा समर्थित किया गया।

(viii) 44 मामलों में, मध्यस्थों द्वारा 58.31 लाख रुपये के विभागीय दावे अस्वीकृत किए गए थे क्योंकि ठेके को अधिक समय लेने के कारण उनके द्वारा उठाई गई वास्तविक हानि के कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके या विभागों ने निर्माणकार्यों के ठेके गलत निरस्न किए थे।

(ix) दोषपूर्ण ठेका प्रबंध के कारण विभागों ने 112 मामलों में से 98 में प्रतिकूल निर्णय प्राप्त किए थे जिसमें मध्यस्थता पुरस्कार लेखापरीक्षा में शामिल अवधि के दौरान घोषित किए गए थे। विभाग ने विगत प्रतिकूल निर्णय से सीखने तथा विभागों ने ठेका प्रबंध को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया था।

मामला शहरी विकास मंत्रालय तथा दिल्ली प्रशासन को अक्टूबर 1991 में भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1992)।

भूमि तथा भवन विभाग

18. भूमिहीन श्रमिकों की भलाई के लिए रखी गई निधियों का उपयोग

दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि वि प्रा) द्वारा भूमिहीन मजदूरों के लिए 15000 मकानों के निर्माण की एक योजना 20 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर बनाई गई थी। योजना का उद्देश्य दिल्ली के 111 गांवों में रह रहे भूमिहीन मजदूरों के 20,000 में से 15,000 परिवारों को मकान उपलब्ध कराना था। यह योजना भूमि तथा तथा भवन विभाग द्वारा शहरी विकास मंत्रालय को अक्टूबर 1986 में प्रेषित की गई थी।

योजना के अनुसार यूनिटों की लागत का 10 प्रतिशत लाभभोगी से पंजीकरण जमा के रूप में वसूल किया जाना था तथा शेष राशि पूर्ण रूप से निर्मित निवास यूनिटों के लिए 180 मासिक किश्तों में तथा स्केल्टन तथा कोर निवास यूनिटों के लिए 120 मासिक किश्तों में वसूल की जानी थी। निर्मित यूनिट की अनुमानित लागत 25,000 रुपये, स्केल्टन यूनिट की 9,000 रुपये तथा कोर यूनिट की 6,000 रुपये थी।

15,000 यूनिटों के लिए 150 हैक्टेयर भूमि की आवश्यकता थी, परन्तु 29 गांवों में 3500 यूनिटों के लिए केवल 34 हैक्टेयर भूमि उपलब्ध थी। 1986-87 के बजट में दिल्ली के भूमिहीन मजदूरों के मकानों के निर्माण के लिए संसद द्वारा 2.17 करोड़ रुपये का व्यय अनुमोदित किया गया था। विभाग द्वारा संशोधित अनुमानों में यह राशि 20 लाख रुपये घटा दी गई थी। 31 मार्च 1987 को दि वि प्रा को 20 लाख रुपये की राशि ऋण के रूप में जारी की गई थी। 1987-88 के बजट अनुमानों

में योजना के लिए 50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था तथा इसे संसद द्वारा अनुमोदित किया गया था। दि वि प्रा ने 8 मार्च 1988 को सूचित किया कि भूमिहीन मजदूरों के लिए अपेक्षित फ्लैट निर्मित कर लिए गए थे, परन्तु मजदूरों की पहचान (पंजीकरण हेतु) विचाराधीन थी। तथापि दि वि प्रा ने उसके द्वारा तीन श्रेणियों के अधीन निर्मित यूनिटों की संख्या अथवा उनके ऊपर किए गए व्यय को नहीं दर्शाया था। दि वि प्रा ने 20 लाख रुपये की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र मार्च 1988 में दिल्ली प्रशासन को प्रस्तुत किया। 50 लाख रुपये की एक और राशि 30 मार्च 1988 को दि वि प्रा को पुनः इस शर्त पर ऋण के रूप में दी गई थी कि यदि मंत्रालय द्वारा 60 दिन के अंदर योजना अनुमोदित नहीं की जाती तो राशि का समायोजन कर दिया जाएगा।

मार्च 1991 में दि वि प्रा ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत निर्मित फ्लैटों का आबंटन उन लोगों को कर दिया गया था जिन्होंने जनता स्कीम के अंतर्गत पंजीकरण कराया था। दूसरे शब्दों में वे भूमिहीन मजदूरों को उपलब्ध नहीं कराए गए थे। दिल्ली प्रशासन को 70 लाख रुपये की राशि की वापसी के बारे में दि वि प्रा ने बताया कि यह नीति से संबंधित विषय था।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (दि वि प्र सं) से मार्च 1988 में प्राप्त अनुरोध के उत्तर में, 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अधीन भूमिहीन मजदूरों को आबंटित गृह स्थलों के विद्युतीकरण के प्रति, दि वि प्र सं को भारत सरकार द्वारा 100 लाख रुपये का भुगतान अनुमोदित किया गया था। राशि संसद द्वारा 1987-88 के बजट में "20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत भूमिहीन किसानों को गृह स्थलों के विद्युतीकरण के आबंटन के लिए 2801-ई.2-पॉवर-ई (i)(i)(i) दि वि प्र सं" शीर्ष के अधीन अनुमोदित की गई थी। दि वि प्र सं द्वारा लिए जाने वाले निर्माण कार्य को निर्दिष्ट किए बिना राशि सहायक अनुदान के रूप में दे दी गई थी। राशि के उपयोग के विषय में लेखापरीक्षा में पूछताछ करने पर दि वि प्र सं ने बताया (जुलाई 1991) कि सहायक अनुदान की राशि दिल्ली प्रशासन द्वारा उसको दि वि प्र सं द्वारा 1988-89 के लिए दिए जाने वाले अनुदान (अनुदान के भाग के रूप में) के प्रति समायोजित की गई थी जो 30 मार्च 1989 को जारी की गई थी। दूसरे शब्दों में 100 लाख रुपये की राशि अभी भी दिल्ली प्रशासन के पास पड़ी थी तथा जिस उद्देश्य के लिए यह संसद द्वारा अनुमोदित की गई थी उसके लिए इसका उपयोग नहीं किया गया था।

भूमिहीन मजदूरों की भलाई के विशिष्ट उद्देश्य के लिए मंत्रालय द्वारा जारी निधि पर नियंत्रण के अभाव का मामला दिसम्बर 1990 तथा पुनः अगस्त 1991 में शहरी विकास मंत्रालय को

भेजा गया था; उनका उत्तर अभी प्रतीक्षित है (जनवरी 1992)।

समाज कल्याण निदेशालय

19. स्टाफ को अल्पपोषित बच्चों के लिए दिए गए अनुदान का विपथन

समाज कल्याण निदेशालय द्वारा 1971-72 में 0 से 6 वर्ष की आयु के अल्पपोषित बच्चों तथा समाज के गरीब वर्ग की गर्भवती महिलाओं या स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण अनुपूरक आहार उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित "विशेष पोषण कार्यक्रम" (वि पो का) योजना आरंभ की गई थी। यह योजना अगस्त 1984 से एकीकृत शिशु विकास योजना का भाग बनी। परिणामतः वि पो का केन्द्रों की संख्या 1981-82 में 431 से 1986-87 में 227 तक कम हो गई थी। इसमें वि पो का अधिशेष के अंतर्गत 7 सदस्यों का स्टाफ फालतू हो गया था। लेकिन कर्मचारियों को निदेशालय में वि पो का या उसके सम्बद्ध कार्यालयों की प्रशासन व्यवस्था के लिए 1 वर्ष तथा 8 माह से 7 वर्ष तथा 10 माह की अवधि के लिए सेवा में रोक लिया गया था। उनको रखने के लिए कोई पद संस्वीकृत नहीं किए गए थे। फरवरी 1991 तक उनके वेतनों पर 8.70 लाख रुपये खर्च किए गए थे लेकिन राशि को, उस सीमा तक लाभ भोगियों को लाभों से वंचित करके वि पो का योजना में डेबिट किया गया था।

विभाग ने सितम्बर 1990 में बताया कि निदेशालय ने समग्र स्टाफ स्थिति का मूल्यांकन करने का निर्णय लिया था तथा किए गए मूल्यांकन के आधार पर पदों को समाप्त या सृजित किया जाएगा। पिछले 1 से 7 वर्षों के दौरान ऐसा क्यों नहीं किया गया था। उत्तर में इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया था।

मामला मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा दिल्ली प्रशासन को सितम्बर 1991 में भेजा गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1992)।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय

20. आवासीय स्थानों के आबंटन में विलम्ब

लोक निर्माण विभाग ने मई 1987 में 61.38 लाख रुपये की लागत पर 76 आवासीय फ्लैटों (15 टाईप-ए, 15 टाईप-बी, 45 टाईप सी तथा 1 टाईप डी) का निर्माण किया। फ्लैट

औद्योगिक प्राशक्षण संस्थान (औ प्र सं) शाहदरा को फरवरी 1988 में सौंप दिए गए थे। 45 टाईप सी फ्लैटों में से 4 फ्लैट आबंटित नहीं किए गए थे (अगस्त 1991) तथा 14 फ्लैट केवल अप्रैल 1991 में अधिकृत किए गए थे। फ्लैटों के आबंटन में विलम्ब के परिणामस्वरूप लाइसेंस शुल्क (किराया) तथा कर्मचारियों को गृह किराए भत्ते (गृ कि भ) के भुगतान में मार्च 1991 तक 3.60 लाख रुपये की हानि हुई।

चार मामलों में आबंटिती सेवानिवृत्त अथवा स्थानांतरित हो गए थे परन्तु 22 से 44 महीनों (सितम्बर 1991 तक अपने फ्लैटों में रहे थे। उन्हें खाली कराने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

आबंटन तथा किराया वसूली के रजिस्टर उचित रूप से अनुरक्षित नहीं किए गए थे। आबंटन, पुर्नआबंटन तथा खाली करने की तिथि दर्ज नहीं की गई थी। सभी मामलों में लाइसेंस शुल्क की वसूली दर्ज नहीं की गई थी। उचित अभिलेखों के अभाव में यह पता नहीं लगाया जा सका कि क्या लाइसेंस शुल्क, विद्युत प्रभार आदि औ प्र सं के आबंटितियों से नियमित रूप से वसूल किए जा रहे थे। तीन से भी अधिक वर्षों के लिए 18 फ्लैटों के उपयोग न किए जाने के परिणामस्वरूप 3.60 लाख रुपये का परिहार्य व्यय हुआ।

दिल्ली प्रशासन ने बताया (सितम्बर 1991) कि 1981 में निर्माण का प्रस्ताव शुरू किया गया था, परन्तु जिस समय तक फ्लैट पूरे हुए (फरवरी 1988), मांग कम हो चुकी थी क्योंकि औ प्र सं के कर्मचारियों को सामान्य पूल के आवासों में से ही फ्लैट आबंटित कर दिए गए थे। चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार गृ कि भ में वृद्धि तथा इस तथ्य, कि नवनिर्मित फ्लैटों में मूल सुविधाओं का अभाव था, के कारण औ प्र सं के कर्मचारियों में फ्लैटों की मांग कम हो गई। क्या फ्लैटों की आवश्यकता नहीं है, और यदि ऐसा है तो उनका दिल्ली प्रशासन के सामान्य पूल आवासों में विलय क्यों नहीं कर दिया गया है तथा सामान्य पूल आवासों की तरह ही दिल्ली प्रशासन द्वारा उनमें मूल सुविधाएं उपलब्ध क्यों नहीं कराई गई आदि प्रश्नों का उत्तर में कोई जिकर नहीं किया गया था।

मामला मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सितम्बर 1991 में भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1992)।

21. ग्रामीण विकास के लिए निधियां

वर्ष 1978-79 में भारत सरकार, शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय (अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय) (मंत्रालय) द्वारा "भारत में सामुदायिक पोलिटैकनीक" नाम एक योजना प्रारंभ की गई थी। योजना ग्रामीण विकास में वैज्ञानिक तथा तकनीकी निवेश उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई थी। प्रारंभ में देश के विभिन्न भागों में 35 पोलिटैकनिक केन्द्र खोले जाने थे। दिल्ली में यह योजना गोविन्द बल्लभ पंत पोलिटैकनीक (पोलिटैकनीक) में नवम्बर 1984 में प्रारंभ की गई थी।

अप्रैल 1986 में एक अभ्यर्थी जिसे पोलिटैकनिक में प्रवेश देने के लिए मना कर दिया गया था, ने उच्चतम न्यायालय में भारतीय संविधान की धारा 14, 15, 19(1)(छ) तथा 29 का उल्लंघन होने के आधार पर यह आरोप लगाते हुए, कि यह एक विशेष समुदाय को प्रदान की गई थी, योजना को चुनौती दी। न्यायालय का अंतिम निर्णय लम्बित होने से मंत्रालय ने विधि मंत्रालय के परामर्श से 1989 में कुछ संशोधनों के साथ योजना प्रारंभ करने के अनुदेश जारी किए।

मंत्रालय ने दिल्ली में पोलिटैकनिक के लिए अक्टूबर 1984 तथा 1985 में क्रमशः 2.50 लाख रुपये तथा 1.50 लाख रुपये संस्वीकृत किए। मंत्रालय ने जनवरी 1989 में व्यक्तिगत कम्प्यूटरों की खरीद के लिए पोलिटैकनिक को 3 लाख रुपये की अन्य राशि संस्वीकृत की। पोलिटैकनिक द्वारा अगस्त 1991 तक कुल मिलाकर केवल 0.40 लाख रुपये ही खर्च किए गए थे।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय ने बताया (अगस्त 1991) कि योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब तथा निधियों का उपयोग न होना उनके नियंत्रण से बाहर था तथा उपयुक्त स्टाफ की अनुपलब्धता तथा पारिश्रमिक, जो उनको दिया जा सकता है, पर प्रतिबंध के कारण था।

मामला मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा दिल्ली प्रशासन को सितम्बर 1991 में भेजा गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1992)।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति कल्याण निदेशालय

22. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण की योजना के प्रशासन में असफल प्रबंध

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति कल्याण निदेशालय (निदेशालय) द्वारा अनुसूचित जातियों (अ जा) अनुसूचित जन जातियों (अ ज जा) के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजनाएं कार्यान्वित की जानी हैं। अ जा तथा अ ज जा को लाभ पहुंचाने की योजनाओं पर

निदेशालय के व्यय की परीक्षा जांच से निम्नलिखित बातें प्रकट हुई:-

(i) अ जा के कल्याण के लिए कार्य केन्द्रों का प्रयोग:-

निदेशालय ने औद्योगिक कार्य केन्द्रों के निर्माण के लिए 1982-83 से 1985-86 तक दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्लम विंग को 125.92 लाख रुपये जारी किए। दि वि प्रा ने भी उद्योग निदेशालय (अब उद्योग आयुक्त कार्यालय) से निधियां प्राप्त की तथा पुनर्वास कालोनियों में अ जा तथा गैर अ जा के लिए 3,157 कार्य केन्द्रों का निर्माण किया। नवम्बर 1988 में दिल्ली अनुसूचित जाति वित्तीय एवं विकास निगम (दि अ जा वि वि नि) ऐसे क्षेत्र में खाली पड़े 238 निर्माण केन्द्र लेना चाहता था जिसमें ज्यादातर अ जा के लोग रहते थे। 109.47 लाख रुपये की कीमत के 238 कार्य केन्द्रों में से 126 कार्य केन्द्र दि अ जा वि वि नि को आबंटन हेतु नवम्बर-दिसम्बर 1991 में सौंप दिए गए थे, शेष 112 कार्य केन्द्रों का कब्जा नहीं लिया गया था क्योंकि उन्हें प्रयोग के लायक बनाने के लिए उनकी काफी मरम्मत की जानी अपेक्षित थी। लाभ भोगियों को अभी तक कोई भी कार्य केन्द्र आबंटित नहीं किया गया था (फरवरी 1992)। परिणामस्वरूप इस व्यय का अ जा को कोई लाभ नहीं हुआ।

(ii) अ जा के कल्याण के लिए धोबी घाटों का प्रयोग न किया जाना:-

दि वि प्रा ने 103.45 लाख रुपये की लागत पर 42 धोबी घाटों का निर्माण किया (जुलाई 1986), परन्तु इन धोबी घाटों में पानी अथवा बिजली की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। परिणामस्वरूप घाट अप्रयुक्त पड़े रहे तथा उनकी दीवारों में दरारे पड़ गईं जिनकी काफी मरम्मत अपेक्षित थी। दिल्ली प्रशासन ने दि वि प्रा को ट्यूबवैलों के प्रतिस्थापन तथा धोबी घाटों की मरम्मत के लिए 33.20 लाख रुपये संस्वीकृत किए (अक्टूबर 1989)। 42 धोबी घाटों में से, 28 लाभ भोगियों को आबंटित कर दिए गए बताए गए थे (फरवरी 1992) 33.20 लाख रुपये की राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र भी दि वि प्रा से प्राप्त नहीं हुए थे (सितम्बर 1991)।

लेखापरीक्षा के एक प्रश्न के उत्तर में, निदेशालय ने बताया (जुलाई 1991) कि एक उपयुक्त मूल्यांकन अध्ययन की आवश्यकता थी तथा अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कक्ष को मजबूत करने के लिए एक प्रस्ताव योजना आयुक्त द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था तथा योजना का मूल्यांकन अपेक्षित स्टाफ की उपलब्धता पर किया जाएगा।

(iii) सूअर शैड- निदेशालय ने विभिन्न झुग्गी झोंपडियों अथवा स्लम कालोनियों में 472 सूअर शैडों के निर्माण के लिए 1982-83 तथा 1983-84 के दौरान दि वि प्रा को 9.50 लाख रुपये जारी किए थे। लक्ष्य योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया था। 60.49 लाख रुपये की लागत पर 416 पिंग शैडों का निर्माण किया गया था तथा 238 शैड दि वि प्रा द्वारा अ जा परिवारों को आबंटित कर दिए बताएं गए थे। फरवरी 1986 में योजना को बंद कर देने का निर्णय लिया गया था। 178 सूअर शैडों के लाभ भोगियों की पहचान प्रगति में बताई गई थी (फरवरी 1992)। चूंकि सूअर शैड दि वि प्रा (स्लम विंग) द्वारा लाभ भोगियों को आबंटित किए गए थे, यह जांच करने के लिए, कि आबंटन वास्तव में अ जा परिवारों को तथा किस ढंग से किया गया था, निदेशालय में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं थे।

(iv) दुकानें:- दि वि प्रा ने 224.66 लाख रुपये की लागत पर 2638 दुकानें निर्मित की जो कि अ जा के लोगों को किराया खरीद आधार पर आबंटित की गई थी। किराया खरीद अनुबंध के अंतर्गत लाभ भोगियों से प्राप्त राशि दि वि प्रा द्वारा दिल्ली प्रशासन, जिसने दुकानों के निर्माण के लिए निधियां उपलब्ध करायी थीं, को अंतरित नहीं की गई थी।

मामला कल्याण मंत्रालय को अक्टूबर 1991 में भेजा गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (फरवरी 1992)।

लोक निर्माण विभाग

23. अग्रिमों का असमायोजन

1971 से 1983 के वर्षों के दौरान लोक निर्माण विभाग (लो नि वि) द्वारा निम्नलिखित निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु नौ अन्य विभागों तथा स्थानीय निकायों को 313.16 लाख रुपये के अग्रिम दिए गए थे:-

वर्ष जिनमें अग्रिम दिए गए	एजेंसी जिसे आग्रिम दिए गए	आग्रमा का राशियां (रुपयों में)	आग्रमों का उद्देश्य
दिसम्बर 1979 से		2,75,11,608	रेलेवे ओवरब्रिज तथा पहुंच मार्गों का चौड़ा करना।

मार्च	1982			
दिसम्बर	1976	दि वि प्र सं	18,35,113	विद्युतीय कार्य
से				
सितम्बर	1983			
मार्च	1971	एम ई एस	11,65,100	सिविल निर्माण कार्य
से				
अगस्त	1979			
मार्च	1982	बागवानी विभाग	5,93,400	पौधे लगाना
मार्च	1982	डी डी ए	77,000	नाले को चौड़ा करना
मार्च	1981	सी डी ए मेरठ	55,000	बिजली के खम्बे स्थानांतरित करने के लिए
अप्रैल	1977	दि न नि	54,563	नहर का कार्य
से				
मई	1982			
नवम्बर तथा				
दिसम्बर	1981	डी ई टी गुड़गांव तथा करनाल	13,863	टेलीफोन के खंभों का स्थानांतरण
मार्च	1982	एस डी ओ(जल)जमुना नहर	10,000	पुल के कार्य के लिए प्रतिभूति जमा।

राशियां अभी भी पुस्तकों में असमायोजित पड़ी हुई हैं। विभाग ने उसके द्वारा दिए गए अग्रिमों का अनुश्रवण नहीं किया तथा वे लम्बे समय तक उसकी पुस्तकों में बकाया पड़े रहे।

मुख्य अभियंता ने अगस्त 1991 में बताया कि अन्य विभागों के साथ कोई औपचारिक, अनुबंध निष्पादित नहीं किया गया था तथा अग्रिम भुगतान उन्हें उनके द्वारा किए जाने वाले निर्माण कार्यों के अनुमान के आधार पर ही दिए गए थे। उसने आगे बताया कि निर्माण कार्य डिजाइन, क्षेत्र तथा विनिर्देशन के अनुसार ही पूरे किए गए थे। इन संगठनों की लेखे प्रस्तुत करने की कोई प्रथा नहीं थी तथा किए गए निर्माण कार्य के लिए अग्रिमों को अंतिम भुगतान के रूप में लेने के अतिरिक्त कोई

थी तथा किए गए निर्माण कार्य के लिए अग्रिमों को अंतिम भुगतान के रूप में लेने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। विभाग का उत्तर निर्माण कार्यों के अनुबंध करने तथा विस्तृत बिलों अथवा माप तथा अथवा जांच के पश्चात एक मुश्त अनुबंधों के प्रति लो नि वि की प्रक्रियाओं के विपरीत जाता है।

मामला, शहरी विकास मंत्रालय तथा दिल्ली प्रशासन को अक्टूबर 1991 में भेजा गया था, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1992)।

24. एक ठेकेदार से राशियों की गैर वसूली तथा विलम्ब

जय देव पार्क, रोहतक रोड़ पर सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का निर्माण कार्य एक ठेकेदार को 37.34 लाख रुपये की बातचीत द्वारा तय राशि पर अगस्त 1982 में सौंपा गया। ठेकेदार को नक्शे देने में विलम्ब हुआ था।

निर्माण कार्य अगस्त 1983 की निर्धारित तिथि अथवा अक्टूबर 1984 की संशोधित तिथि तक पूरा नहीं किया गया था। ठेका फरवरी 1987 में रद्द कर दिया गया था।

शेष निर्माण कार्य एक अन्य ठेकेदार को सितम्बर 1987 में सौंपा गया था तथा इसे मई 1988 में पूरा कर लिया गया था।

अनुबंध के अंतर्गत कार्यवाही करने के लिए चूककर्ता ठेकेदार को कारण बताओं नोटिस निर्माण कार्य के समापन की निर्धारित तिथि से केवल 18 महीने बाद ही जारी किया गया था। विलम्ब के लिए ठेकेदार से 2.54 लाख रुपये की वसूली के आदेश ठेका रद्द होने के चार से भी अधिक वर्षों के बाद जारी किए गए थे।

कार्य को पूरा करने में लगभग 5 वर्ष का विलम्ब हुआ था तथा 1.08 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय किया गया था। पहले ठेकेदार को जारी की गई सामग्री की लागत की वसूली (041 लाख रुपये) ठेका रद्द होने के चार वर्ष बाद भी अभी तक की जानी है।

मामला शहरी विकास मंत्रालय तथा दिल्ली प्रशासन को अगस्त 1991 में भेजा गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1992)।

25. निविदाओं को अंतिम रूप देने में विलम्ब

लोक निर्माण विभाग ने अगस्त 1988 में दिल्ली मथुरा रोड़ (एन एच-2) को 4 लेनों से 6 लेनों तक, 8.30 किलोमीटर के संकेत से 12 किलोमीटर के संकेत तक 75.34 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर चौड़ा करने लिए निविदाएं आमंत्रित कीं।

निम्नतम निविदाकर्ता ने अनुमानों से 1.56 प्रतिशत अधिक तथा दूसरे निम्नतम निविदाकर्ता ने अनुमानों से 11.17 प्रतिशत अधिक दरें उद्धृत की। परन्तु उन्होंने उनके द्वारा सफलतापूर्वक पूरे किए गए निर्माण कार्यों की सूची प्रस्तुत नहीं की।

निम्नतम निविदाकर्ता ने बातचीत के लिए निमंत्रण का उत्तर नहीं दिया तथा निविदाएं पुनः आमंत्रित की गईं। मार्च 1989 में पुनः निमंत्रण पर 75.34 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 148.43 प्रतिशत अधिक पर केवल एक निविदा प्राप्त हुई। अप्रैल 1989 में इसे अस्वीकृत कर दिया गया था तथा निविदाएं मई 1989 में पुनः आमंत्रित की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप निर्माण कार्य 101.96 लाख रुपये की तय दर पर निम्नतम निविदाकर्ता को अगस्त 1989 में सौंप दिया गया जो कि 75.34 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 35.33 प्रतिशत अधिक थी। यह शर्त रखी गई थी कि कार्य जुलाई 1990 में पूरा कर लिया जाएगा। ठेकेदार ने सितम्बर 1989 में कार्य प्रारंभ कर दिया जो कि अभी भी प्रगति पर था (मई 1991)।

मूल निविदाकर्ता ने अपने 17 दिसम्बर 1988 के पत्र में इस बात से इंकार किया कि उसे बातचीत के लिए बुलाया गया था। तीसरे निम्नतम निविदाकर्ता ने निविदा के मूल आमंत्रण में 85.42 लाख रुपये की लागत पर निर्माण कार्य को पूरा करने का प्रस्ताव किया था जो कि 75.34 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 13.37 प्रतिशत अधिक थी। उसने अपनी पूर्व निष्पादन रिपोर्टें भी प्रस्तुत की थी। केवल निम्नतम निविदाकर्ता, जिसकी निविदाएं अनुचित रूप से कम समझी गई थी, के साथ बातचीत का प्रयत्न करने तथा तीसरे निम्नतम निविदाकर्ता का प्रस्ताव क्यों अस्वीकृत कर दिया गया था के कारण नहीं दिए गए थे, न ही वे अभिलेख पर ही थे।

निम्नतम तथा दूसरे निम्नतम निविदाकर्ताओं, जिन्होंने प्रथम आमंत्रण निविदा के प्रति तथा तीसरी निविदा के प्रति अपनी दरें उद्धृत की थी, परन्तु उनकी दरें निविदाओं के लिए तीसरे आमंत्रण में निम्नतम निविदाकर्ता से 35.33 प्रतिशत अधिक के प्रति 39.66 प्रतिशत तथा 46.94 प्रतिशत अधिक थी। तीसरे निम्नतम निविदाकर्ता ने प्रथम निविदा के प्रति तीसरे निमंत्रण पर दरें उद्धृत नहीं की।

विभागीय प्राधिकारियों की निविदाओं के प्रथम आमंत्रण पर तीसरे निम्नतम तथा तकनीकी रूपसे स्वीकार्य निविदाकर्ता को कार्य सौंपने में असफल रहने के परिणामस्वरूप 16.54 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

मामला शहरी विकास मंत्रालय को जुलाई 1991 में सूचित किया गया था; उनका उत्तर

प्रतीक्षित है (जनवरी 1992)।

सामान्य

26. हानियां तथा अनुग्रही भुगतान

1990-91 के दौरान किए गए अनुग्रही भुगतानों तथा हानियों को दर्शाने वाला विवरण इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट -III में दिया गया है।

अध्याय IV

दिल्ली विकास प्राधिकरण

27. लेखे

दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि वि प्रा) मास्टर प्लान के अनुसार दिल्ली के विकास को बढ़ाने तथा सुरक्षित रखने के उद्देश्य से 1957 में एक साविधि द्वारा स्थापित किया गया था। तदनुसार दि वि प्रा भवन, इंजीनियरिंग तथा अन्य निर्माण कार्य कार्यान्वित करता है।

दि वि प्रा भूमियों, भवनों तथा अन्य सम्पत्तियों के निपटान, केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदानों तथा ऋणों तथा प्रभारित शुल्क, किरायों आदि से निधियां प्राप्त करता है। दि वि प्रा द्वारा तुलन पत्र सहित वार्षिक लेखाओं का विवरण तैयार किया जाना अपेक्षित है। दि वि प्रा के लेखे नि म ले प के (क श से) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के साथ पठित दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 25(2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित किए जाते हैं।

वर्ष 1990-91 तथा पूर्ववर्ती दो वर्षों की प्राप्तियों तथा भुगतानों तथा वर्ष के अंत में परिसम्पत्तियों तथा देयताओं का सारांश नीचे दिया गया है:-

प्राप्तियों तथा भुगतानों का सारांश

(करोड़ रुपयों में)

क्र सं.	विंग का नाम	वर्ष					
		1988-89		1989-90		1990-91	
		प्राप्ति	भुगतान	प्राप्ति	भुगतान	प्राप्ति	भुगतान
1.	अथ शेष	54.46	-	16.58	-	23.55	-
2.	सामान्य विकास लेखा	815.00	824.59	927.17	918.96	938.25	930.49
3.	नजूल लेखा-I	11.57	18.74	4.00	4.35	7.93	4.84
4.	नजूल लेखा-II	194.99	195.15	227.52	227.27	300.91	301.32
5.	नजूल लेखा-III	14.96	15.50	5.05	5.00	26.14	19.75

6	अ रा ब ट लेखा	2.03	2.70	3.45	3.45	4.52	5.10
7	दिल्ली लॉटरी लेखा	32.34	32.62	44.43	44.36	53.20	53.14
8	स्लम और झु झो-I	87.45	106.92	71.82	73.08	87.60	76.42
9	स्लम और झु झो-II	-	-	-	-	12.66	5.20
10	अंत शेष	-	16.58	-	23.55	-	58.50

अंत शेष सहित जोड़ 1212.80 1212.80 1300.02 1300.02 1454.76 1454.76

वर्ष की कुल प्राप्तियां/

भुगतान (अथ एवं अंत शेषों को छोड़कर) 1158.34 1196.22 1283.44 1276.47 1431.21 1369.26

अधिशेष (+) घाटा(-) (-)37.88 (+)6.97 (+)34.95

क नवम्बर 1990 में स्लम-I से पृथक किया गया।

31 मार्च 1991 को तुलन पत्र का सारांश

(करोड़ रुपयों में)

क्र सं.	विंग का नाम	निधियां एवं देयताएं			सम्पत्ति एवं परिसम्पत्ति		
		अधिशेष आरक्षित	अन्य देयताएं	कुल	स्थायी परिसंपत्तियां	अन्य परिसंपत्तियां	कुल
1	सामान्य विकास लेखा	386.54	542.35	928.89	57.88	871.01	928.89
2.	नजूल लेखा-I	10.49	38.88	49.37	1.02	48.35	49.37
3.	अ रा ब ट लेखा	0.87	1.45	2.32	0.01	2.31	2.32

4.	दिल्ली लॉटरी लेखा	15.07	2,18	17.25	0.02	17.23	17.25
5.	स्लम एवं झु झो-1	29.98	53.73	83.71	4.54	79.17	83.71

जोड़	442.95	638.59	1081.54	63.47	1018.07	1018.54
------	--------	--------	---------	-------	---------	---------

ख इसमें 44.95 करोड़ रुपये का रोकड़ शेष तथा बैंकों में पड़े 112.86 करोड़ रुपये के आवधि जमा शामिल हैं।

यह देखा गया कि जबकि 8 पृथक प्राप्ति तथा भुगतान लेखे तैयार किए गए हैं, केवल 5 लेखाओं के संबंध में तुलन पत्र तैयार किए गए हैं। नजूल-II, नजूल-III तथा स्लम तथा झु झों विंग-II के तुलन पत्रों के अभाव में दि वि प्रा की कुल परिसम्पत्तियों तथा देयतों को लेखे में अभी तक पूर्ण रूप से नहीं लिया जा रहा है। इसमें पहले सृजित परिसम्पत्तियों के दुर्विर्णयोजन का जोखिम शामिल है। मामले पर विचार करके 1957 से लेखाओं के संदर्भ द्वारा तुलन पत्रों को पूर्ण रूप से तैयार करके तत्काल सुधार किए जाने की आवश्यकता है। तुलन पत्रों के अनुसार परिसम्पत्तियों के मूल्य की भी दि वि प्रा के परिसम्पति रजिस्ट्रों के साथ मिलान किए जाने की आवश्यकता है।

28. रोहिणी कॉम्प्लैक्स का विकास

28.1 योजना

दि वि प्रा द्वारा दिल्ली के लिए मास्टर प्लान भारत सरकार के शहर योजना संगठन तथा फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से 1961 में तैयार किया गया था। परिणामतः दि वि प्रा ने 1985-86 तक 1.70 लाख आवासों के निर्माण के लिए उत्तर पश्चिम दिल्ली (राहिणी) में 2.500 हैक्टेयर भूमि को विकसित करने के लिए 1980 में एक योजना प्रारंभ की। 2,500 हैक्टेयर भूमि में से 1,413 हैक्टेयर आवासीय क्षेत्रों तथा शेष सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक, मनोरंजनात्मक तथा प्रसार कार्यों के लिए वाणिज्यिक तथा औद्योगिक क्षेत्रों को आबंटित की जानी थी।

28.2 उपलब्धियां

28.2.1 भूमि- दि वि प्रा ने 1,756 हैक्टेयर भूमि प्राप्त की है। प्रत्यक्ष रूप से वास्तव में सोची गई शेष 741 हैक्टेयर भूमि को अनधिकृत प्रवेश के कारण प्राप्त नहीं किया जा सका। दि वि प्रा ने अभी तक 700 हैक्टेयर और भूमि प्राप्त करने के लिए अधिसूचित किया है (नवम्बर 1990)।

प्राप्त भूमि का उपयोग निम्न प्रकार था:-

क्षेत्र	योजना	प्राप्त भूमि का उपयोग (हैक्टेयरो में)
आवासीय	1,413.00	1,342.00
औद्योगिक	482.50	शून्य
वाणिज्यिक	108.50	85.00
सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक	126.42	81.00
मनोरंजनात्मक	211.50	160.00
प्रसार	155.39	82.00
जोड़	2,497.31	1,750.00

पांच वर्षों में 1,17,016 आवासीय भूखण्डों को विकसित करने के लक्ष्य के प्रति दि वि प्रा ने सितम्बर 1991 तक केवल 30732 भूखण्ड (26 प्रतिशत) विकसित किए। तथापि दि वि प्रा ने 41,060 भूखंड आबंटित किए (जुलाई 1991)। जबकि 10,328 आबंटितियों के लिए अभी तक भूखण्ड विकसित किए जाने थे तथा 43,964 से अधिक व्यक्तियों, जिनका पंजीकरण हुआ है, को अभी तक आवासीय भूखण्ड आबंटित किए जाने हैं।

28.2.2 वित्त - रोहिणी योजना के अंतर्गत 1980-81 से 1990-91 के वर्षों के दौरान अनुमानों सहित व्यय तथा प्रापतियां नीचे दी गई हैं:-

(लाख रुपयों में)

वर्ष	बजट अनुमान		वास्तविक	
	प्राप्तियां	व्यय	प्राप्तियां	व्यय
1980-81	--	37.80	--	74.10
1981-82	--	229.00	--	321.54
1982-83	586.00	1,115.00	336.61	699.35
1983-84	725.00	1,008.30	211.57	748.00
1984-85	759.00	766.15	157.50	619.67
1985-86	779.30	924.10	1,591.71	723.28
1986-87	--	902.50	22.82	546.65
1987-88	1,092.00	1,457.50	538.21	990.03
1988-89	4,080.80	2,488.55	1,055.32	1,741.26
1989-90	891.95	1,273.13	717.25	3,004.66
1990-91	317.10	2,813.35	529.76	3,304.65
	9,231.15	13,015.38	5,160.75	12,773.19

जबकि योजना केवल अंशतः कार्यान्वित की गई थी, व्यय लगभग पूरी योजना के अनुमान के करीब था। व्यय में वृद्धि को बराबर करने के लिए प्राप्तियों को बढ़ाया नहीं गया था।

व्यय में वृद्धि हो गई थी क्योंकि निर्माण कार्यों के लिए बनाए गए अनुमान वास्तविक नहीं थे। 183 निर्माण कार्यों में निर्माणकार्य प्रारंभ होने के बाद 1,094.18 लाख रुपये की लागत की अतिरिक्त तथा प्रतिस्थापित मर्दों का निष्पादन कराया गया था जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों के साथ परिहार्य विवाद हुए।

28.2.3 जल- रोहिणी कॉम्प्लैक्स के लिए प्रतिदिन 50 मिलियन गैलन (प्र मि गै) जल की अपेक्षा का निर्धारण किया गया था। दिल्ली नगर निगम (दि न नि) ने अपेक्षित जल की मात्रा आपूर्त करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी। दि वि प्रा ने जल वितरण लाइनों को बिछाने का कार्य तब भी

आरंभ किया। अपेक्षित जल का केवल 20 प्रतिशत दि न नि द्वारा आपूर्त किया गया था तथा 273 लाख रुपये की लागत पर बिछाई गई परिधीय आपूर्ति लाइनों का मार्च 1991 के बाद कम उपयोग किया गया था। दि वि प्रा की जलापूर्ति के वैकल्पिक प्रबंधों के लिए, भूमिगत हौदियों सहित ट्यूबवैलों का उपयोग करने तथा प्राइवेट टैंकरों में पानी दोनों पर 58 लाख रुपये की लागत आई 22.49 लाख रुपये की लागत पर खोदे गए पांच ट्यूबवैलों को छोड़ दिया गया था क्योंकि पानी पीने के लिए उपयुक्त नहीं था।

दि वि प्रा ने दिल्ली शहरी कला आयोग (दि श क आ) के अनुमोदन की प्रत्याशा में चार ऊपरी टैंकों का निर्माण आरंभ किया। दि श क अ ने सलाह दी कि लम्बे भवनों के साथ पानी के टॉवर जोड़े जाएं। तब भी दि वि प्रा द्वारा 1981-82 से 1988-89 के दौरान दि श क आ द्वारा केवल तीन का अनुमोदन करने के प्रति 129.18 लाख रुपये की लागत पर बनाए चार बिना सहारे के खड़े होने वाले टॉवरों का निर्माण किया। लेकिन टॉवर टैंकों का दि न नि से प्राप्त आपूर्ति में पानी का कम दबाव होने के कारण उपयोग नहीं किया जा सका। परिणामतः रोहिणी कॉम्प्लैक्स में जल की आपूर्ति अपर्याप्त थी।

सैक्टर IV तथा V में ठेकेदार ने निर्माण कार्य पूरा नहीं किया लेकिन दि वि प्रा ने ठेकेदार को 29.82 लाख रुपये की निविदागत लागत के प्रति 49.15 लाख रुपये अदा किए। शेष निर्माण कार्य किसी अन्य ठेकेदार से 2.68 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत पर कराया गया था।

सैक्टर VI में ठेकेदार द्वारा ऊपरी टैंक का निर्माण पूरा नहीं किया गया था। अभी तक दि वि प्रा ने 14.50 लाख रुपये की निविदागत लागत के प्रति 16.60 लाख रुपये का भुगतान किया तथा कोई अर्थदण्ड नहीं लगाया। शेष निर्माण कार्य किसी दूसरे ठेकेदार को 2.22 लाख रुपये की लागत पर दिया गया था तथा जो अभी तक अधूरा है (सितम्बर 1991)।

सैक्टर IX, XIII तथा XIV में तीव्र पानी निकालने की नालियों को बिछाने के दौरान देखभाल करने की कमी के कारण पानी की लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई थी। दि वि प्रा ने मई 1990 में 5.16 लाख रुपये की लागत पर पानी की लाइनें पुनः बिछाई। ठेकेदार, जिसने जल आपूर्ति लाइनों को क्षतिग्रस्त किया था, के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

28.2.4 मलजल व्ययन:- कुछ आवासीय सैटरों के लिए मलजल निपटान संयंत्र दिसम्बर 1988 तक तथा सीवेज लाइनें सितम्बर 1990 में पूर्ण की गई थी। लेकिन आवासीय भूखण्ड 1982 के बाद

से आबंटित किए गए थे। अतः मलजल निपटान के लिए ऑक्सीकरण तालाव पम्प हाउस, सम्प कुओं आदि का 18.47 लाख रुपये की लागत पर निर्माण करके वैकल्पिक प्रबंध करना पड़ा। सीवेज लाइनों तथा निपटान संयंत्र के पूरा होने से लगभग 3 लाख रुपये की लागत की अस्थायी सुविधाएं समाप्त कर दी गई थी। बेहतर योजना बनाने तथा समन्वयन करने से 21 लाख रुपये के व्यय से बचा जा सकता था। इसी तरह कॉम्प्लैक्स के कुछ अन्य क्षेत्रों में टूक सीवरेज प्रक्रिया के पूर्ण होने में विलम्ब के कारण मलजल निपटान के लिए 27 लाख रुपये की लागत के अस्थायी उपाय किए गए थे।

28.2.5 तीव्र जल नालियां: यद्यपि भूखण्डों का आबंटन 1982 में प्रारंभ किया गया था, तीव्र जल निकासी प्रक्रिया का कार्य 1982 में आरंभ किया गया था। निर्मित किए जाने वाली नौ नालियों में से 6.54 करोड़ रुपये की लागत पर अभी तक (सितम्बर 1991) केवल 5 नालियां पूर्ण की गई थी। शेष 4 निर्माणाधीन नालियों पर पहले ही 21.77 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं (मार्च 1991)।

तीव्र जल नालियां बिछाने से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों का 17.80 लाख रुपये की लागत पर पुनर्निर्माण करना पड़ा। आगे, कई स्थानों पर दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (दि वि प्र सं) की तारें क्षतिग्रस्त हुई थी जिसके लिए दि वि प्र सं द्वारा 62 लाख रुपये का दावा प्रस्तुत किया गया था। हानि के लिए ठेकेदारों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है (सितम्बर 1991)।

28.2.6 सेवाएं:- जल आपूर्ति तथा मलजल व्ययन प्रणाली दि न नि द्वारा इंगित की गई कमियों तथा त्रुटियों के कारण नगरनिगम प्राधिकारियों को सौंपी नहीं गई थी। इसी बीच, दि वि प्रा द्वारा 1988-91 वर्षों के दौरान अनिवार्य सेवाओं के अनुरक्षण पर 355 लाख रुपये खर्च किए गए थे।

दि वि प्रा ने रोहिणी कॉम्प्लैक्स में उपभोक्ताओं से जल प्रभार एकत्र करके दि न नि के पास जमा कराए/ वसूली की लागत दि वि प्रा द्वारा वहन की गई थी।

28.2.7 गुणवत्ता नियंत्रण:- लगभग 80 प्रतिशत निर्माणकार्यों में घटिया स्तर की सामग्री का उपयोग किया गया था। 1981-91 वर्षों के दौरान गुणवत्ता नियंत्रण सैल द्वारा लिए 366 नमूनों में से केवल 71 (20 प्रतिशत) ने ही अपेक्षित परीक्षणों को पास किया। गुणवत्ता नियंत्रण में प्रकट घटिया सामग्री के उपयोग के 264 मामलों में से केवल 12 मामलों में ही चूककर्ता ठेकेदारों से वसूलियां की गई थी।

उपर्युक्त परिणाम नवम्बर 1991 में शहरी विकास मंत्रालय तथा दि वि प्रा को सूचित किए गए थे; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1992)।

29. सिरिफोर्ट पर एशियाई खेल गांव कॉम्प्लैक्स का निर्माण

सिरिफोर्ट क्षेत्र में फेस-II पर 200 आवासीय यूनिटों का निर्माण कार्य, कार्यकारी अभियंता (का अ), एशियाई खेल मण्डल-II, दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि वि प्रा) द्वारा एक फर्म को

152.21 लाख रुपये की अनुमानित लागत के प्रति 249.48 लाख रुपये की निविदागत राशि पर अक्टूबर 1980 में दिया गया था। अनुमानित तथा निविदागत दरों में इतना बड़ा अंतर इस तथ्य के कारण था कि अनुमानित दरें दिल्ली दर अनुसूची, 1977 (दि द अ) के आधार पर तैयार की गई थी और 1980 के मूल्यों के अनुसार, जब निर्माण कार्य की दरें मांगी गई थी, अद्यतन नहीं की गई थी। निर्माण कार्य 249.41 लाख रुपये की लागत पर दिसम्बर 1982 में पूरा किया गया था।

निर्माण कार्य के निष्पादन के दौरान, विभिन्न मिश्रणों के साथ ग्रेट वाश प्लास्टर, प्रैसड स्टील डोर फ्रेम, विन्डों फ्रेम तथा विन्डों शटर आदि जैसी कुछ स्थानापन्न मदों के लिए का अ द्वारा स्वीकृत दरों पर एक विवाद खड़ा हुआ। मामला दि वि प्रा द्वारा जुलाई 1982 में एक मध्यस्थ को भेजा गया। फर्म ने 40.08 लाख रुपये का एक दावा प्रस्तुत किया जिसके विरुद्ध दि वि प्रा द्वारा 4.11 लाख रुपये का एक जवाबी दावा प्रस्तुत किया गया।

मध्यस्थ ने ठेकेदार को 20.10 लाख रुपये इस आधार पर देने का निर्णय किया कि एक मामले में स्थानापन्न मदों के विनिर्देशनों की दरें ठेके पर लागू दि द अ से व्युत्पन्न नहीं की जा सकी तथा शेष मामलों में विसामान्यता अनुमानित मूल्य की 50 प्रतिशत की अनुमत सीमा से अधिक थी। इसके अतिरिक्त, मध्यस्थ ने 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर 3 जनवरी 1983 से 15 फरवरी 1988 की अवधि के लिए 18.06 लाख रुपये की राशि का ब्याज देने का निर्णय किया। घटिया मारबल निर्माण कार्य के लिए दरों की कमी के प्रति दि वि प्रा द्वारा 5.29 लाख रुपये की घटी हुई राशि भी मध्यस्थ द्वारा, इस आधार पर अस्वीकृत कर दी गयी थी कि निर्माण कार्य दि वि प्रा के प्रतिनिधियों के लगातार पर्यवेक्षणाधीन निष्पादित किया गया था तथा फर्म को निर्माण कार्य की प्रगति के दौरान अथवा छः माह की दोष देयता अवधि के दौरान त्रुटिपूर्ण अथवा खराब कार्य के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। विनिर्देशनों से नीचे सामग्री के प्रयोग के प्रति ठेकेदार को देय राशि में से कटौती से संबंधित सक्षम प्राधिकारी के आदेश भी समापन की वास्तविक तिथि के लगभग दो वर्ष बाद जारी किए गए थे। मध्यस्थ द्वारा दि वि प्रा का केवल 0.78 लाख रुपये तक का प्रतिदावा स्वीकृत किया गया था। दि वि प्रा द्वारा उठायी गई आपत्तियों को स्वारिज करते हुए मध्यस्थ का निर्णय फरवरी 1988 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा न्यायालय निर्णय बना दिया गया था। तदनुसार 18.06 लाख रुपये के ब्याज सहित 41.57 लाख रुपये की राशि (निवल) का फर्म को अप्रैल 1988 में भुगतान कर दिया गया था।

दि वि प्रा ने अभी भी लेखापरीक्षा को अपने उत्तर (जुलाई 1991) में यही कहा कि स्थानापन्न मदों के लिए विनिर्देशनों की सही व्याख्या की गई थी। घटिया मारबल के प्रयोग पर दि वि प्रा ने बताया (अपने विचार से) कि केवल भूगोलीय विशेषज्ञ अथवा इस क्षेत्र में निपुण इंजीनियर ही राजनगर तथा मकराना मारबल में भेद कर सकते थे तथा दि वि प्रा के इंजीनियरों में अपेक्षित निपुणता विद्यमान नहीं थी। यह स्पष्ट नहीं है कि दि वि प्रा ने सही समय पर विशेषज्ञों का प्रयोग करने की ओर ध्यान क्यों नहीं दिया जिसको उसने यह बताने के लिए मारबल घटिया स्तर का था प्रयोग किया।

अनुबंध प्रबंध में असफलता के परिणामस्वरूप 38.16 लाख रुपये का निष्फल व्यय हुआ।

मामला सितम्बर 1991 में शहरी विकास मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1992)।

30. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को मूल्य वरीयता

जुलाई 1989 में दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि वि प्रा) के एक कार्यकारी अभियंता (का अ) द्वारा पश्चिमपुरी में स्वयं वित्तपोषित योजना के अंतर्गत 232 मकानों के निर्माण का कार्य ठेकेदार "क" को उसकी 138.83 लाख रुपये की निविदागत लागत (106.38 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 30.50 प्रतिशत अधिक) पर सौंपा गया था। निर्माणकार्य अक्टूबर 1990 तक पूरा किया जाना था।

उच्चतम न्यायालय ने एक मामले में निर्णय दिया था कि सरकार एक बार जब निविदा द्वारा बोली के आधार पर ठेका देने का निर्णय करती है तो उसे निविदा की शर्तों का पालन करना होगा। किसी नीति के अभाव में एक प्राइवेट ठेकेदार के अधिक उपयुक्त प्रस्ताव को निविदा की शर्तों के विरुद्ध अस्वीकृत करके सरकारी उपक्रम को मूल्य वरीयता देकर ठेका सौंपना संविधान की धारा 14 का उल्लंघन था। इस प्रकार दि वि प्रा के निर्माण कार्य सलाहकार बोर्ड (नि स बो) ने 4 दिसम्बर 1987 को निर्णय दिया था कि यदि सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा क्षे उ) को मूल्य वरीयता दी जानी है तो निविदा आमंत्रण सूचना (नि आ सू) में एक उपयुक्त शर्त समाविष्ट की जानी चाहिए। सा क्षे उ ने 232 मकानों के निर्माण के लिए पहले 120.83 लाख रुपये उद्धृत किए थे, जो अनुमानित लागत से 13.58 प्रतिशत अधिक था। सा क्षे उ 18वां निम्नतम निविदाकर्ता था तथा प्रथम निम्नतम निविदाकर्ता ने 114.82 लाख रुपये उद्धृत किए थे जो अनुमानित लागत से 7.93 प्रतिशत अधिक था। भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय की सिफारिशों पर नि स बो द्वारा जुलाई 1988 में निर्माण कार्य नि

आ सू में सा क्षे उ को मूल्य वरीयता देने के बारे में उल्लेख न होने के बावजूद निम्नतम निविदा पर 7.15 प्रतिशत की मूल्य वरीयता देते हुए सा क्षे उ को सौंपा गया था।

सा क्षे उ निर्माण कार्य आरंभ करने में असफल रहा तथा उसने दि वि प्रा को कच्चे माल की लागत में असमान्य वृद्धि के कारण होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति करने को मनवाने का आग्रह किया। दि वि प्रा ने इस आग्रह को नहीं माना तथा अप्रैल 1989 में सा क्षे उ की जोखिम तथा लागत पर ठेका निरस्त करके निर्माण कार्य निविदाएं आमंत्रित करने के बाद 138.83 लाख रुपये की लागत पर ठेकेदार "क" को सौंप दिया। दि वि प्रा ने जुलाई 1989 में सा क्षे उ से 18.20 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत की मांग की। सा क्षे उ ने अगस्त 1989 में दिल्ली उच्च न्यायालय से दि वि प्रा पर उनसे विनियोजन समायोजन या किसी दावे की वसूली पर रोक लगाने के लिए स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया।

परिणामतः मंत्रालय की सिफारिशों पर दिसम्बर 1987 में निम्नतम निविदा स्वीकार न करने के कारण 24.01 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय तथा दि वि प्रा के पास पंजीकृत लोगों के मकानों के निर्माण में एक वर्ष से भी अधिक समय का विलम्ब हुआ है।

मामला सितम्बर 1991 में शहरी विकास मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1992)।

31. लाइसेंस शुल्क तथा भू किराए की वसूली न होना

दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि वि प्रा) रोहतक रोड़ (रो रो ट्रा के), मजनु का टीला (म क टी) तथा आजादपुर में ट्रांसपोर्ट केन्द्र चला रहा है। उनका संचालन दि वि प्रा द्वारा महा प्रबंधक अंतर्राज्यीय बस अड्डा (म प्र अ रा ब अ) के माध्यम से किया जाता है। लेखापरीक्षा में निकृष्ट प्रबंध के निम्नलिखित उदाहरण देखे गए थे:

(क) प्राईवेट पार्टियों तथा सरकारी तथा अर्धशासकीय संगठनों को दुकानें, स्टॉल कमरे, भूखण्ड तथा पार्किंग स्थल नीलामी द्वारा पट्टे या लाइसेंस के आधार पर किराए पर दिए जाते हैं। लाइसेंसधारियों से लाइसेंस शुल्क भू किराए अनुरक्षण प्रभार, बिजली तथा जल प्रभार, ब्याज तथा क्षतियों के 238.11 लाख रुपये अभी तक वसूल किए जाने थे (मार्च 1991)। अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित कारणों से भी बकाया राशि संचित हुई:-

- (i) जुलाई 1981 में शिवाजी पार्क से निकाले गए लोगों को रो रो ट्रा के में 52 दुकानों का लाइसेंस दिया गया था लेकिन लाइसेंस शुल्क नियत नहीं किया गया था। जून 1988 तक शुल्क के लिए कोई मांग नहीं की गई थी। उस समय तक लाइसेंस शुल्क के बकाया के रूप में 36.17 लाख रुपये संचित हो गए थे। मार्च 1991 तक प्राप्त होने वाले 51 दुकानों के लाइसेंस शुल्क के 48.04 लाख रुपये के प्रति अभी तक वसूल किए जाने वाले 44.20 लाख रुपये के शेष को बचाते हुए केवल 3.84 लाख रुपये ही वसूल किए गए थे। एक दुकान के संबंध में स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि संबंधित फाइल लापता सूचित की गई थी।
- (ii) 1987 में रो रो ट्रा के में नीलामी द्वारा पट्टाधिकार पर दिए गए 25 स्टॉलों के लिए केवल अगस्त 1990 में ही मांग की गई थी जबकि तीन वर्षों के भू किराए तथा अनुरक्षण प्रभार की 2.25 लाख रुपये की राशि प्राप्य थी। वसूलियों के अभिलेख लेखापरीक्षा को नहीं दिखाए गए थे।
- (iii) जुलाई 1976 में एक लाइसेंसधारी को अ रा ब अ पर 12200 रुपये के मासिक शुल्क पर एक दुकान पांच वर्ष की अवधि के लिए आबंटित की गई थी। लाइसेंसधारी ने नियमित रूप से लाइसेंस शुल्क का भुगतान नहीं किया तथा नवम्बर 1977 के बाद भुगतान करना बिल्कुल ही रोक दिया। तथापि 2.62 लाख रुपये के बकाया का भुगतान करने का प्रथम नोटिस केवल फरवरी 1979 में जारी किया गया था। पट्टा 4 अक्टूबर 1980 को रद्द कर दिया गया था तथा 4 जनवरी 1982 को पुनः कब्जा ले लिया गया था। दुकान के खाली करने की तिथि तक लाइसेंस शुल्क तथा क्षतियों की 5.51 लाख रुपये की राशि तथा ब्याज की 6.80 लाख रुपये की राशि इस तर्क पर वसूल नहीं की गई थी कि लाइसेंसधारी के ठिकाने का पता नहीं था।
- (iv) जुलाई 1976 में दो भागीदारों को लाइसेंस के आधार अ रा ब अ पर 16,000 रुपये मासिक शुल्क पर एक अन्य दुकान पांच वर्ष की अवधि के लिए आबंटित की गई थी। प्रारंभ से ही लाइसेंसधारी लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने में नियमित नहीं था तथा जुलाई 1981 तक जबकि दुकान के पट्टे की अवधि समाप्त हो चुकी थी, 5.84 लाख रुपये प्राप्त होने थे। सार्वजनिक परिसर अप्राधिकृत अधिभोगियों का निष्कासन अधिनियम (सा प अ) के अंतर्गत भूतपूर्व लाइसेंसधारी को निकालने तथा अप्राधिकृत रूप से कब्जा रखने की अवधि के लिए क्षतियों सहित प्राप्य राशि वसूल करने के लिए नवम्बर 1981 में कार्यवाही

प्रारंभ की गई थी। जून 1982 में लाइसेंसधारी ने विधि न्यायालय में दि वि प्रा को बकाया राशियों की वसूली करने से रोकने के लिए एक याचिका दायर की तथा याचिकादाता को बेदखल करने से रोकने के लिए एकतरफा आदेश प्राप्त किया। न्यायालय द्वारा उक्त आदेश फरवरी 1985 में रद्द कर दिया गया था। मार्च 1985 में दुकान का कब्जा पुनः प्राप्त किया गया था लेकिन 19.75 लाख रुपये इस तक पर वसूल नहीं किए जा सके कि लाइसेंसधारी के ठिकाने का कहीं पता नहीं था।

(v) दि वि प्रा ने संजय मार्केट गुलाबी बाग से निकाले गए लोगों को म का टी में लाइसेंस के आधार पर प्रति 10 वर्गमीटर के 82 भूखण्ड (मार्च 1986 में, 63, जनवरी 1987 में 13 तथा जनवरी 1988 में 6) आबंटित किए। आबंटितियों को प्रत्येक से 1000 रुपये की प्रतिभूति जमा तथा इस आश्वासन के साथ कि वे दि वि प्रा द्वारा नियत दरों पर लाइसेंस शुल्क का भुगतान करेंगे, प्राप्त करने के बाद भूखण्डों का कब्जा दिया गया था। शुल्क नियत करके उसकी मांग केवल मार्च 1990 में ही की गई थी। 31 मार्च 1991 को आबंटितियों से 8.53 लाख रुपये की राशि वसूल की जानी थी।

दि वि प्रा ने बताया (दिसम्बर 1991) कि जिन पार्टियों से 42.81 लाख रुपये प्राप्त होने थे उनके ठिकानों का कहीं पता नहीं था। 38.95 लाख रुपये की वसूली न्यायालय मुकदमें से संबंधित विषय में थी। आबंटित से प्राप्य क्षतियों तथा ब्याज का 7.72 लाख रुपये का दावा सम्पदा अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया था। यह पता लगा था कि नवम्बर 1991 तक 79.85 लाख रुपये वसूल कर लिए गए थे, लेकिन 68.78 लाख रुपये के शेष की वसूली न होने के कारणों के बारे में लेखापरीक्षा को सूचित नहीं किया गया था।

(ख) नीलामी द्वारा पट्टाधारियों पर 1973 तथा 1980 में रो रो ट्रा के में दिए गए क्रमशः 142 भूखण्डों तथा 17 दुकानों तथा 1977 में म का टी में दिए गए 76 भूखण्डों तथा 1975 में आजाद पुर में दिए गए 194 भूखण्डों के लिए मूल किराए या किश्त का निर्धारण या वसूली नहीं की गई थी।

(ग) दि वि प्रा, रो रो ट्रा के में 2 दुकानों, 3 स्टालों तथा 44 भूखण्डों, आजादपुर में 88 भूखण्डों तथा म का टी में 137 भूखण्डों की स्थिति से अवगत नहीं था। लेखापरीक्षा द्वारा दिसम्बर 1989 में असंतोषजनक कार्यकलापों की ओर संकेत किए जाने के तथ्य के बावजूद भी दि वि प्रा द्वारा सम्पत्तियों के सर्वेक्षण तथा अभिलेखे पूर्ण करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए थे।

दि वि प्रा ने बताया (दिसम्बर 1991) कि अन्य सम्पत्तियों के अभिलेख दि वि प्रा के मुख्यालय से म प्र अ रा अ ब को स्थानान्तरित कराए जा रहे थे। तथापि, लाइसेंस शुल्क के नियत करने, मांग करने, अभिलेख के स्थानान्तरण तथा लापता फाइलों को दुबारा बनाने में विलम्ब होने के कारण लेखापरीक्षा को नहीं बताए गए थे।

मामला शहरी विकास मंत्रालय को अक्टूबर 1991 में भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1992)।

32. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, दि वि प्रा के अस्थायी कार्यालयों पर अनियमित व्यय

दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि वि प्रा) ने वर्ष 1988-90 के दौरान दि वि प्रा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दि वि प्रा के अस्थायी कार्यालयों के निर्माण तथा साज सज्जा पर 8.00 लाख रुपये का व्यय किया। निर्माण पर 5.99 लाख रुपये तथा साज सज्जा पर 2.01 लाख रुपये (गलीचों तथा रेफ्रिजरेटर्स सहित) का व्यय किया गया। अस्थायी कार्यालय भारत सरकार द्वारा अधिकृत आवासीय भवनों में स्थित थे। दिसम्बर 1989 में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के कार्यभार छोड़ने के पश्चात, 5.99 लाख रुपये के पंजीगत व्यय का लाभ दि वि प्रा को प्राप्त नहीं था, बल्कि इसका लाभ केवल दोनों पदों के भूतपूर्व पदधारियों को ही हुआ जो आवासीय भवनों में रहते रहे।

दि वि प्रा के पास उपाध्यक्ष के लिए नई दिल्ली में पहले से ही आवास उपलब्ध है।

दि वि प्रा द्वारा नहीं बल्कि भारत सरकार द्वारा अधिकृत भवनों पर पंजीगत व्यय करने तथा दिल्ली प्रशासन से व्यय की आनुपातिक लागत की गैर वसूली के विषय में दि वि प्रा से पूछताछ की गई थी जिसने बताया (दिसम्बर 1991) कि उपाध्यक्ष के लिए चिन्हित निवास स्थान 1988-90 वर्षों के दौरान भूतपूर्व उपाध्यक्ष के पास था। दि वि प्रा ने आगे बताया कि विभागाध्यक्ष के कार्यालय में रेफ्रिजरेटर का होना असामान्य नहीं था। अध्यक्ष को आपूर्त फर्नीचर तथा साज सज्जा का सामान दि वि प्रा द्वारा वापिस ले लिया गया था तथा उपाध्यक्ष को आपूर्त फर्नीचर आदि को वापिस लेने के लिए कार्यवाही की जा रही थी।

मामला शहरी विकास मंत्रालय को सितम्बर 1991 में भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1992)।

33. बिना योजना के निर्माण कार्य दिया जाना

दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि वि प्रा) ने रोहिणी परिसर में 400 फ्लैटों के निर्माण का कार्य एक ठेकेदार को उसकी 180.08 लाख रुपये की निविदागत राशि पर जनवरी 1983 में सौंपा

जो कि 87.46 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 105.9 प्रतिशत अधिक था। निर्माण कार्य जनवरी 1983 में प्रारंभ किया जाना था तथा जुलाई 1984 में पूरा किया जाना था, परन्तु मार्च 1988 में 218.69 लाख रुपये की लागत पर पूरा किया गया था। विलम्ब मुख्यतः नक्शों तथा अभिन्यास योजना को अंतिम रूप न दिए जाने तथा स्थल का ठेकेदार को उपलब्ध न कराए जाने के कारण था। आधार नक्शे ठेकेदार को केवल दिसम्बर 1983 में दिए गए थे।

ठेकेदार ने व्यर्थ श्रम, औजारों के किराया प्रभार तथा प्रशासनिक खर्चों के प्रति 25.60 लाख रुपये का दावा किया। मामला दि वि प्रा द्वारा जनवरी 1984 में एक मध्यस्थ को दिया गया।

मध्यस्थ ने माना कि दि वि प्रा ने ठेकेदार को स्थल, नक्शे तथा संशोधित अभिन्यास योजनाएं उपलब्ध कराने में अपने संविदात्मक दायित्व को पूरा नहीं किया तथा ठेकेदार को 6.50 लाख रुपये देने का निर्णय किया। निर्णय की दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी। चूंकि दि वि प्रा एक महीने की निर्धारित अवधि में भुगतान करने में असफल रहा, ठेकेदार ने दिल्ली उच्च न्यायालय से मार्च, 1988 में कुर्की आदेश प्राप्त किए जिसमें दि वि प्रा के बैंकों को 1.78 लाख रुपये के ब्याज सहित 8.28 लाख रुपये न्यायालय के पास जमा कराने का निदेश दिया गया था। बैंक ने मार्च 1988 में राशि का भुगतान कर दिया।

ठेके में प्रावधान करने से पूर्व दि वि प्रा में स्थल, अभिन्यास योजनाएं तथा विस्तृत नक्शे उपलब्ध कराने के लिए समय के निर्धारण में घटिया प्रबंध तथा अपर्याप्त योजना के परिणामस्वरूप 8.28 लाख रुपये का परिहार्य व्यय हुआ।

मामला सितम्बर 1991 में शहरी विकास मंत्रालय का भेजा गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1992)।

34. लॉटरी निधियों का दुर्विनियोजन

दिल्ली, लखनऊ तथा कलकत्ता (अक्टूबर 1985) में धनबाद में स्थानांतरित स्थित दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि वि प्रा), के लॉटरी कार्यालयों, जिन्होंने स्थानीय व्यापारियों तथा एजेंटों को दि वि प्रा की लॉटरी की टिकटें बेची, में लॉटरी निधियों के दुर्विनियोजन के निम्नलिखित मामले लेखापरीक्षा के ध्यार में आए:-

- (i) कलकत्ता तथा धनबाद (दिसम्बर 1983 से) के कैम्प कार्यालय के प्रभारी उच्च श्रेणी लिपिक (उ श्रे लि) को, जब उससे प्राप्य कामधेनु लॉटरी की टिकटों की बिक्री प्राप्तियों के

20 लाख रुपये तथा सात लेखे प्राप्त नहीं हुए थे, मई 1987 में निलंबित कर दिया गया था। दि वि प्रा ने जुलाई 1988 में उसके द्वारा दि वि प्रा को अदा न किए गए 6.36 लाख रुपये तथा केवल चार लेखाओं के अंतर्गत आने वाली राशियों के संबंध में एक आरोप पत्र जारी किया क्योंकि स्पष्ट रूप से दि वि प्रा में उस समय तक प्राप्य राशियों के लेखे चालू नहीं थे। क्लर्क को सितम्बर 1990 में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था लेकिन उससे राशियों की कोई वसूली नहीं की गई थी।

(ii) दिल्ली कार्यालय के एक अन्य अवर श्रेणी लिपिक ने अप्रैल 1986 में हुए कामधेनु लॉटरी के एक ड्रॉ के 0.99 लाख रुपये अदा नहीं किए थे। लेकिन उसको सितम्बर 1986 तक लॉटरी टिकटों की आपूर्ति की गई थी। उसको दिसम्बर 1986 में जब उससे 1.81 लाख रुपये प्राप्त होने थे, निलंबित कर दिया गया था। अ श्रे लि द्वारा फरवरी 1987 तथा फरवरी 1989 के बीच केवल 0.47 लाख रुपये जमा कराए गए थे। जुलाई 1989 में उसके मूल कार्यालय (डा ता विभाग) में बहाल करके प्रत्यावर्तित किया गया था जबकि उससे 1.34 लाख रुपये का शेष प्राप्त होना था। आगे, क्लर्क के विरुद्ध की गई कार्यवाही यदि कोई हो, के बारे में लेखापरीक्षा को सूचित नहीं किया गया था।

(iii) एक निम्न श्रेणी लिपिक (नि श्रे लि) को दिसम्बर 1986 से दिल्ली के कार्यालय का प्रभार दिया गया था। जून 1987 में जब दि वि प्रा के मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा उसके कार्यालय का निरीक्षण किया गया तो उसे उसके प्रति बकाया 2.55 लाख रुपये जमा कराने के लिए कहा गया था। लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि निरीक्षण के समय उसके प्रति 29 लेखाओं के अंतर्गत 2.64 लाख रुपये बकाया थे। नि श्रे लि को जून 1987 में निलंबित कर दिया गया था। उसके द्वारा जून 1987 तथा अप्रैल 1988 के बीच केवल 0.98 लाख रुपये की राशि जमा कराई गई थी। जुलाई 1990 में उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। प्राप्य पूर्ण राशियों की वसूली न करने के कारण तथा भविष्य में दुर्विर्नियोजन को रोकने के लिए की गई कार्यवाही दर्ज नहीं की गई थी।

लॉटरी कार्यालयों को ड्रॉ के अगले दिन दिल्ली के मुख्यालय कार्यालय में लेखे प्रस्तुत करने थे। बैंक में प्रेषित राशि के लिए चालानों की प्रतियां संलग्न की जानी थी। लेखापरीक्षा में प्रक्रिया की निम्नलिखित कमियां देखी गई थीं:-

दि वि प्रा के अधिकारियों के लॉटरी अधिकारियों द्वारा मुख्य कार्यालय को बिक्री आय के जमा तथा सामयिक लेखे के प्रस्तुतिकरण में असफल रहने के परिणामस्वरूप 23 लाख रुपये का दुविर्नियोजन हुआ।

दि वि प्रा के अधिकारियों द्वारा मुख्य कार्यालय में अनुरक्षित लेखाओं को आपर्ण रखने की अनुमति दी गई थी जिसके परिणामस्वरूप लॉटरी कार्यालयों के कार्यकलापों का पता नहीं लग पाया था।

दि वि प्रा के अधिकारियों द्वारा कार्यालयों के निरीक्षण प्रभावकारी ढंग से या जल्दी जल्दी नहीं किए गए थे। लिपिकों से ईमानदारी या क्षतिपूर्ति बांड या अन्य जमानतें, जिनसे राशियां वसूल की जा सके, प्राप्त किए बिना उनको इतने अधिक मूल्य के वित्तीय लेन देन सौंप दिए गए थे।

मामला सितम्बर 1991 में शहरी विकास मंत्रालय को भेजा गया था; अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1992)।

35. अत्यधिक लागत

दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि वि प्रा) ने नवम्बर 1981 में एक ठेकेदार को 21.25 लाख रुपये की लागत पर, जोकि 14.92 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 42.4 प्रतिशत अधिक थी, हौज खास झील फेज-V के विकास का निर्माण कार्य सौंपा। नवम्बर 1982 में पूर्ण किया जाने वाला निर्माण कार्य 29.83 लाख रुपये की लागत पर फरवरी 1983 में पूर्ण किया गया था। अत्यधिक लागत के विश्लेषण से निम्नलिखित प्रकट हुआ:-

(क) निर्माण कार्य के दौरान ठेकेदार तथा दि वि प्रा के बीच एक विवाद उत्पन्न हो गया तथा अगस्त 1982 में एक मध्यस्थ की नियुक्ति की गई थी। विवाद के मुद्दे में से एक "सीमेंट क्रक्रीट (सी क) फर्श, "जिसको "नींव में सी क" वास्तविक मद के बदले में इस्तेमाल किया गया था, मद से संबंधित था। दि वि प्रा के अनुदेशों के अधीन सीमेंट क्रक्रीट फर्श बनाने में शीषे की पट्टी नहीं दी गई थी तथा उनकी दरों में कटौतियां की गई थी। ठेकेदार ने कटौतियों के लिए आपत्ति की जिसे मध्यस्थ ने अनुमति दे दी क्योंकि के लो नि वि के विनिर्देशनों के अनुसार पट्टियों के साथ तथा पट्टियों के बिना फर्श बनाने के लिए साथ साथ माप लिया जाना था। मध्यस्थ ने ठेकेदार को 1.50 लाख रुपये

देने का निर्णय दिया। स्ट्रुक्चरल विनिर्देशनों का सावधानी से पालन नहीं किया गया था।

(ख) विवाद का दूसरा मुद्दा नींव में चूना क्रंकीट की मात्रा से संबंधित था। ठेकेदार को असमतल भूमत के कारण चूना क्रंकीट की भिन्न भिन्न सघनता उपलब्ध करानी पड़ी। ठेकेदार के कहने के बावजूद दि वि प्रा द्वारा भूमि को समतल करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। मध्यस्थता के साथ स्थल के संयुक्त निरीक्षण पर औसत सघनता समझौते में दिए गए 15 से मी से 3.79 से मी अधिक पाई गई थी। मध्यस्थ ने आवश्यक चूना क्रंकीट की अतिरिक्त सघनता के लिए सितम्बर 1982 से 7 प्रतिशत के ब्याज सहित 1.50 लाख रुपये देने का निर्णय किया।

कुल मिलाकर ठेकेदार को 3.66 लाख रुपये की राशि दी गई थी।

दूसरे विवादों में दूसरे मध्यस्थ ने अगस्त 1990 में ठेकेदार को उसके 21.71 लाख रुपये के दावे के प्रति 5.37 लाख रुपये देने का निर्णय दिया। दि वि प्रा ने कोई प्रति दावा प्रस्तुत नहीं किया तथा अर्थदण्ड को स्वीकार कर लिया।

परिणामतः दि वि प्रा द्वारा ठेके के त्रुटिपूर्ण प्रबंध के कारण ठेकेदार को 9.03 लाख रुपये के अतिरिक्त व्यय का भुगतान किया गया था।

मामला सितम्बर 1991 में शहरी विकास मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1992)।

36. दोषपूर्ण योजना के कारण अधिक व्यय

मार्च 1981 में सिरिफोर्ट में एशियाई खेल गांव में पार्किंग स्थलों के निर्माण तथा वर्तमान सड़कों को चौड़ा करने का कार्य सितम्बर 1981 तक पूर्ण करने के लिए एक ठेकेदार को सौंपा गया था।

इस आधार पर कि निर्माण कार्य की प्रगति बहुत धीमी थी तथा कारण बताओं नोटिस के ठेकेदार के इस उत्तर के बावजूद कि समस्त दोष दि वि प्रा की ओर से था, ठेका जोखिम पर दिसम्बर 1981 में निरस्त कर दिया गया था तथा 0.40 लाख रुपये की ठेकेदार की लागत तथा उसकी प्रतिभूति जमा को जब्त कर लिया गया था।

मई 1982 तक पूर्ण किए जाने के लिए फरवरी 1982 में एक अन्य ठेकेदार को दिया गया शेष कार्य (65.7 प्रतिशत) नवम्बर 1982 में छः माह के विलम्ब के बाद पूर्ण किया गया था।

पहले ठेकेदार ने 2.69 लाख रुपये का दावा (दि वि प्रा ने किसी प्रति दावे को वरीयता नहीं दी) प्रस्तुत किया तथा मध्यस्थ ने अगस्त 1983 में 1.45 लाख रुपये की अनुमति दी क्योंकि दि वि प्रा

अपने संविदात्मक दायित्व को पूरा करने में असफल रहा था। तदनुसार, अक्टूबर 1984 में दि वि प्रा द्वारा ठेकेदार को ब्याज सहित 1.59 लाख रुपये की राशि दी गई थी।

अप्रैल 1983 में प्रतिभूति जमा आदि (0.52 लाख रुपये) की वापसी के लिए प्रस्तुत ठेकेदार का दावा अन्य किसी मध्यस्थ, जिसकी अक्टूबर 1984 में नियुक्ति की गई थी, के पास लम्बित है। दि वि प्रा ने जोखिम पर किए गए निर्माण कार्य, ठेकेदार की लागत तथा कम पाई गई सामग्री, निर्माण कार्य में बहुत बड़े आकार के एक पत्थर का प्रयोग करने तथा सीमेंट आदि की वसूली के लिए 3.39 लाख रुपये के प्रति दावे प्रस्तुत किए। दि वि प्रा द्वारा प्रति दावे प्रथम मध्यस्थ के समक्ष ही प्रस्तुत किए जा सकते थे।

मामला अक्टूबर 1991 में शहरी विकास मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1992)।

37. दोषपूर्ण ठेका प्रबंध तथा मध्यस्थता

दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि वि प्रा) भूमि के विकास, फ्लैटों के निर्माण तथा अन्य कार्यों के लिए ठेकेदारों को काम पर रखता है। ठेका अनुबंधों में मध्यस्थता के माध्यम से विवादों का निपटान करने की व्यवस्था है। 75,000 रुपये या इससे अधिक के दावों पर यह आशा की जाती है कि मध्यस्थ यथोचित निर्णय देगा। दि वि प्रा ने मार्च 1988 तक मध्यस्थों द्वारा घोषित निर्णयों की संख्या दशनि वाले कोई समेकित अभिलेख अनुरक्षित नहीं किए थे। मार्च 1988 के बाद भी निर्णयों में शामिल राशि तथा मध्यस्थों द्वारा घोषित पुरस्कारों के संबंध में की गई अनुवर्ती कार्यवाही के कोई अभिलेख अनुरक्षित नहीं किए गए थे। तथापि, रजिस्ट्रों से यह देखा गया था कि 1986 से 1991 तक 801 विवादों के मामलों में मध्यस्थ को नियुक्त किया गया था। लेखापरीक्षा में नवासी स्पीकिंग एवार्ड के मामलों तथा 20 नान स्वीकिंग एवार्ड के मामलों की जांच की गई थी।

मध्यस्थों ने ठेकेदारों को उनके कुल 1521 लाख रुपये के दावों के प्रति 380 लाख रुपये दिए थे; दि वि प्रा के 617 लाख रुपये के प्रति दावे के प्रति मध्यस्थ द्वारा केवल 38 लाख रुपये के दावे ही स्वीकृत किए गए थे। संबंधित अभिलेख की जांच से निम्नलिखित प्रकट हुआ:-

(i) 39 मामलों में दि वि प्रा ने ठेकेदारों को प्राप्य भुगतान से ठेके की शर्तों को भंग करने के लिए या सम्मत समय अनुसूची के भीतर निर्माण कार्य पूरा करने में ठेकेदार की असफलता जिसके

कारण ठेकेदार की प्रतिभूति जमा जब्त होने या किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से निर्माण कार्य के अनिष्पादित भाग का कार्य कराए जाने में किए गए अतिरिक्त व्यय की वसूली के लिए क्षतिपूर्ति के लिए 329 लाख रुपये रोक लिए थे। मध्यस्थों ने निम्नलिखित एक या अधिक कारणों से दि वि प्रा के दावे अस्वीकृत कर दिए:-

- (क) दावेदारों को सूचित नहीं किया गया था कि यह निर्माण कार्य के निष्पादन में विलम्ब के लिए क्षतिपूर्ति वसूल करने के लिए प्रस्तावित किया गया था तथा ठेके में समय कमी सार नहीं बनाया गया था।
- (ख) ठेकेदारों को समय अनुसूची के भीतर निर्माण कार्य पूरा करने में असफल रहने में क्षतिपूर्ति की उगाही के लिए दि वि प्रा का अभिप्राय अधिसूचित करते हुए सामयिक तथा उपयुक्त नोटिस न जारी करना।
- (ग) ठेकेदारों को वास्तुकारीय तथा ढांचीय आरेखणों तथा नक्शों की विलम्ब से आपूर्ति।
- (घ) निर्माण कार्यक्रमानुसार दि वि प्रा द्वारा सामग्री का आपूर्त न किया जाना।
- (ङ.) दि वि प्रा द्वारा अपनी संविदात्मक दायित्वों को पूरा न करने के कारण ठेके का उल्लंघन।
आगे मध्यस्थों द्वारा दि वि प्रा के 221 लाख रुपये के 25 दावे भी अस्वीकृत किए गए थे।
- (ii) 65 मामलों में ठेकेदारों ने दि वि प्रा द्वारा ठेका भंग करने या विलम्ब के कारण बेकार श्रम तथा औजार तथा संयंत्र के लिए हानियों या क्षतियों का दावा किया। 137 लाख रुपये के ठेकेदार के दावों को मध्यस्थों द्वारा इस आधार पर अनुमोदित कर दिया गया था कि दि वि प्रा ठेके के अंतर्गत पारस्परिक दायित्वों को निभाने में असफल था जिससे दावेदारों के लिए निर्धारित अवधि के भीतर निर्माण कार्य पूरा करने में बाधा उत्पन्न हुई।
- (iii) 28 मामलों में दि वि प्रा द्वारा ठेकेदारों से की गई 24 लाख रुपये की वसूलियां मध्यस्थों द्वारा सामग्री के अतिरिक्त उपयोग के समर्थन में हानियों तथा क्षतियों के प्रमाण उपलब्ध कराने में दि वि प्रा की असफलता तथा इस्पात के अधिक उपयोग के लिए की गई वसूलियां अनुबंध के अनुसार न होने के कारण अलग रख दी गई थी।
- (IV) दि वि प्रा ने 37 ठेकेदारों को दिए गए बिलों से सामयिक भुगतान के लिए छूट के रूप में 10 लाख रुपये वसूल किए लेकिन मध्यस्थों ने ठेकेदार के तर्क का अनुमोदन किया कि छूट इस आधार पर वसूल नहीं की जानी थी कि दि वि प्रा ठेके में निर्धारित बिलों का भुगतान करने में असफल रहा था।

(v) उन समस्त मामलों में जहां मध्यस्थों द्वारा ठेकेदारों के दावों का अनुमोदन किया गया था, उल्लेख की तिथि से लम्बित दावों पर 10 प्रतिशत से 18 प्रतिशत तक 34 लाख रुपये राशि का ब्याज भी दि वि प्रा द्वारा देय था। दि वि प्रा ने 17 मामलों में दि वि प्रा द्वारा भुगतान की तिथि तक मध्यस्थों द्वारा अनुमोदित किए गए ठेकेदारों के दावे की तिथि से 37 लाख रुपये की राशि का ब्याज तथा कुछ मामलों में उच्च न्यायालय में अपनी अपील हार जाने के बाद भी ब्याज दिया।

(vi) गुणवत्ता नियंत्रण सैल या उच्च आदेश के परामर्श पर दि वि प्रा द्वारा अंश दरें दी गई थी या त्रुटियों के सुधार लम्बित होने से भुगतानों को रोक लिया गया था।

आगे दि वि प्रा द्वारा एकतरफ़ीय रूप से नियत दरों पर ठेकेदारों के माध्यम से निष्पादित कराए गए विचलन के लिए किए गए अधिक भुगतान तथा निर्माण कार्य की अतिरिक्त तथा प्रतिस्थापित मर्दों पर किए गए भुगतान ठेकेदारों को स्वीकार्य नहीं थे। इस प्रकार के अधिकांश मामलों में, मध्यस्थों ने रोकी हुई या कम भुगतानों या वसूलियों की राशियों को इस आधार पर अलग करके रख दी कि दि वि प्रा अनुबंध के अधीन सही रूप में अपना निर्णय नहीं बना सका या उचित नोटिस जारी नहीं किए थे। इस प्रकार 85 मामलों में मध्यस्थों के पंचाट के अनुसार दि वि प्रा द्वारा 437 लाख रुपये दिए जाने थे।

मामला अक्टूबर 1991 में शहरी विकास मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1992)।

अध्याय-V

दिल्ली प्रशासन के राजस्व विभाग

38. राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

दिल्ली प्रशासन की वर्ष 1990-91 के लिए 1,144.45 करोड़ रुपये की प्रत्याशित प्राप्तियों के प्रति 1,024.66 करोड़ रुपये की कुल राजस्व प्राप्तियां थीं। वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 1988-89 की प्राप्तियों (813.57 करोड़ रुपये) से 25.95 प्रतिशत और 1989-90 की प्राप्तियों (892.80 करोड़ रुपये) से 14.77 प्रतिशत की वृद्धि लेखाबद्ध की गई थी। 1024.66 करोड़ रुपये की कुल राजस्व प्राप्तियों में से कर राजस्व के 990.99 करोड़ रुपये और शेष 33.67 करोड़ रुपये गैर कर राजस्व के थे। अनुवर्ती दो वर्षों की तदनुसूची राशियों के साथ साथ राजस्व के मुख्य शीर्षों के अंतर्गत वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियां नीचे दी गई हैं:-


क्र सं.		1988-89	1989-90	1990-91
				(करोड़ रुपयों में)
क	कर राजस्व			
1	बिक्रय कर	524.59	597.96	689.71
2	राज्य उत्पाद शुल्क	159.40	145.07	162.21
3	माल तथा यात्री कर (सीमा कर)*	34.73	34.85	37.20
4	स्टाम्प ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क	32.73	34.85	32.14
5	मोटर वाहन कर	27.07	31.59	53.16
6	भूमि राजस्व	0.02	0.03	0.02
7	मनोरंजन कर सहित जिन्सों तथा सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	14.36	15.41	16.55

कुल कर राजस्व	792.90	859.76	990.99
स्व-गैर कर राजस्व	20.67	33.04	33.67

ग - कुल राजस्व प्राप्तियां 813.57 892.80 1,024.66

- * अधिकतर गैर-कर राजस्व "अन्य प्रशासनिक सेवाएं" "पुलिस" और शिक्षा, खेल, कला तथा संस्कृति" शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए जाते हैं।
- * माल तथा यात्री कर (सीमा कर) दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 178 के प्रावधान के अनुसार दिल्ली प्रशासन के एजेंट के रूप में दिल्ली नगर निगम द्वारा लगाए और वसूल किए जाते हैं।

वृद्धि - कर राजस्व



39. कर राजस्व के संग्रहण की लागत

राजस्व के मुख्य शीर्षों के अंतर्गत संग्रहण पर किए गए व्यय तथा पिछले दो वर्षों के साथ 1990-91 के दौरान सकल संग्रहण से संग्रहण की लागत की प्रतिशतता नीचे दर्शाई गई है:-

(करोड़ रुपयों में)

कर राजस्व

प्राप्ति शीर्ष	वर्ष	सकल संग्रह	संग्रहण पर व्यय	संकल संग्रहण से संग्रहण की लागत की प्रतिशत	अखिल भारतीय औसत (प्रतिशतता)
1	2	3	4	5	6
बिक्री कर	1988-89	524.59	4.20	1	
	1989-90	597.96	4.62	1	1.5
	1990-91	689.71	4.90	1	
राज्य उत्पाद शुल्क	1988-89	159.40	0.90	1	
	1989-90	145.07	0.94	1	
	1990-91	162.21	0.75	1	3
माल और यात्री कर (सीमा कर)	1988-89	34.73	3.37	10	
	1989-90	34.85	3.93	11	
	1990-91	37.20	3.89	10	
स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क	1988-89	32.73	0.14	नगण्य	
	1989-90	34.85	0.18	नगण्य	
	1990-91	32.14	0.18	नगण्य	5
मोटर वाहन कर	1988-89	27.07	1.08	4	
	1989-90	31.59	1.21	4	
	1990-91	53.16	1.36	3	3
भूमि कर	1988-89	0.02	0.04*	200	
	1989-90	0.03	0.04*	150	
	1990-91	0.02	0.04	200	

वस्तुओं तथा	1988-89	14.36	0.08	1
सेवाओं पर अन्य	1989-90	15.41	0.08	1
कर एवं शुल्क	1990-91	16.55	0.08	1
(मनोरंजन कर सहित)				

जोड़	1988-89	792.90	9.81
	1989-90	859.76	11.00
	1990-91	990.99	11.20

- * भू-राजस्व को एकत्रित करने के लिए लगाया गया स्टाफ पूर्णतः यही कार्य नहीं करता अपितु अन्य विविध कार्य भी करता है।

बिक्री कर

40. पंजीकृत व्यापारियों की संख्या

दिल्ली बिक्री कर अधिनियम 1975 के अंतर्गत एक व्यापारी, जो व्यापार करता है, उसे स्वयं को पंजीकृत करवाना, कर अदा करना अपेक्षित है, यदि एक वर्ष में उसकी सकल बिक्री एक लाख रुपये से अधिक हो जाती है। एक व्यापारी जो एक विनिर्माता है, उसे ऐसा करना अपेक्षित है यदि उसकी बिक्री एक वर्ष में 30,000 रुपये से अधिक हो जाती है। हलवाइयों को, स्वयं को पंजीकृत कराना अपेक्षित है यदि उनकी बिक्री एक वर्ष में 75,000 रुपये से अधिक हो जाती है। व्यापारियों को केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 के अंतर्गत भी स्वयं को पंजीकृत कराना आवश्यक है यदि वे किसी राशि के लिए अंतर्राज्यीय बिक्री अथवा खरीदों में संलग्न हैं। 31 मार्च 1991 को समाप्त हुए पिछले तीन वर्षों के दौरान बिक्री कर विभाग दिल्ली प्रशासन द्वारा यथा प्रेषित (दिसम्बर 1991) पंजीकृत व्यापारियों की संख्या नीचे दी गई है। कोष्ठकों में आंकड़े केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारियों की संख्या को सूचित करते हैं:-

	31 मार्च 1989	31 मार्च 1990	31 मार्च 1991	
1	पंजीकृत व्यापारियों की कुल संख्या	1,05,343 (99,311)	1,08,831 (1,02,744)	1,13,357 (1,07,459)
2	(क)दस लाख रुपए तथा अधिक की कुल बिक्री वाले व्यापारियों की सं.	22,315 (21,234)	32,739 (30,269)	34,446 (33,409)
	(ख)पांच लाख रुपये से अधिक परन्तु दस लाख रुपये से कम बिक्री वाले व्यापारियों की संख्या	25,598 (25,048)	24,146 (23,050)	27,764 (26,532)
	(ग)एक लाख रुपये से अधिक परन्तु 5 लाख रुपये से कम बिक्री वाले व्यापारियों की संख्या	35,398 (32,742)	36,008 (34,841)	32,068 (30,190)
	(घ)एक लाख रुपये से कम बिक्री वाले व्यापारियों की संख्या	22,032 (20,287)	15,938 (14,584)	19,079 (17,328)

41. वसूली की प्रक्रिया में बिक्री कर मांगे

31 मार्च 1991 को चूककर्ता निर्धारितियों से 603.72 करोड़ रुपये की राशि का प्राप्य बिक्री कर संग्रहण लम्बित था। विभाग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार (सितम्बर 1991) 1988-89, 1989-90, तथा 1990-91 के दौरान ये बकाया कार्यवाही की निम्नलिखित अवस्थाओं में थे:-

(करोड़ रुपयों में)

कार्यवाही की अवस्था	बकाया कर की राशि					
	1988-89		1989-90		1990-91	
	स्थानीय	केन्द्रीय	स्थानीय	केन्द्रीय	स्थानीय	केन्द्रीय
1 भू-राजस्व की वसूली सहित वसूली की प्रक्रिया में	161.27	37.08	218.53	94.94	269.08	132.35
2 अन्य प्राधिकारियों द्वारा रोकी गई वसूली	54.45	11.86	33.85	20.18	50.09	20.60
3 अपील अथवा समीक्षा में रोकी गई वसूली	37.39	8.92	32.35	12.87	35.23	19.01
4 बट्टे खाते डाल दी जाने वाली संभाव्य मांगे	10.05	2.28	20.94	4.60	13.64	10.13
5 व्यापारियों के दिवालियापन के कारण रोकी गई वसूली	3.58	1.77	34.60	6.23	13.46	1.62
6 न्यायालयों द्वारा रोकी गई वसूली	7.83	2.74	48.97	9.93	11.71	2.93
7 अन्य कारण	54.77	6.84	18.64	7.41	19.14	4.73
जोड़	329.34	71.49	407.88	156.16	412.35	191.37
	400.83		564.04		603.72	

42. लम्बित वसूली प्रमाणपत्र

विभाग द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार (सितम्बर 1991) मार्च 1991 के अंत में लम्बित वसूली प्रमाणपत्रों तथा 1990-91 के दौरान उनके मुद्रा मूल्यों सहित जारी और निपटाए गए लम्बित वसूली प्रमाणपत्रों की संख्या तथा जहां पर प्रत्येक मामले में राशि 20,000 रुपये अथवा अधिक अंतर्विष्ट है, लम्बित वसूली प्रमाण पत्रों की संख्या को इंगित करती है:-

	लम्बित वसूली प्रमाणपत्रों की सं. (करोड़ रुपयों में)	राशि
1 31.3.1991 को लम्बित वसूली प्रमाणपत्रों की कुल संख्या और अंतर्विष्ट कर राशि	37,527	210.32
2 वर्ष 1990-91 के दौरान जारी वसूली प्रमाणपत्रों की कुल संख्या	5,504	109.52
3 वर्ष 1990-91 के दौरान कर की वसूली के पश्चात निपटाए गए वसूली प्रमाण पत्रों की कुल संख्या	1,316	4.99
4 प्रत्येक मामले में जहां अंतर्विष्ट कर की राशि 20,000 रुपये अथवा अधिक है, लम्बित वसूली प्रमाणपत्रों की कुल संख्या	14,640	21.30

43. गबन तथा धोखाधड़ी

विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार (अक्टूबर 1991) दोनों, स्थानीय तथा केन्द्रीय अधिनियम के अंतर्गत 46.73 करोड़ रुपये की राशि को समाविष्ट करते हुए गबन तथा धोखाधड़ी के 417 मामलों का वर्ष 1990-91 के दौरान पता लगाया गया था।

निम्नलिखित तालिका 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के वर्षों के प्रारंभ में लम्बित मामलों, इन वर्षों के दौरान निपटाए गए मामलों और इन वर्षों के अंत में बकाया मामलों की स्थिति दर्शाती है:-

	1988-89				1989-90				1990-91			
	मामलों की सं.		राशि (करोड़ रु. में)		मामलों की सं.		राशि (करोड़ रु. में)		मामलों की सं.		राशि (करोड़ रु. में)	
	स्थानीय	केन्द्रीय	स्थानीय	केन्द्रीय	स्थानीय	केन्द्रीय	स्थानीय	केन्द्रीय	स्थानीय	केन्द्रीय	स्थानीय	केन्द्रीय
क (i) वर्ष के प्रारंभ में लम्बित मामलों की संख्या	509	460	25.11	13.00	404	372	14.43	5.94	315	297	9.18	3.56
(ii) वर्ष के दौरान पता लगाए गए मामले	302	258	12.24	5.12	303	282	5.41	2.12	219	198	29.57	17.16
ख मामले जिनमें वर्ष के दौरान निरीक्षण/निर्धारण पूरे किए गए थे												
(i) उपर्युक्त क (i) पर के मामलों में से	246	207	15.36	8.46	224	203	7.64	3.32	153	148	4.76	1.72
(ii) उपर्युक्त क (ii) पर के मामलों में से	161	139	7.56	3.72	168	154	3.02	1.18	138	129	16.72	10.08
ग मामले जो वर्ष के अंत तक लम्बित थे												
(i) उपर्युक्त क (i) पर के मामलों में से	263	253	9.75	4.54	180	169	6.79	2.62	162	149	4.42	1.84
(ii) उपर्युक्त क (ii) पर के मामलों में से	141	119	4.68	1.40	135	128	2.39	0.94	81	69	12.85	7.08

44. उठाई गई तथा लम्बित बिक्री कर की मांगे

विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचना (अक्टूबर 1991) के अनुसार 31 मार्च 1991 को 781.42 करोड़ रुपये की राशि का प्राप्य लम्बित बिक्री कर चूककर्ता निर्धारितियों से संग्रहणीय था। नीचे की सारणी 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के वर्षों के प्रारंभ में लम्बित मांगों की वसूली की स्थिति इन वर्षों के दौरान की गई मांग, संग्रहीत कर, बट्टे खाते डाले जाने के कारण समायोजन, कटौती और मांगों की माफी तथा इन वर्षों के अंत में लम्बित मांगों को दर्शाती है:-

(करोड़ रुपयों में)

कार्यवाही की स्थिति	बकाया कर की राशि					
	1988-89		1989-90		1990-91	
	स्थानीय	केन्द्रीय	स्थानीय	केन्द्रीय	स्थानीय	केन्द्रीय
1 वर्ष के प्रारंभ में बकाया करों के लिए मांग की वसूली	260.10	61.09	374.41	80.51	495.02	96.22
2 वर्ष के दौरान उठाई गई मांग	137.14	29.43	167.73	25.38	192.23	49.76
3 वर्ष के दौरान संग्रहीत कर	19.50	9.26	48.23	8.44	28.45	9.15

4	बट्टे खाते डाले जाने, कटौती और मांगों की माफी के कारण समायोजन	3.33	0.75	3.89	1.23	12.10	2.11
5	वर्ष के अंत में बकाया कर के लिए मांगे	374.41	80.51	495.02	96.22	646.70	134.72
जोड़		454.92	591.24	781.42			

45. लेखापरीक्षा की जांच के लिए निर्धारण फाइलों का अप्रस्तुतिकरण

1987-88, 1988-89, 1989-90 के वर्षों से संबंधित बिक्री कर विभाग की 150 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के विश्लेषण से यह पाया गया था कि वे फाइलें जो अपीलीय या उच्चतर विभागीय प्राधिकारियों के पास बताई गई थीं, को छोड़ने के बाद भी बहुत सी फाइलें जिनका नीचे उल्लेख किया गया है, जांच पड़ताल के लिए लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई थी। तथापि फाइलों के अप्रस्तुतिकरण के लिए विभाग द्वारा कोई कारण नहीं बताए गए थे।

(1) फाइलें	(2) वर्ष	(3) फाइलों की संख्या
वर्ष के दौरान प्रस्तुत न की गई	1987-88	45,415
वर्ष के दौरान प्रस्तुत न की गई	1988-89	54,621
वर्ष के दौरान प्रस्तुत न की गई	1989-90	61,514
जोड़		1,61,550

परिणामस्वरूप उन मामलों की लेखापरीक्षा में जांच नहीं की जा सकी। उनके अप्रस्तुतिकरण के परिणामस्वरूप राजस्व की पर्याप्त हानि हो सकती है क्योंकि पाई गई गलतियों, यदि कोई हो के पुनर्निर्धारण अथवा अधिसूचना पर की गई कार्यवाही, में देर हो जाएगी अथवा कालबाधित हो जाएगी।

46. प्रतिप्रेषित मामलों का निपटान

46.1 प्रस्तावना

दिल्ली बिक्री कर अधिनियम 1975 की धारा 43 के अंतर्गत किसी व्यापारी को किसी आदेश, धारा 44 में उल्लेखित आदेश के कारण नहीं, द्वारा हानि पहुंचती है तो वह निर्धारित प्राधिकरण को अपील कर सकता है। निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अपील में पास आदेश द्वारा हानि उठाने वाला व्यापारी इस प्रकार के आदेशों के विरुद्ध अपीलीय अधिकरण में अपील कर सकता है।

अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपीलों के निपटान तथा अपील किए गए मामलों के प्रति पुनर्निर्धारण के निर्धारण प्राधिकारी को निदेश देने की उनकी शक्तियां एक दूसरे के प्रासंगिक है। दिल्ली बिक्री कर अधिनियम 1975 की धारा 43(5) के अंतर्गत बिक्री कर सहायक आयुक्त उपायुक्त तथा अतिरिक्त आयुक्त द्वारा निर्धारण आदेश के विरुद्ध अर्थदण्ड सहित या रहित कोई अपील तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि इस प्रकार की अपीलों के साथ अर्थदण्ड सहित या रहित, या जैसा भी मामला हो, कर के भुगतान या अर्थदण्ड, जिसके संबंध में अपील प्रस्तुत की गई है, के भुगतान के संतोषजनक प्रमाण संलग्न न किए गए हो। तथापि अधिनियम के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारियों को इस प्रकार के आदेशों के विरुद्ध अपील स्वीकार करने का अधिकार दिया गया है:-

- (क) इस प्रकार की राशि के लिए निर्धारित रूप में या इस प्रकार के रूप, जैसा कि उसे निदेश दिया जाए, में प्रतिभूति भेजने वाले अपीलकर्ता पर कर तथा जुर्माने, यदि कोई हों, या जुर्माने का जैसा भी मामला हो, का भुगतान किए बिना, या
- (ख) कर या जुर्माने, जो भुगतान न किए गए हों, की इस प्रकार की राशि के लिए प्रतिभूति के साथ या बिना इतनी कम राशि के भुगतान के प्रमाण पर।

46.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

प्रतिप्रेषित मामलों के प्रशासन का विश्लेषण करने के विचार से लेखापरीक्षा में 1990-91 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपीलों तथा प्रतिप्रेषित मामलों के निपटान के संबंध में विभाग द्वारा बताई गई स्थिति की तुलना में वर्ष 1989-90 के अतिरिक्त आयुक्त बिक्री कर के अभिलेख की

परीक्षा जांच की गई थी। वर्ष 1989-90 के दौरान 574 अपीलें फाईल की गई थी जिनमें से 16.30 करोड़ रुपये के कर प्रभाव के फाइल किए गए 120 मामलों की जांच की गई थी जो कुल मामलों का 21 प्रतिशत बनते थे।

46.3 संगठनात्मक ढांचा

दिल्ली बिक्री कर अधिनियम 1975 के अंतर्गत उसमें निहित समस्त शक्तियों तथा कर्तव्यों सहित प्रशासन का प्रमुख बिक्री कर आयुक्त है। उसके कार्यों में उसकी सहायता करने के लिए एक अतिरिक्त आयुक्त दो उपायुक्त, 10 सहायक आयुक्त, तथा 99 बिक्री कर अधिकारी हैं। विभाग में 50 वार्ड, एक प्रवर्तन शाखा, आंतरिक लेखापरीक्षा सैल, विशेष जांच शाखा तथा प्रपत्र शाखा विद्यमान है। उसमें बिक्री कर आयुक्त के विभिन्न प्राधिकारियों के विरुद्ध अपीलें सुनने के लिए एक केन्द्रीय अपीलीय अधिकरण है।

46.4 विशिष्टताएं

- अधिनियम के अंतर्गत एक वर्ष के निर्धारण को अंतिम रूप देने के लिए चार वर्षों की समय सीमा है। प्रतिप्रेषित निर्धारणों के लिए अपीलीय प्राधिकारी के आदेश की तिथि से चार वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है। प्रतिप्रेषित निर्धारणों तथा मौलिक निर्धारण के लिए 8 वर्षों की समय सीमा के अतिरिक्त अधिनियम में अपीलों के निपटान के लिए कोई समय सीमा या प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। विभाग में प्रतिप्रेषित निर्धारणों के निपटान की प्रगति

पर नजर रखने के लिए कोई केन्द्रीयकृत प्रणाली नहीं है। 1989-90 में 159.22 लाख रुपये का कर निर्धारण शामिल होने वाले 33 प्रतिप्रेषित मामलों की जांच परीक्षा से प्रकट हुआ कि अपीलीय, प्राधिकरण के विशिष्ट आदेशों के अनुसार 6 माह की निर्धारित अवधि के भीतर प्रतिप्रेषित निर्धारण नहीं किया गया था।

- अपीलीय प्राधिकरण द्वारा अपील सुनना तथा मामलों के प्रतिप्रेषण के उनके कार्य एक दूसरे के प्रासंगिक हैं। अतिरिक्त आयुक्त बिक्री कर द्वारा 1989-90 के दौरान प्रतिप्रेषित 120 मामलों में यह देशा गया था कि 37 प्रतिप्रेषित मामलों संबंधित वर्ष की पिछली तिमाही के दौरान किए गए एकपक्षीय निर्धारणों से आए थे।

- 4.57 करोड़ रुपये कर प्रभावी होने वाले तीन व्यापारियों के संबंध में अतिरिक्त आयुक्त द्वारा उनके मामलों का बार बार प्रतिप्रेषण करना न केवल राजस्व की वसूली करने के लिए हानिकारक था बल्कि अधिनियम की धारा 43 के भावार्थ के भी विरुद्ध था।
- 31 मार्च 1991 को विभिन्न अपीलीय प्राधिकारणों के पास 31925 अपीलें एक वर्ष से 27 वर्ष की रेंज की अवधियों से लम्बित थी। 1985-86 से 1990-91 के दौरान निपटाए गए मामलों के विश्लेषण ने यह दर्शाया कि प्रतिप्रेषित मामलों की संख्या इस अवधि के दौरान निपटाए गए कुल मामलों का लगभग 50 प्रतिशत थी।
- कर से बचने के लिए व्यापारियों द्वारा अपनायी गई विभिन्न कार्यप्रणालियों में अन्य बातों के साथ साथ दिए गए नोटिस की प्राप्ति से बचना या निर्धारित तिथि को पेशी के लिए अपस्थित न होना भी शामिल था। इसके परिणामस्वरूप 45 मामलों का एकपक्षीय निर्धारण तथा प्रतिप्रेषण हुआ।

46.5 (क) अपीलों तथा प्रतिप्रेषित मामलों के निपटान की समय सीमा

व्यापारियों द्वारा क्रेताओं से प्रभारित बिक्री कर को सरकारी लेखे में जमा कराना अपेक्षित है। ऐसा करने में कोई चूक करना व्यापारियों द्वारा लोक धन का दुरुपयोग करने के बराबर है। अतिरिक्त आयुक्त बिक्री कर के विभिन्न अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया था कि अपीलीय प्राधिकरण द्वारा प्रतिप्रेषित मामले प्रारंभ में निम्न अपीलों के विरुद्ध प्राप्त हुए थे:-

- (i) निर्धारण प्राधिकारी के आदेश जब निर्धारितियों को देय नोटिस दिया गया था
- (ii) निर्धारण प्राधिकारी के आदेश जब एकपक्षीय निर्धारण पूरा किया गया था
- (iii) जहां व्यापारी उसी अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष प्रतिप्रेषित निर्धारणों के विरुद्ध पुनः अपील करने में असफल रहा था।

आगे यह देखा गया था कि सामान्यतः अपीलीय प्राधिकरण, प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन प्रारंभ में अपीलें विचारार्थ स्वीकृत करते समय अपीलकर्ता को बिक्री कर अधिकारियों द्वारा निर्धारित कर की बहुत कम राशि जमा कराने की अनुमति दे रहा था। दिल्ली बिक्री कर अधिनियम 1975 में प्रारंभिक निर्धारण के लिए 4 वर्ष की समय सीमा तथा प्रतिप्रेषित निर्धारणों के लिए अपीलीय प्राधिकरण के आदेशों की तिथि से 4 वर्षों के समय की व्यवस्था है। इस प्रकार प्रारंभिक निर्धारणों तथा प्रतिप्रेषित निर्धारणों के लिए 8 वर्षों की सीमित अवधि के अलावा अपीलीय प्राधिकरण द्वारा अपीलों के निपटान के लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया गया था। व्यापारियों के व्यापार कार्यकलापों तथा व्यापार के उनके स्थानों में परिवर्तन होना तथा जहां तक कि व्यापार बंद हो जाना

भी असमान्य नहीं है। इस प्रकार की परिस्थितियों में जबकि अपीलों के निपटान में कोई समय सीमा नहीं है, लोकधन की वसूली में परिहार्य विलंब होता है।

विभाग में प्रतिप्रेषित निर्धारणों के निपटान पर निगरानी रखने के लिए कोई केन्द्रीयकृत प्रणाली नहीं है। इस प्रकार प्रतिप्रेषित निर्धारणों के कारण लम्बित राजस्व की राशि को परिकलित नहीं किया जा सका।

अधिनियम के अंतर्गत व्यापारियों को बिक्री कर प्राधिकारियों द्वारा उनके मामले को अंतिम रूप से निर्धारित किए जाने से पहले अपने मामले पेश करने का एक अवसर दिया जाना होता है। 50 मामलों की जांच ने दर्शाया कि निर्धारण प्राधिकारी को 35 मामलों में एकपक्षीय निर्धारण करना पड़ा। सुनवाई के लिए नियत तिथियों का पालन न करने तथा सुनवाई की निर्धारित तिथि को व्यापारी के पेश होने में असफल होने के परिणामस्वरूप निर्धारण को एकपक्षीय अंतिम रूप देने के बारे में 1988-89 (1990 की संख्या 3) के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पैराग्राफ 35 में पहले ही संकेत किया जा चुका है। 1989-90 के दौरान 120 प्रतिप्रेषित मामलों की जांच में यह देखा गया था कि 45 प्रतिप्रेषित मामलों में प्रारंभिक निर्धारण एकपक्षीय किया गया था।

(ख) प्रतिप्रेषित मामले तथा अपीलें

बिक्री कर अधिनियम 1975 की धारा 43 के अंतर्गत यदि किसी व्यापारी को आदेश, धारा 44 में उल्लिखित आदेश के कारण नहीं, द्वारा हानि पहुंचती है तो वह निर्धारित प्राधिकारी को प्रारंभिक निर्धारण के विरुद्ध अपील कर सकता है। निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अपील में पास आदेश द्वारा हानि उठाने वाला व्यक्ति भी इस प्रकार के आदेशों के विरुद्ध अपीलीय अधिकरण में अपील कर सकता है जब तक कि अपीलीय प्राधिकारी ने आदेशों में उनकी शिकायतों को दूर करने हेतु अपने पास बुलाने के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित न किया हो। अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत निर्धारण वर्ष के अंत, जिसके संबंध में या जिसके भाग का कर निर्धार्य है, से 4 वर्षों के भीतर पूर्ण किया जाना अपेक्षित है। तथापि, जहां इस प्रकार के निर्धारण किसी अपीलीय प्राधिकारी या संशोधनात्मक प्राधिकरण या एक न्यायालय के किसी आदेश के प्रभाव या परिणाम में किए जाते हैं वहां 4 वर्ष की अवधि इस प्रकार के आदेशों की तिथि से गिनी जाएगी। 4.57 करोड़ रुपये के कर प्रभाव वाले 3 मामलों की नमूना जांच में यह देखा गया था कि अतिरिक्त आयुक्त द्वारा प्रतिप्रेषित इन

मामलों को प्रतिप्रेषित निर्धारणों के विरुद्ध उसके द्वारा बार बार अपील में स्वीकृत किया गया था। यह भी पाया गया था कि अपीलीय आदेशों में इस प्रकार के निदेश/आदेशों के न होने के कारण व्यापारियों को अपनी शिकायतें दूर करने के लिए अपीलीय अधिकरण में जाना अपेक्षित था लेकिन प्रतिप्रेषित निर्धारण के विरुद्ध अपील बिक्री कर अधिनियम 1975 के उपबंधों के उल्लंघन में अतिरिक्त आयुक्त द्वारा स्वीकृत किया जाना जारी रहा। 1989-90 के दौरान अतिरिक्त आयुक्त द्वारा प्रतिप्रेषित 33 मामलों की नमूना जांच में यह देखा गया था कि यद्यपि अपीलीय प्राधिकरण के आदेशों के जारी होने की तिथि से 6 माह के भीतर प्रतिप्रेषित निर्धारण पूर्ण किए जाने के विशिष्ट आदेश थे, अभी तक निर्धारण नहीं किया गया था (जून 1991)। 1985-86 से 1990-91 के दौरान प्रतिप्रेषित मामलों की तुलना में अपीलों की स्थिति निम्न प्रकार थी:

वर्ष	1 अप्रैल को लंबित अपीलों की सं.	वर्ष के दौरान अपीलों की संख्या	वर्ष के दौरान निपटाई गई अपीलों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित अपीलों की संख्या	प्रतिप्रेषित मामलों की संख्या	निपटाए गए मामलों के प्रति प्रतिप्रेषित मामलों की प्रतिशतता
1985-86	17,053	9,179	4,283	19,359	1,976	46
1986-87	19,360	9,510	4,953	23,909	3,058	62
1987-88	23,592	9,000	5,945	25,552	2,853	48
1988-89	26,342	9,490	8,428	27,324	4,144	49
1989-90	27,377	10,630	6,274	31,710	3,317	53
1990-91	31,710	7,753	7,316	31,925	3,529	48
जोड़			37,199		18,877	51

यह देखा गया था कि 1985-86 से 1990-91 के दौरान प्रतिप्रेषित मामलों की संख्या इस अवधि के दौरान निपटाई गई कुल अपीलों से 50 प्रतिशत अधिक थी। 1989-90 के दौरान 16.30 करोड़ रुपये के कर प्रभाव वाले 120 प्रतिप्रेषित मामलों की नमूना जांच से यह देखा गया था कि सबसे

पुराने प्रतिप्रेषित मामले वर्ष 1976-77 से संबंधित थे। 4.17 लाख रुपये के कर प्रभाव वाली संशोधन अपील अगस्त 1974 से अतिरिक्त आयुक्त के विचाराधीन है। प्रतिप्रेषित मामलों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि व्यापारियों द्वारा बिक्री कर के रूप में वसूल किया गया लोकधन जमा कराने से बचने के लिए अपनायी गई विभिन्न कार्यप्रणालियां निम्न है:-

क प्रतिप्रेषित निर्धारण के लिए एकपक्षीय निर्धारण तथा प्रवृति:

- 1988-89 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पैरा 35 में पहले ही सूचित कर दिया गया था कि 1986-87 से 1988-89 के दौरान वार्ड अधिकारियों द्वारा 4158.34 लाख रुपये मांग वाले अंतिम रूप दिए गए 5777 एकपक्षीय मामलों में से 5045 मामलों को सुसंगत वर्षों की पिछली तिमाही के दौरान अंतिम रूप दिया गया था। 120 प्रतिप्रेषित मामलों की नमूना जांच में यह देखा गया था कि प्रारंभिक 58 मामलों का वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान एकपक्षीय निर्धारण किया गया था जिससे यह पता लगता है कि चूककर्ता व्यापारियों के बीच प्रतिप्रेषित निर्धारण के लिए जाने की प्रवृति थी तथा इस प्रकार कर के भुगतान से बचना जारी है।

ख एकपक्षीय निर्धारणों में अपील की स्वीकृति

अधिनियम की धारा 25 के अनुसार व्यापारी द्वारा मांग नोटिस की प्राप्ति, जोकि निरपवाद रूप से निर्धारण आदेश की प्रति के आगे रखी जाती है, से 30 दिनों के भीतर देय कर की राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। धारा 43(3) में यह निर्धारित है कि कोई अपील तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि वह आदेश की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर फाइल न की गयी हो। 1989-90 के दौरान अतिरिक्त आयुक्त द्वारा प्रतिप्रेषित 37 मामलों में यह देखा गया था कि इन मामलों में चार वर्षों की सीमित अवधि की अंतिम तिमाही के दौरान एकपक्षीय निर्धारण किए गए थे। अपीलों स्वीकृत की गई थी तथा मामले प्रतिप्रेषित किए गए थे क्योंकि अधिनियम में की गई व्यवस्था के अनुसार व्यापारियों को पूरे अवसर नहीं दिए गए थे। इस प्रकार अपीलों स्वीकृत करने से उचित अवसर प्रदान करने के प्रावधान का दुरुपयोग किया गया था जिससे मामलों का प्रतिप्रेषण हुआ।

(ग) अपीलों के निपटान के लिए किसी समय सीमा का नियत न किया जाना:-

अधिनियम में अपीलीय प्राधिकरण द्वारा अपीलों के निपटान के लिए न तो किसी समय सीमा की व्यवस्था है न ही उनके फाइल करने के आदेश में अपील मामलों को लेने के लिए कोई प्रणाली निर्धारित की गई है।

(घ) - प्रतिप्रेषित निर्धारणों के प्रति अपीलें

धारा 43 की उपधारा (1) से (4) में आयुक्त द्वारा पास आदेश के मामले, जहां अपील अपीलीय अभिकरण के पास करनी होगी, के अतिरिक्त अधिनियम के अंतर्गत पास प्रत्येक प्रारंभिक आदेश के लिए निर्धारित प्राधिकरण को अपील करने की व्यवस्था है। निर्धारित प्राधिकरण द्वारा अपील में पास किए गए आदेश के विरुद्ध दूसरी अपील अपीलीय अभिकरण में होगी। इसका यह अर्थ निकलता है कि जब तक उनके आदेश में विशेष रूप से यह उल्लेख न किया गया हो, अपीलीय प्राधिकरण द्वारा प्रतिप्रेषित मामले वस्तुतः उनके पास पुनः नहीं आएंगे। प्रतिप्रेषित निर्धारणों के विरुद्ध शिकायत, यदि कोई हो, तो अपीलीय अभिकरण के पास भेजी जानी चाहिए। एक मामले में यह देखा गया था कि 1979-80 का निर्धारण 7.17 लाख रुपये की मांग करते हुए मार्च 1984 में एकपक्षीय पूरा किया गया था। अपील में यह मामला जून 1984 में अतिरिक्त आयुक्त द्वारा प्रतिप्रेषित किया गया था। प्रतिप्रेषित निर्धारण 5.01 लाख रुपये की मांग करते हुए जून 1988 (अर्थात् सीमित अवधि समाप्त होने से थोड़ा पहले) में एक पक्षीय किया गया था। व्यापारी ने मार्च 1991 में अतिरिक्त आयुक्त के पास एक दूसरी अपील फाइल की जिसको उसके द्वारा 5.01 लाख रुपये की मांग के प्रति 100 रुपये की राशि जमा कराने के बाद निर्धारिता पर विचार करने के लिए स्वीकार कर लिया गया था। एक अन्य मामले में यह देखा गया था कि अतिरिक्त आयुक्त ने फरवरी 1978 में 3.84 लाख रुपये की मांग वाले मामले को प्रतिप्रेषित किया। उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए प्रतिप्रेषित निर्धारण 11.16 लाख रुपये की वापसी की अनुमति देते हुए फरवरी 1982 में पूर्ण किया गया था। मार्च 1986 में अपीलीय प्राधिकरण ने मामले को पुनः प्रतिप्रेषित किया। दूसरा प्रतिप्रेषित निर्धारण 8.55 लाख रुपये की मांग करते हुए फरवरी 1990 में पूरा किया गया था। व्यापारी ने अप्रैल 1990 में सहायक आयुक्त को तीसरी बार अपील की जिसको उसके द्वारा विचार करने के लिए स्वीकृत कर लिया गया था। अभी तक एक अन्य मामले में यह देखा गया था कि विभाग ने 1978-79 से 1986-87 के दौरान व्यापारी के प्रति 4.12 करोड़ रुपये की मांग सृजित की। यह देखा गया था कि व्यापारी के प्रति मार्च 1983 से समस्त मांग बकाया है क्योंकि मामला अतिरिक्त आयुक्त के समक्ष न्यायाधीन है। अप्रैल 1993 तक निर्धारण के लिए 170 लाख रुपये की मांग वाले 1981-82 से 1983-84 तक के मामले अप्रैल 1989 में प्रतिप्रेषित कर दिए गए थे। 34 लाख रुपये

की मांग वाले 1978-79 तथा 1979-80 के निर्धारण वर्ष के संबंध में यह देखा गया था कि 1983 में फाइल की गई अपील के प्रति मार्च 1984 में मामले को प्रतिप्रेषित करके मार्च 1988 में पुनर्निधारित किया गया था। व्यापारी ने मई 1988 में अतिरिक्त आयुक्त के समक्ष दूसरी अपील फाइल की जोकि अभी तक लम्बित है क्योंकि अपील मामलों के निपटान के लिए कोई समय सीमा नहीं है।

बिक्री कर आयुक्त ने यह पाया था (नवम्बर 1990) कि इस फर्म के पूर्वाभिलेख ने दर्शाया कि यह एक चिरस्थायी चूककर्ता फर्म थी तथा वास्तव में संदेह करने का यह कारण था कि पार्टी सरकारी राजस्व का अपने स्वयं के व्यापार को वित्तपोषित करने के उद्देश्य के लिए उपयोग कर रही थी। इस प्रकार यह देखा गया था कि वही अपीलीय प्राधिकारण इस प्रकार के मामलों में अपने स्वयं के आदेशों के विरुद्ध अपीलें स्वीकार कर रहे थे जोकि गलत था तथा अधिनियम की किसी धारा या नियम के अंतर्गत न्यायोचित नहीं हो सकता।

(ड.) चूककर्ता/निष्क्रिय व्यापारियों की पहचान

1986-87 से 1988-89 के दौरान 129 व्यापारियों के पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए गए थे क्योंकि वे पूर्वोक्त परिसरों में व्यापार करते हुए नहीं पाए गए थे। प्रवर्तन शाखा की 1984-85 की रिपोर्ट ने यह दर्शाया कि 1982-83 से 1984-85 के दौरान 387 व्यापारी जाली थे, 412 व्यापारी लेखाओं की कोई पुस्तक अनुरक्षित नहीं कर रहे थे, 18 व्यापारी लेखाओं की डुप्लीकेट पुस्तकें अनुरक्षित कर रहे थे तथा लगभग 124 व्यापारी अन्य अपराध करते हुए देखे गए थे। इस प्रकार के मामलों में मांग नोटिस भेजने या उनकी ओर से कोई प्रतिभूति स्वीकार करने के प्रश्न का कोई परिणाम प्राप्त नहीं होगा। एक प्राइवेट फर्म के अभिलेख की नमूना जांच करने पर यह पाया गया था कि यद्यपि उसका पंजीकरण अक्टूबर 1989 में इस तर्क पर रद्द किया गया था कि पार्टी पूर्वोक्त परिसार में कोई व्यापार नहीं कर रही थी, अतिरिक्त आयुक्त ने 49.88 लाख रुपये की मांग करते हुए 1985-86 के निर्धारण आदेश के विरुद्ध उसकी अपील स्वीकार की (अप्रैल 1990)। इससे यह प्रकट हुआ कि चूककर्ता तथा निष्क्रिय व्यापारियों के प्रति लोकहित को सुरक्षित रखने के लिए विभाग के विभिन्न निर्धारण तथा अपीलीय प्राधिकरणों के बीच कोई समन्वय नहीं था।

उपर्युक्त मुद्दे अक्टूबर 1991 में दिल्ली प्रशासन तथा गृह मंत्रालय को सूचित किए गए थे; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1992)।

47. असत्य/अवैध घोषणाओं अथवा घोषणा में अंतर्वेशनों का पता न लग सकने के कारण कम उद्ग्रहण

दिल्ली बिक्री कर अधिनियम 1975 के उपबंधों और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत एक पंजीकृत व्यापारी द्वारा दूसरे पंजीकृत व्यापारी को की गई बिक्री, क्रेता व्यापारी से प्राप्त प्रपत्र एस टी 1 निर्धारित घोषणाओं द्वारा विधिवत समर्थित उसकी विवरणियों के साथ इस प्रकार की बिक्रियों की एक पूर्ण सूची प्रस्तुत करने पर, विक्रेता व्यापारियों की कुल बिक्री से कटौती अनुज्ञेय होती है। यदि एक व्यापारी अपनी बिक्री के विवरण छिपाता है तो अधिनियम के अंतर्गत बिक्री पर भुगतान योग्य कर के अतिरिक्त इस प्रकार अपवंचित कर की राशि के ढाई गुना तक जिसका परिहार्य किया जा सकता था ब्याज सहित शास्ति उद्ग्रहणीय है।

47.1 प्लास्टिक और पोलियस्टर के व्यापार में संलग्न एक पंजीकृत व्यापारी के मामले में वर्ष 1983-84 के लिए निर्धारण (मार्च 1988) को अंतिम रूप देते समय निर्धारण प्राधिकारी ने दूसरे पंजीकृत व्यापारी को की गई बिक्री के संबंध में अपने दावे के समर्थन में व्यापारी द्वारा एस टी-1 प्रपत्र में 59.98 लाख रुपये की राशि की प्रस्तुत घोषणाओं को रद्द कर दिया। निर्धारण प्राधिकारी ने 4.20 लाख रुपये की राशि का कर लगाया परन्तु 10.50 लाख रुपये तक की शास्ति और 2.33 लाख रुपये की राशि का ब्याज लगाने में असफल रहे। तथापि, लेखापरीक्षा (मार्च 1989) में दुत्तरफा सत्यापन के समय यह पाया गया था कि निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा प्रपत्रों (एस टी-1) में पहले रद्द की गई घोषणा के अतिरिक्त प्रपत्र (एस टी-1) में 26.51 लाख रुपये की राशि की घोषणाएं भी रद्द किए जाने योग्य थीं क्योंकि क्रेता व्यापारी ने या तो इन घोषणाओं को कुछ अन्य व्यापारियों को जारी किया था और निर्धारित व्यापारी के पक्ष में नहीं या घोषणाएं क्रेता व्यापारी को विभाग द्वारा जारी ही नहीं की गई थीं। इस अनियमित कटौती के परिणामस्वरूप 1.86 लाख रुपये की राशि के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त अपूर्ण विवरणियां प्रस्तुत करने के लिए 4.64 लाख रुपये की शास्ति और कर अदा न करने के लिए 1.54 लाख रुपये की राशि का ब्याज भी उद्ग्रह्य था।

लेखापरीक्षा (मार्च 1989) में चूक के बारे में बताए जाने पर तथा अनुस्मारक (जुलाई 1989 और जुलाई 1990) दिए जाने पर विभाग ने बताया (जनवरी 1992) कि व्यापारी का पुनर्निर्धारण किया जा रहा है। मामले की आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (जनवरी 1992)।

47.2 निर्धारण वर्ष 1982-83 के संबंध में दिल्ली में आटोपार्ट्स के व्यापार में लगा एक पंजीकृत व्यापारी क्योंकि 30.76 लाख रुपये की राशि की की गई बिक्री पर कर अदा करने में

असफल रहा क्योंकि क्रेता व्यापारी द्वारा दी गई घोषणा की मात्रा पर कटौती का दावा किया गया जिसको निर्धारण प्राधिकारी ने स्वीकार कर लिया था यद्यपि उसके द्वारा क्रेता व्यापारी की एस टी-2 लेखा से इस कटौती की सत्यता का सत्यापन नहीं किया जा सका क्योंकि क्रेता व्यापारी ने विभाग द्वारा जारी प्रपत्र एस टी-1 के प्रति उसके द्वारा की गई खरीदों का लेखा प्रस्तुत नहीं किया था। लेखापरीक्षा (मई 1988) में क्रेता व्यापारी के निर्धारण अभिलेखों के संदर्भ में दुतरफा सत्यापन किए जाने पर यह देखा गया था कि क्रेता व्यापारी का एक तरफा निर्धारण किया गया था और यह वहीं व्यापारी था जिसने निर्धारिती की गारंटी दी थी। निर्धारण प्राधिकारी द्वारा क्रेता व्यापारी और निर्धारिती व्यापारी के बीच जालसाजी का पता लगाने में असफलता के परिणामस्वरूप 3.08 लाख रुपये की राशि का कर और 7.69 लाख रुपये तक की शास्ति का अनुद्ग्रहण हुआ।

लेखापरीक्षा में त्रुटि की और संकेत किए जाने पर विभाग ने मामले का पुनर्निर्धारण (फरवरी 1990) किया और 10.77 लाख रुपये (7.69 लाख रुपये की शास्ति सहित) की अतिरिक्त मांग की।

47.3 कैसेट, इलैक्ट्रिकल और इलैक्ट्रॉनिक सामान की पुनर्बिक्री के व्यापार में संलग्न एक पंजीकृत व्यापारी ने वर्ष 1984-85 के दौरान अपनी 24.96 लाख रुपये की कुल बिक्री पर इस आधार पर 100% की कटौती का दावा किया कि बिक्री दूसरे पंजीकृत व्यापारियों को की गई थीं और उसके समर्थन में प्रपत्र एस टी-1 में निर्धारित घोषणाएं प्रस्तुत की। तथापि निर्धारण प्राधिकारी ने (जनवरी 1989) निर्धारण को अंतिम रूप देते समय व्यापारी के दावे को रद्द कर दिया और 24.96 लाख रुपये की सम्पूर्ण बिक्री पर कर लगाया परन्तु अधिकतम 6.24 लाख रुपये की शास्ति और 1.91 लाख रुपये की राशि के ब्याज के उद्ग्रहण में असफल रहा।

विभाग को चूक के बारे में बताया गया था (अगस्त 1989); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1992)।

47.4 दिल्ली में पी वी सी कम्पाउण्ड के व्यापार में संलग्न एक पंजीकृत व्यापारी ने वर्ष 1984-85 के दौरान अपने दावे के समर्थन में प्रपत्र एस टी-1 में घोषणा प्रस्तुत करते हुए दूसरे पंजीकृत व्यापारियों की गई सामान की अपनी सकल बिक्री में से 32.07 लाख रुपये की कटौती का दावा किया। विभाग द्वारा जारी करने वाले व्यापारी लेखा अभिलेखों के साथ इन प्रपत्रों की दुतरफा जांच करने पर यह पाया गया था कि संबंधित व्यापारी को ये प्रपत्र जारी नहीं किए गए थे। निर्धारण

प्राधिकारी ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय 2.24 लाख रुपये का कर लगाया परन्तु अधिकतम 5.61 लाख रुपये की शास्ति और 1.54 लाख रुपये का ब्याज उद्ग्रहीत करने में असफल रहा ।

लेखापरीक्षा में विभाग को चूक के बारे में बताया गया था (सितम्बर 1990); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1992)।

47.5 बिजली के सामान के व्यापार में संलग्न एक पंजीकृत व्यापारी ने निर्धारण वर्ष 1985-86 में प्रपत्र एस टी-1 में विधिवत प्रमाणित घोषणा द्वारा अन्य पंजीकृत व्यापारियों को की गई बिक्री के कारण अपनी सकल बिक्री से 10.42 लाख रुपये की कटौती का दावा किया और यह अनुमत की गई थी। तथापि लेखापरीक्षा द्वारा (जनवरी 1991) निर्धारण अभिलेखों की दुतरफा जांच किए जाने पर यह पाया गया था कि अनुमत की गई कटौती अनियमित थी क्योंकि विभाग द्वारा क्रेता व्यापारी को ये प्रपत्र जारी नहीं किए गए थे। अनियमित कटौती प्रदान करने के परिणामस्वरूप 1.04 लाख रुपये की राशि के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त व्यापारी द्वारा गलत विवरणों को प्रस्तुत करने के लिए और विवरणी के साथ कर के अदा न करने पर 2.60 लाख रुपये तक की शास्ति और 71,325 रुपये का ब्याज भी उद्ग्रहण था।

आगे व्यापारी ने प्रपत्र एस टी-1 में घोषणा जारी करके बिना कर अदा किए 28.47 लाख रुपये तक की खरीद की थी परन्तु लेखाओं में खरीद को केवल 23.67 लाख रुपये की राशि दर्ज की। इस प्रकार व्यापारी ने 4.80 लाख रुपये की खरीदों और 4.98 लाख रुपये तक की राशि की अनुरूप बिक्री को छिपाया (4.17 प्रतिशत की दर से यथानुपात सीमांत लाभ जोड़ने के बाद)।

गलती के परिणामस्वरूप 49,784.00 रुपये की राशि के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त 1.24 लाख रुपये तक की शास्ति और 34.102 रुपये का ब्याज भी उद्ग्रहण था। व्यापारी दूसरे पंजीकृत व्यापारी को की गई 88,790 रुपये की बिक्री के अपने दावे के समर्थन में प्रपत्र एस टी-1 में घोषणा प्रस्तुत करने में भी असमर्थ रहा। निर्धारण प्राधिकारी ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय (फरवरी 1990) 8,879.00 रुपये की राशि का कर लगाया परन्तु 5,632.00 रुपये की राशि के ब्याज का उद्ग्रहण नहीं किया।

उपर्युक्त गलतियों को विभाग को (जनवरी 1991) बताया गया और एक अनुस्मारक दिया गया (अगस्त 1991); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1992)।

47.6 वर्ष 1984-85 के दौरान दिल्ली में वैलिंग इलैक्ट्राड की पुनर्बिक्री के व्यापार में संलग्न एक पंजीकृत व्यापारी ने अपने दावे के समर्थन में प्रपत्र एस टी-1 में घोषणा प्रस्तुत करते हुए दूसरे

पंजीकृत व्यापारियों को सामान की, की गई अपनी सकल बिक्री से 13.98 लाख रुपये की कटौती का दावा किया। विभाग द्वारा दुतरफा जांच करने पर पता चला कि बिक्रियां प्रमाणिक नहीं थी और व्यापारी पर निर्धारण के समय कर लगाया गया था। आगे व्यापारी 1.81 लाख रुपये की कीमत की बिक्री जिस पर भी निर्धारण प्राधिकारी ने कर लगा दिया था, के अपने दावे के समर्थन में प्रपत्र एस टी-1 में घोषणा प्रस्तुत करने में असफल रहा। निर्धारण प्राधिकारी ने निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए (मार्च 1989) कर लगा दिया परन्तु 0.78 लाख रुपये की राशि का ब्याज और 2.76 लाख रुपये तक की शास्ति का उद्ग्रहण करने में असफल रहा।

चूक को लेखापरीक्षा (जून 1989) में बताए जाने पर तथा बाद में अनुस्मारक (अगस्त 1990) दिए जाने पर विभाग ने बताया (दिसम्बर 1991) कि व्यापारी के प्रति पुनर्निर्धारण की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (जनवरी 1992)।

47.7 दिल्ली में बिजली के सामान के व्यापार में संलग्न एक पंजीकृत व्यापारी ने वर्ष 1984-85 के लिए प्रपत्र एस टी-1 में विधिवत प्रमाणित घोषणा द्वारा अन्य पंजीकृत व्यापारियों को की गई बिक्री के कारण अपनी सकल बिक्री से 13.19 लाख रुपये की कटौती का दावा किया तथा यह अनुमत की गई थी। तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा (अगस्त 1989) निर्धारण अभिलेखों की दुतरफा जांच से यह पाया गया था कि अनुमत की गई कटौती अनियमित थी। क्योंकि 12.89 लाख रुपये की बिक्री जो क्रेता व्यापारियों द्वारा घोषणा पत्रों से समर्थित थी वह खरीद उनके पंजीकरण प्रमाणपत्रों के अंतर्गत नहीं आती थी। अनियमित कटौती के परिणामस्वरूप 1.29 लाख रुपये के कर और 96,992 रुपये के ब्याज की कम वसूली हुई।

आगे व्यापारी ने प्रपत्र एस टी-1 में घोषणा प्रस्तुत करते हुए कर के भुगतान किए बिना 46.55 लाख रुपये मूल्य की खरीददारी की थी परन्तु लेखा अभिलेखों में केवल 43.12 लाख रुपये की खरीद ही दर्ज की थी। इस प्रकार व्यापारी ने 3.43 लाख रुपये की खरीदों और 3.49 लाख रुपये की अनुरूप बिक्री को छिपाया था (1.83 प्रतिशत की दर से यथानुपात सीमांत लाभ जोड़ने के बाद)। चूक के परिणामस्वरूप 34,925 रुपये की राशि का कर और इसके अतिरिक्त 87,321 रुपये तक की शास्ति भी उद्ग्रहण थी।

अगस्त 1989 और बाद में अप्रैल 1990 में लेखापरीक्षा में गलती के बारे में बताए जाने पर विभाग ने अपने उत्तर (दिसम्बर 1991) में लेखापरीक्षा मुद्दे का विरोध करते हुए बताया कि क्रेता

व्यापारियों के पंजीकरण प्रमाणपत्रों में एक मामले में मोटर पार्ट्स तथा सहायक पुर्जों तथा अन्य मामले में घी, खाद्य तेल तथा बिजली की वस्तुएं शामिल की गई थी। सत्यापन करने पर यह पाया गया था कि दूसरा क्रेता बिजली की वस्तुओं के व्यापार में नहीं लगा हुआ था। चूंकि आपत्ति बिजली की वस्तुओं की बिक्री से संबंधित है, निर्धारण अधिकारी का उत्तर लेखापरीक्षा में स्वीकार्य नहीं है। वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (जनवरी 1992)।

47.8 चमड़े के व्यापार में संलग्न एक पंजीकृत व्यापारी ने वर्ष 1984-85 के दौरान अपनी कुल बिक्री में से 7.95 लाख रुपये की कटौती का दावा जो अनुमत भी किया गया था इस आधार पर किया कि बिक्री अन्य पंजीकृत व्यापारियों को की गई थीं और प्रपत्र एस टी-1 में घोषणा द्वारा समर्थित थीं। अनुमत की गई कटौती अनियमित थी क्योंकि लेखापरीक्षा (अगस्त 1989) में यह देखा गया था कि या तो क्रेता व्यापारी द्वारा घोषणाएं कुछ अन्य व्यापारियों के पक्ष में न कि निर्धारित व्यापारी के पक्ष में, जारी की गई थी या क्रेता व्यापारी के पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिए गए थे। लेखापरीक्षा में बिक्री की प्रमाणिकता की जांच नहीं की जा सकी क्योंकि क्रेता व्यापारी ने विभाग द्वारा जारी प्रपत्र एस टी-1 के प्रति उसके द्वारा की गई खरीदों का लेखा प्रस्तुत नहीं किया था। इस प्रकार निर्धारित को अनुमत की गई कटौती की अनियमितता के परिणामस्वरूप 79,534 रुपये की राशि का कर कम उद्ग्रहीत हुआ। इसके अतिरिक्त 1.99 लाख रुपये तक की शास्ति और 54,480 रुपये का ब्याज भी उद्ग्रह्य था।

लेखापरीक्षा (सितम्बर 1990) में चूक की ओर इंगित किया गया था तथा अनुस्मारक (अगस्त 1991) दिया गया था। विभाग ने बताया (जनवरी 1992) कि व्यापारी का पुनर्निर्धारण किया जा रहा था। वसूली की आगे की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (जनवरी 1992)।

47.9 दिल्ली में इलैक्ट्रॉनिक सामान के निर्माण और पुनर्बिक्री के व्यापार में संलग्न एक पंजीकृत व्यापारी के मामले में वर्ष 1982-83 के दौरान उसकी सकल बिक्री में से 10.02 लाख रुपये की कटौती इस कारण अनुमत की गई थी कि बिक्री प्रपत्र एस टी 1 में घोषणा द्वारा विधिवत समर्थित दूसरे पंजीकृत व्यापारियों को की गई थी। क्रेता व्यापारी के निर्धारण अभिलेख के दुतरफा जांच करने पर लेखापरीक्षा में (फरवरी 1988) यह पाया गया था, कि 7.13 लाख रुपये की कटौती अनियमिततापूर्वक अनुमत को गई थी क्योंकि क्रेता व्यापारियों ने इन घोषणाओं को कम राशि के लिए कुछ अन्य व्यापारियों को जारी किया था निर्धारित व्यापारी को नहीं। इसके परिणामस्वरूप 71,337 रुपये का कर कम वसूल हुआ। इसके अतिरिक्त तथ्यों के गलत दिखाए जाने के लिए व्यापारी पर दिल्ली बिक्री कर अधिनियम 1975 की धारा 56 के अंतर्गत कर की अधिकतम टाई गुना शास्ति और

दिल्ली बिक्री कर अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत ब्याज उद्ग्रहण था।

लेखापरीक्षा (मई 1990) में गलती के बारे में संकेत किए जाने पर विभाग ने व्यापारी का पुनर्निर्धारण किया और 71,337 रुपये के कर तथा 49,935 रुपये के ब्याज की अतिरिक्त मांग की शास्ति लगाने और उसकी वसूली की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 1992)।

47.10 दिल्ली में रंग रोगन और हार्डवेयर के कार्य में संलग्न एक पंजीकृत व्यापारी की एस टी-1 प्रपत्र में घोषणा प्रस्तुत करने पर वर्ष 1983-84 के दौरान अपनी सकल बिक्री में से 84,267 रुपये की कटौती इस आधार पर स्वीकृत की गई कि बिक्री अन्य पंजीकृत व्यापारियों को की गई थी। तथापि, लेखापरीक्षा में यह पाया गया था (जनवरी 1989) कि क्रेता व्यापारी को बिक्री कर विभाग द्वारा ये प्रपत्र जारी ही नहीं किए गए थे। इस प्रकार निर्धारिता को अनुमत की गई कटौती के परिणामस्वरूप 5899 रुपये की राशि के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त 14,747 रुपये तक की शास्ति और 3155 रुपये का ब्याज (मई 1987 तक) भी व्यापारी से उद्ग्रहण था।

लेखापरीक्षा में गलती के बताए जाने पर विभाग ने व्यापारी का पुनर्निर्धारण किया (फरवरी 1990) और 23,799 रुपये की अतिरिक्त मांग की।

47.11 वर्ष 1985-86 के दौरान फोम के व्यापार में संलग्न एक पंजीकृत व्यापारी ने अपने दावे के समर्थन में प्रपत्र एस टी-1 में घोषणा प्रस्तुत करते हुए दूसरे पंजीकृत व्यापारियों को माल की बिक्री पर अपनी सकल आय में से 5.48 लाख रुपये की कटौती का दावा किया। तथापि, विभाग द्वारा इन प्रपत्रों की दुतरफा जांच करने पर पता लगा कि विभाग द्वारा क्रेता व्यापारी को ये प्रपत्र जारी ही नहीं किए गए थे। निर्धारण प्राधिकारी ने निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए (अगस्त 1989) 54,773 रुपये की राशि का कर लगाया परन्तु अधिकतम 1.37 लाख रुपये की शास्ति और 31,220 रुपये की राशि का ब्याज उद्ग्रहण करने में असफल रहा।

आगे व्यापारी अपने दावे के समर्थन में दूसरे पंजीकृत व्यापारियों को 6.65 लाख रुपये की राशि के बिक्री के अपने दावे के समर्थन में प्रपत्र एस टी-1 में घोषणा प्रस्तुत करने में असफल रहा। निर्धारण अधिकारी निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए (अगस्त 1989) 66,481 रुपये की राशि का कर लगाया परन्तु 38,558 रुपये की राशि के ब्याज का उद्ग्रहण नहीं किया।

लेखापरीक्षा (अक्टूबर 1990) में गलती के बारे में विभाग को बताए जाने और अनुस्मारक (जून 1991 और अगस्त 1991) दिए जाने पर भी उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1992)।

47.12 दिल्ली बिक्री कर अधिनियम 1975 के अंतर्गत प्रथम शिड्यूल में वर्णित सामानों की कर योग्य बिक्री के संबंध में अधिनियम में निर्धारित दर उद्ग्राह्य होगी। मोटर पार्ट्स को प्रथम शिड्यूल में सम्मिलित किया गया है और दस पैसे प्रति रुपये की दर से कर उद्ग्राह्य है।

दिल्ली में मोटर पार्ट के व्यापार में संलग्न एक पंजीकृत व्यापारी की वर्ष 1983-84 की दर्शाई गई 4.58 लाख रुपये की राशि की बिक्रियों जो उपयुक्त प्रपत्र एस टी-1 द्वारा समर्थित नहीं थीं, का निर्धारण प्राधिकारी ने निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए 10 प्रतिशत की बजाए 7 प्रतिशत की दर पर कर का उद्ग्रहण किया। निर्धारण प्राधिकारी अधिकतम 1.37 लाख रुपये की अधिनियम के अंतर्गत उद्ग्राह्य शास्ति का उद्ग्रहण करने में असमर्थ रहा। इसके परिणामस्वरूप 13,736 रुपये का कर और 1.37 लाख रुपये की शास्ति कम उद्ग्रहीत की गई। आगे व्यापारी दूसरे पंजीकृत व्यापारियों को की गई 83,250 रुपये की राशि की बिक्री के संबंध में प्रपत्र एस टी-1 प्रस्तुत करने में असफल रहा जिस पर 10 प्रतिशत की जगह 7 प्रतिशत की दर पर कर लगाया जिसके परिणामस्वरूप 2498 रुपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ था।

लेखापरीक्षा (अक्टूबर 1988) में गलती को बताए जाने पर विभाग ने (दिसम्बर 1990) व्यापारी का पुनर्निर्धारण किया और 1.37 लाख रुपये की शास्ति सहित 1.53 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग की।

47.13 वर्ष 1984-85 के दौरान रबड़ और रबड़ रसायन के व्यापार में संलग्न एक पंजीकृत व्यापारी ने प्रपत्र एस टी-1 में घोषणा प्रस्तुत करते हुए दूसरे पंजीकृत व्यापारियों को किए गए सामान की सकल बिक्री से 8.47 लाख रुपये की कटौती का दावा किया था। परन्तु निर्धारण प्राधिकारी ने निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए (मार्च 1989) 6.57 लाख रुपये की राशि का दावा रद्द कर दिया क्योंकि वह सत्यापन योग्य नहीं था और 46.018 रुपये का कर लगाया। तथापि, निर्धारण प्राधिकारी ने अपूर्ण विवरणियां भरने और विवरणियों के साथ कर अदा न करने के लिए अधिकतम 1.15 लाख रुपये की शास्ति और 31,510 रुपये की राशि के ब्याज का उद्ग्रहण नहीं किया।

गलती के बारे में लेखापरीक्षा में (सितम्बर 1989) तथा एक अनुस्मारक द्वारा (अगस्त 1991) विभाग को बताया गया था, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1992)।

47.14 दिल्ली में बल्ब, सैल और पौलिश की बिक्री के व्यापार में संलग्न एक पंजीकृत व्यापारी को प्रपत्र एस टी-1 में घोषणा प्रस्तुत करने पर वर्ष 1983-84 के दौरान उसकी सकल बिक्री में से 2.95 लाख रुपये की कटौती इस आधार पर अनुमत की गई थी कि बिक्रियां अन्य पंजीकृत व्यापारियों को की गई थीं। तथापि, क्रेता व्यापारी के अभिलेखों की दुतरफा जांच से यह पाया गया था (दिसम्बर 1988) कि (i) क्रेता व्यापारियों द्वारा आपूर्त प्रपत्र विभाग द्वारा उनको जारी नहीं किए गए थे (ii) एक मामले में एक पंजीकृत व्यापारी जिसका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया गया था, को की गई बिक्री के संबंध में 39,959 रुपये की कटौती का दावा किया गया था और यह अनुमत की गई थी। इस प्रकार अनियमित कटौती अनुमत किए जाने के परिणामस्वरूप 73,650 रुपये तक की शास्ति के अतिरिक्त 29,461 रुपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

लेखापरीक्षा में चूक के बारे में बताए जाने पर विभाग ने व्यापारी का पुनर्निर्धारण किया (अप्रैल 1990) और 67,704 रुपये (48,360 रुपये की शास्ति सहित) की अतिरिक्त मांग की। यह भी बताया गया था कि व्यापारी द्वारा अपील किए जाने पर एपैलैट प्राधिकारी ने मांग को स्थगित कर दिया था। आगे की प्रगति पर कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 1992)।

47.15 लुब्रीकेंट के व्यापार में संलग्न एक पंजीकृत व्यापारी ने प्रपत्र एस टी-1 में विधिवत समर्थित घोषणा द्वारा अन्य पंजीकृत व्यापारियों को की गई बिक्री के कारण अपनी कुल बिक्री से निर्धारण वर्ष 1982-83 में 3.87 लाख रुपये की कटौती का दावा किया और यह अनुमत की गई। तथापि लेखापरीक्षा (जनवरी 1988) द्वारा निर्धारण अभिलेखों की दुतरफा जांच से पता चला कि अनुमत की गई कटौती अनियमित थी क्योंकि 1.90 लाख रुपये की राशि के एस टी-1 प्रपत्र विभाग द्वारा संबंधित क्रेता व्यापारियों को जारी ही नहीं किए गए थे और क्रेता व्यापारियों द्वारा 1.97 लाख रुपये के एस टी-1 प्रपत्र कुछ अन्य व्यापारियों के पक्ष में जारी किए गए थे न कि निर्धारित व्यापारी के पक्ष में। निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अनियमित कटौती के न खोजने तथा अनुमत किए जाने के परिणामस्वरूप व्यापारी पर 27,075 रुपये की राशि का कर कम लगा और अधिकतम 67,688 रुपये की शास्ति की उद्ग्रहण थी।

लेखापरीक्षा (जनवरी 1988) में अनियमितता के बारे में विभाग को बताया गया था और अनुस्मारक (अक्टूबर 1988 और फरवरी 1990) दिए गए थे; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1992)।

47.16 दिल्ली में फोटो के सामान के व्यापार में संलग्न एक पंजीकृत व्यापारी ने वर्ष 1982-83 के दौरान एस टी-1 प्रपत्र में घोषणा द्वारा विधिवत समर्थित अन्य पंजीकृत व्यापारियों को की गई बिक्री के कारण 18.11 लाख रुपये की अपनीसकल बिक्री से 1.87 लाख रुपये की कटौती का दावा किया और यह अनुमत की गई। क्रेता व्यापारी के निर्धारण अभिलेखों की दुतरफा जांच से लेखापरीक्षा (दिसम्बर 1987) में यह देखा गया था कि अनुमत कटौती अनियमित थी क्योंकि क्रेता व्यापारियों ने इन घोषणाओं को अपेक्षाकृत कम राशि के लिए कुछ अन्य व्यापारियों को जारी किया था न कि निर्धारिती व्यापारी के पक्ष में।

इस प्रकार अनियमित अनियमित कटौती के परिणामस्वरूप 18,700 रुपये के कर और कर का भुगतान न करने के लिए 8,415 रुपये की राशि के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त यथार्थ विवरणी न प्रस्तुत करने के लिए व्यापारी पर अधिकतम 46,750 रुपये की शास्ति भी उद्ग्रहण थी।

लेखापरीक्षा (दिसम्बर 1987) में चूक के बारे में बताए जाने पर विभाग ने कर और ब्याज के लिए (मई 1991) व्यापारी का पुनर्निर्धारण (अक्टूबर 1989) किया और 27,115 रुपये (8,415 रुपये की राशि के ब्याज सहित) की अतिरिक्त मांग की। शास्ति के उद्ग्रहण और वसूली की स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 1992)।

47.17 दिल्ली में मोटर पार्ट्स के व्यापार में संलग्न एक पंजीकृत व्यापारी को निर्धारण वर्ष 1982-83 के दौरान उसकी सकल बिक्री से 1.40 लाख रुपये की कटौती इस आधार पर अनुमत की गई थी कि क्रेता व्यापारियों द्वारा प्रपत्र एस टी-1 में घोषणा जारी की गई थी। लेखापरीक्षा (दिसम्बर 1987) में यह देखा गया था कि अनुमत कटौती अनियमित थी क्योंकि व्यापारी द्वारा प्रस्तुत घोषणाएं या तो क्रेता व्यापारियों द्वारा कतिपय अन्य व्यापारियों के पक्ष में जारी की गई थीं न कि निर्धारिती व्यापारी के पक्ष में या व्यापारी द्वारा प्रस्तुत घोषणाएं 30,000 रुपये की निर्धारित आर्थिक सीमा से अधिक थीं। निर्धारिती प्राधिकारी द्वारा निर्धारण करते समय अनियमितता का पता नहीं लगाया गया था जिसके परिणामस्वरूप 13,996 रुपये की राशि के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त अधिकतम 34,990 रुपये की शास्ति भी उद्ग्रहण थी।

लेखापरीक्षा में अनियमितता के बारे में बताए जाने पर विभाग ने व्यापारी का पुनर्निर्धारण (अक्टूबर 1990) किया और 26,000 रुपये की शास्ति तथा 17,640 रुपये की ब्याज सहित 57,636 रुपये की अतिरिक्त मांग की।

47.18 दिल्ली में मोटर पार्ट्स के व्यापार में संलग्न एक पंजीकृत व्यापारी ने निर्धारण वर्ष 1982-83 के लिए प्रपत्र एस टी-1 में छः घोषणाओं द्वारा विधिवत समर्थित अन्य पंजीकृत व्यापारियों को की गई बिक्री के कारण अपनी सकल बिक्री से 1.05 लाख रुपये की कटौती का दावा किया और यह अनुमत की गई थी। कटौती अनियमित थी क्योंकि छः में से पांच घोषणा प्रपत्र केवल 31 मार्च 1981 तक ही मान्य थे। एक मामले में पंजीकरण प्रमाणपत्र की मान्यता की तिथि नहीं दी गई थी। इस अनियमित कटौती के अनुमत किए जाने के परिणाम स्वरूप कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

लेखापरीक्षा (नवम्बर 1987) में चूक के बारे में बताए जाने पर विभाग ने व्यापारी का पुनर्निर्धारण किया (सितम्बर 1990) और 20,000 रुपये की शास्ति तथा 13,272 रुपये के ब्याज सहित 43,797 रुपये की अतिरिक्त मांग की।

47.19 दिल्ली में मोटर और ट्रैक्टर पार्ट्स के व्यापार में संलग्न एक पंजीकृत व्यापारी ने वर्ष 1983-84 में अपने दावे के समर्थन में प्रपत्र एस टी-1 में घोषणा प्रस्तुत करते हुए अन्य पंजीकृत व्यापारियों को की गई अपनी सकल बिक्री से 1.83 लाख रुपये की कटौती का दावा किया था। जारी करने वाले व्यापारियों के लेखा अभिलेखों के साथ इन प्रपत्रों की विभाग द्वारा दुतरफा जांच किए जाने पर यह पता लगा कि या तो क्रेता व्यापारी द्वारा आपूर्त प्रपत्र विक्रय कर विभाग द्वारा उसको जारी नहीं किए गए थे या क्रेता व्यापारी विभाग में पंजीकृत ही नहीं थे। निर्धारिती प्राधिकारी ने निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए 14,377 रुपये का कर लगाया परन्तु अधिकतम 35,943 रुपये की शास्ति और मार्च 1988 तक 9,956 रुपये की राशि के ब्याज का उद्ग्रहण करने में असफल रहा।

लेखापरीक्षा (दिसम्बर 1988) में चूक के बारे में बताए जाने पर विभाग ने बताया (दिसम्बर 1991) कि व्यापारी का पुनर्निर्धारण किया जा रहा था। मामले की आगे की प्रगति रिपोर्ट प्रतीक्षित है (जनवरी 1992)।

47.20 दिल्ली में बीयरिंग के व्यापार में संलग्न एक पंजीकृत व्यापारी ने वर्ष 1983-84 के दौरान अपने दावे के समर्थन में प्रपत्र एस टी-1 में घोषणा प्रस्तुत करते हुए अन्य पंजीकृत व्यापारियों को दिए गए सामान की बिक्री पर अपनी सकल बिक्री से 1.26 लाख रुपये की कटौती का दावा किया था। तथापि विभाग द्वारा इन प्रपत्रों की दुतरफा जांच करने से पता चला (दिसम्बर 1987) कि ये प्रपत्र बिक्री कर विभाग द्वारा जारी नहीं किए गए थे। निर्धारिती प्राधिकारी ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय 12,560 रुपये का कर लगाया परन्तु यथार्थ विवरणियां प्रस्तुत न करने के लिए तथा विवरणियों

के साथ कर की अदायगी न करने के लिए अधिकतम 31,400 रुपये की शास्ति और 10,393 रुपये का ब्याज उद्ग्रहण करने में असफल रहा।

लेखापरीक्षा (दिसम्बर 1988) में चूक की बावत बताए जाने पर विभाग ने अपने उत्तर (जनवरी 1989) में बताया कि ब्याज उद्ग्रहण नहीं था। विभाग का तर्क नियमानुकूल नहीं है और यह लेखापरीक्षा द्वारा अगस्त 1989 में बता दिया गया था तथा जुलाई 1990 में अनुस्मारक दिया गया था। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1992)।

47.21 निर्धारण वर्ष 1983-84 में एक पंजीकृत व्यापारी ने एस टी-1 प्रपत्र में घोषणाओं द्वारा विधिवत समर्थित अन्य पंजीकृत व्यापारियों को की गई बिक्री के कारण अपनी सकल आय से 3.38 लाख रुपये की कटौती का दावा किया और यह अनुमत की गई। तथापि लेखापरीक्षा द्वारा (जनवरी 1989) में निर्धारण अभिलेखों की दुतरफा जांच से पाया गया था कि अनुमत कटौती अनियमित थी क्योंकि विभाग द्वारा क्रेता व्यापारी को प्रपत्र जारी ही नहीं किए गए थे। अनियमित कटौती के परिणामस्वरूप 23,688 रुपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ और 12,202 रुपये की राशि का ब्याज उद्ग्रहण नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त अधिकतम 59,170 रुपये की शास्ति भी उद्ग्रहण थी।

लेखापरीक्षा (जनवरी 1989) में चूक के बारे में बताए जाने पर विभाग ने मामले का पुनर्निर्धारण किया (फरवरी 1990) और 95,093 रुपये (कर 23,656 रुपये ब्याज, 12,300 रुपये और शास्ति की 59,137 रुपये) की अतिरिक्त मांग की। तथापि व्यापारी की अपील पर ऐपैलेंट प्राधिकारी ने मामले का प्रत्यावर्तन किया और शास्ति 59,137 रुपये से घटाकर केवल 250 रुपये कर दी। अतिरिक्त मांग भी तदनुसार 95,093 रुपये से 36,206 रुपये घटा दी (दिसम्बर 1990)। विभाग द्वारा अनुमत 3.38 लाख रुपये की अनियमित कटौती जैसा कि लेखापरीक्षा में बताया गया था, के परिणामस्वरूप व्यापारी से 36206 रुपये की वसूली हुई (दिसम्बर 1990) जिसने सम्पूर्ण राशि जमा करा दी थी (सितम्बर 1990)।

उपर्युक्त मामलों को जुलाई 1991 और अक्टूबर 1991 के बीच गृह मंत्रालय को सूचित किया गया था, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1992)।

48. बिक्री छुपाने का पता न लगाए जाने के कारण कर का कम उद्ग्रहण

दिल्ली बिक्री कर अधिनियम 1975 तथा उसके अर्गत बनाए गए नियमों के अधीन, एक पंजीकृत व्यापारी अन्य पंजीकृत व्यापारी से कर अदा किए बिना वस्तुएं खरीद सकता है यदि क्रेता व्यापारी को संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में पुनः बिक्री अथवा निर्माण में प्रयोग हेतु उन वस्तुओं की आवश्यकता हो जिन सामानों की बिक्री दिल्ली में कर योग्य है। सुविधा को प्राप्त करने के लिए क्रेता

व्यापारी द्वारा विक्रेता व्यापारी को निर्धारित प्रपत्र में उक्त आशय की एक घोषणा देना अपेक्षित है। परन्तु यदि व्यापारी अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र में शामिल वस्तुओं अथवा वस्तुओं के वर्ग के संबंध में असत्य प्रत्यावेदन करता है अथवा अपनी बिक्री के विवरण छिपाता है या अपनी विक्रियों के गलत विवरण प्रस्तुत करता है तो बिक्रियों पर देय कर के अतिरिक्त कर की राशि जिसका परिहार किया जा सकता था, के ढाई गुना तक शास्ति उद्ग्राह्य होगी। दिल्ली बिक्री कर अधिनियम 1975 की धारा 27 के अंतर्गत विवरणियों के साथ कर का भुगतान न किए जाने के लिए ब्याज भी उद्ग्राह्य होगा।

48.1 1985-86 के दौरान दिल्ली में ट्रैक्टर और आटोपार्टस फास्टनर्स नट्स एवं बोल्ट की बिक्री के व्यापार में संलग्न एक पंजीकृत व्यापारी ने निर्धारित घोषणा प्रस्तुत करके अन्य पंजीकृत व्यापारियों से कर अदा किए बिना 236.46 लाख रुपये मूल्य का सामान खरीदा परन्तु अपने लेखा अभिलेखों में केवल 12.33 लाख रुपये की राशि की खरीद लेखाबद्ध की। 224.13 लाख रुपये की राशि की खरीद को कम लेखाबद्ध किए जाने के परिणामस्वरूप 3.65 प्रतिशत की दर से सीमांत लाभ जोड़ने के बाद 232.31 लाख रुपये तक की तदनुसूची बिक्री छिपाई गई थी। निर्धारण प्राधिकारी द्वारा निर्धारण को अंतिम रूप देते समय बिक्री के छिपाई जाने का पता नहीं लगाया गया था, और परिणामस्वरूप 16.26 लाख रुपये की राशि के कम कर का उद्ग्रहण हुआ था। आगे गलत विवरणियां प्रस्तुत करने और कर अदा न करने के लिए व्यापारी पर 13.94 लाख रुपये की राशि का ब्याज और अधिकतम 40.65 लाख रुपये की राशि का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

लेखापरीक्षा (मार्च 1991) में विभाग को चूक के बारे में और बाद में (मई 1991) में बताया गया था उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1992)।

48.2 1 फरवरी 1978 से 9 नवम्बर 1981 की अवधि के दौरान विभाग द्वारा क्रेता व्यापारियों को जारी किए जाने वाले खाली घोषणा प्रपत्र (एस टी-1) पर नियंत्रण में ढील दे दी गई थी और तिमाही के दौरान प्रयुक्त प्रपत्रों का लेखा उसके द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली तिमाही विवरणियों के साथ भेजना अपेक्षित था। आगे 10 नवम्बर 1981 से नए घोषणा प्रपत्र व्यापारी द्वारा उसको जारी पहले घोषणा प्रपत्रों का पूर्ण लेखा समर्पित किए जाने के पश्चात ही जारी किए जाने थे। केन्द्रीय बिक्री कर नियम (दिल्ली) 1957 में प्रारंभ से परिकल्पित है कि नए घोषणा प्रपत्र "ग" तभी जारी किए जाने थे जब वह पूर्ण अवसर पर उसे जारी उस प्रकार के प्रपत्रों का एक लेखा समर्पित कर देता है।

दिल्ली में किराना, सूखे मेवे, दुग्ध उत्पाद, धातु आदि के व्यापार में संलग्न एक पंजीकृत व्यापारी ने बिना कर अदा किए निर्धारित घोषणा प्रस्तुत करते हुए वर्ष 1984-85 के दौरान अन्य पंजीकृत व्यापारियों से 778.35 लाख रुपये की कीमत का माल खरीदा परन्तु उस वर्ष के लिए उसने अपने व्यापारिक लेखा में केवल 583.50 लाख रुपये की खरीदें ही लेखाबद्ध कीं। परिणामतः 194.85 लाख रुपये तक की वस्तुतः खरीदों के कम लेखाबद्ध किए जाने के फलस्वरूप 195 लाख रुपये (0.08 प्रतिशत सीमांत लाभ जोड़ने के बाद) बिक्रियों को छिपाया। निर्धारण प्राधिकारी व्यापारी का अंतिम निर्धारण करते समय (जून 1989) बिक्री के छिपाए जाने का पता लगाने में असफल रहा जिसके परिणामस्वरूप 13.65 लाख रुपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। आगे यथार्थ विवरण प्रस्तुत न करने पर कर अदा करने के लिए व्यापारी पर अधिकतम 34.13 लाख रुपये की शास्ति और 9.35 लाख रुपये का ब्याज भी उद्ग्रहण था। व्यापारी ने 17 जून 1988 को विभाग द्वारा उसको जारी 596 अन्य घोषणा प्रपत्र (एस टी-1) का कोई उपयोगिता लेखा भी प्रस्तुत नहीं किया था।

फरवरी, 1990 में लेखापरीक्षा में विभाग को चूक के बारे में बताया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1992)।

48.3 दवाइयों और सामान्य व्यापारिक माल के व्यापार में संलग्न एक पंजीकृत व्यापारी ने कर अदा किए बिना प्रपत्र एस टी-1 में निर्धारित घोषणा प्रस्तुत करते हुए अन्य पंजीकृत व्यापारियों से 26.01 लाख रुपये और 23.01 लाख रुपये मूल्य का माल क्रमशः 1983-84 और 1984-85 के वर्षों के दौरान खरीदा। व्यापारी ने प्रथम बिन्दु पर कर योग्य 47.14 लाख रुपये और 48.07 लाख रुपये के मूल्य का माल भी क्रमशः 1983-84 तथा 1984-85 के वर्षों के दौरान खरीदा। परन्तु उसने 1983-84 के दौरान 57.03 लाख रुपये तथा 1984-85 के दौरान 55.81 लाख रुपये की खरीद को लेखाबद्ध किया। इस प्रकार 31.39 लाख रुपये की राशि की खरीदों के (1983-84 में 16.12 लाख रुपये और 1984-85 में 15.27 लाख रुपये) कम लेखाबद्ध किए जाने के परिणामस्वरूप 32.90 लाख रुपये (व्यापारिक लेखा पर आधारित) सीमांत लाभ सहित) की तदनुसूची बिक्री छिपाई गई। बिक्रियों के छिपाव का निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पता नहीं लगाया गया था जिसके फलस्वरूप 2.44 लाख रुपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। आगे गलत विवरणियां प्रस्तुत करने के लिए व्यापारी पर अधिकतम 6.09 लाख रुपये की शास्ति और 2.16 लाख रुपये का ब्याज भी उद्ग्रहण था।

चूक के बारे में लेखापरीक्षा में विभाग को अप्रैल 1990 में बताया गया था और सितम्बर 1990 में अनुस्मारक दिया गया था, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1992)।

48.4 वर्ष 1984-85 के दौरान आटोपार्टस के व्यापार में संलग्न एक पंजीकृत व्यापारी ने प्रपत्र एस टी-1 में घोषणा प्रस्तुत करते हुए 24.72 लाख रुपये के मूल्य का माल खरीदा था परन्तु अपने लेखा अभिलेखों में केवल 17.17 लाख रुपये की खरीद ही लेखाबद्ध की। 7.55 लाख रुपये की राशि की खरीदों के कम लेखाबद्ध किए जाने के परिणामस्वरूप 8.31 लाख रुपये (दस प्रतिशत की दर से सीमांत लाभ जोड़ने के बाद) की तदनुसूची बिक्रियां छिपाई गई थीं। निर्धारण प्राधिकारी द्वारा निर्धारण को अंतिम रूप देते समय (मार्च 1989) बिक्री के छिपाने का पता न लगाये जाने के फलस्वरूप 83,074 रुपये की राशि के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त अधिकतम 2.08 लाख रुपये की शास्ति और 56,855 रुपये का ब्याज भी उद्ग्रहण था।

लेखापरीक्षा में चूक की ओर संकेत किया गया था (सितम्बर 1991) जिसका बाद में विभाग को अनुस्मारक दिया गया था (अगस्त 1990 तथा अगस्त 1991); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1992)।

48.5 दिल्ली में 1983-84 के दौरान आटोपार्टस के व्यापार में संलग्न एक पंजीकृत व्यापारी ने कर अदा किए बिना प्रपत्र एस टी 1 में घोषणाओं के आधार पर दूसरे पंजीकृत व्यापारियों से 8.27 लाख रुपये के मूल्य का माल खरीदा। तथापि, लेखापरीक्षा (जनवरी 1989) में यह पाया गया था कि उसने अपने लेखाओं में केवल 6.64 लाख रुपये मूल्य की खरीदें ही लेखाबद्ध की थीं। 1.63 लाख रुपये की खरीदों को कम लेखाबद्ध किए जाने के परिणामस्वरूप व्यापारिक लेखा के आधार पर सीमांत लाभ जोड़ने के बाद 1.79 लाख रुपये की राशि की तदनुसूची बिक्री छिपाई गई थी। बिक्रियों के छिपाने का पता न लगाने के फलस्वरूप 17851 रुपये की राशि के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त व्यापारी पर गलत विवरणियां प्रस्तुत करने और कर अदा न करने के लिए अधिकतम 44,628 रुपये की शास्ति और 13,597 रुपये की राशि का ब्याज भी उद्ग्रहण था।

लेखापरीक्षा में चूक के बारे में बताए जाने पर विभाग ने व्यापारी का पुनर्निर्धारण किया (फरवरी 1991) और 76,077 रुपये (ब्याज और शास्ति सहित) की अतिरिक्त मांग की। वसूली की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 1992)।

48.6 दिल्ली में विद्युतीय सामान के व्यापार में संलग्न एक पंजीकृत व्यापारी का सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर वर्ष 1984-85 के लिए निर्धारण किया गया था और व्यापारी द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक विवरणियों के आधार पर पहली और दूसरी तिमाही के दौरान उसकी 3.01 लाख रुपये की बिक्री

निश्चित की गई थी। तथापि, लेखापरीक्षा (मार्च 1990) में यह देखा गया था कि व्यापारी द्वारा जुलाई 1984 के अंत की अवधि के लिए व्यापारिक लेखा के साथ प्रस्तुत मिलान विवरण में 4.63 लाख रुपये की बिक्री अप्रैल 1984 से जुलाई 1984 तक की गई दर्शाई गई थी। निर्धारण प्राधिकारी के गलती का पता लगाने में असफलता के परिणामस्वरूप 16,245 रुपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। अधिकतम 40,613 रुपये की शास्ति और 13,808 रुपये की ब्याज भी उद्ग्रह्य थी।

चूक के बारे में लेखापरीक्षा में बताए जाने पर विभाग ने मामले का पुनर्निर्धारण किया (अक्टूबर 1990) और 38,979 रुपये की ब्याज सहित 79,261 रुपये की अतिरिक्त मांग की और बताया कि शास्ति के उद्ग्रहण के संबंध में अलग से कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। आगे की प्रगति पर रिपोर्ट प्रतीक्षित है (जनवरी 1992)।

48.7 वर्ष 1985-86 के दौरान कागज की पुनर्बिक्री के व्यापार में संलग्न एक पंजीकृत व्यापारी ने कर अदा किए बिना प्रपत्र एस टी-1 में घोषणा प्रस्तुत करते हुए 37.57 लाख रुपये मूल्य का माल खरीदा परन्तु केवल 35.70 लाख रुपये की राशि की खरीदें ही लेखाबद्ध की थीं। 1.87 लाख रुपये की राशि की खरीदों के कम लेखाबद्ध किए जाने के परिणामस्वरूप 2.01 लाख रुपये (7.42 प्रतिशत सीमांत लाभ जोड़ने के बाद) की राशि की तदनुसूची बिक्रियां छिपाई गईं। बिक्री के छिपाने जिनका अंतिम निर्धारण करते समय (नवम्बर 1989) निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पता नहीं लगाया जा सका था, के फलस्वरूप 10,065 रुपये के कर, 8,178 रुपये का ब्याज और अधिकतम 25,162 लाख रुपये की शास्ति का कम उद्ग्रहण हुआ।

लेखापरीक्षा (दिसम्बर 1990) में चूक के बारे में बताए जाने पर विभाग ने व्यापारी के प्रति 43,405 रुपये की अतिरिक्त मांग की (अगस्त 1991)।

48.8 दिल्ली में हौजरी के व्यापार में संलग्न एक पंजीकृत व्यापारी ने कर अदा किए बिना 1981-82 के दौरान प्रपत्र एस टी-1 में निर्धारित घोषणा प्रस्तुत करते हुए दूसरे पंजीकृत व्यापारियों से 28.90 लाख रुपये का माल खरीदा। तथापि, उसने अपने लेखाओं में केवल 21.24 लाख रुपये की राशि की खरीदें लेखाबद्ध की थीं। खरीदों के कम लेखाबद्ध किए जाने के परिणामस्वरूप 7.66 लाख रुपये (सीमांत लाभ जोड़े बिना) तक की तदनुसूची बिक्रियां छिपाई गईं थीं। निर्धारण को अंतिम रूप देते समय निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बिक्री के छिपाव का पता नहीं लगाया जा सका था, परिणामस्वरूप 7,658 रुपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। आगे अपनी बिक्री की गलत विवरणियां प्रस्तुत करने के लिए व्यापारी पर अधिकतम 19145 रुपये की शास्ति भी उद्ग्रह्य थी।

आगे व्यापारी ने 1981-82 के दौरान गलत अभिवेदन द्वारा कि खरीदा गया माल उसके पंजीकरण प्रमाणपत्र के अंतर्गत आता था, 93,650 रुपये मूल्य के प्लास्टिक थैले और पैकिंग सामान कर अदा किए बिना खरीदा। निर्धारण प्राधिकारी निर्धारण को अंतिम रूप देते समय गलत अभिवेदन का पता लगाने में असफल रहा जिससे 16,389 रुपये तक की शास्ति का कम उद्ग्रहण हुआ।

लेखापरीक्षा (दिसम्बर 1987) में चूक के बारे में बताए जाने पर विभाग ने पुनर्निर्धारण किया (अक्टूबर और नवम्बर 1990) और 38,050 रुपये (17,836 रुपये की ब्याज और 6000 रुपये की शास्ति सहित) अतिरिक्त मांग की।

उपर्युक्त मामले गृह मंत्रालय को अगस्त 1991 और अक्टूबर 1991 के बीच बताए गए थे, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1992)।

49. ब्याज का अनुदग्रहण

दिल्ली बिक्री कर अधिनियम, 1975 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत यदि कोई व्यापारी देय कर का भुगतान करने में असफल रहता है तो उसे इस प्रकार देय राशि पर एक प्रतिशत प्रति मास (विवरणी के प्रस्तुतिकरण की अंतिम तिथि से एकदम अगली तिथि) की दर पर एक मास के लिए तथा उसके पश्चात जब तक वह इस प्रकार के भुगतान नहीं करता अथवा निर्धारण के समापन की तिथि जो भी पहले हो, तक डेढ़ प्रतिशत प्रतिमाह की दर पर साधारण ब्याज देना होगा।

49.1 वर्ष 1984-85 के दौरान पेपर तथा पेपर बोर्ड के कार्य में लगे एक पंजीकृत व्यापारी ने अपनी त्रैमासिक रिटर्नों में दूसरे पंजीकृत व्यापारियों को की गई 145.72 लाख रुपये की बिक्री के प्रति कटौती का दावा किया परन्तु अपने दावे के समर्थन में एस टी-5 फार्म पर घोषणा प्रस्तुत नहीं कर सका। निर्धारण प्राधिकारी ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय (मार्च 1989) 7.29 लाख रुपये का कर लगाया परन्तु रिटर्नों के साथ कर का भुगतान न करने के लिए 6.03 लाख रुपये की राशि का ब्याज नहीं लगाया। उसी तरह व्यापारी ने 1.36 लाख रुपये की अंतर्राष्ट्रीय बिक्री के प्रति कर की रियायती दरों का दावा किया तथा उसे इसकी अनुमति दे दी गई जिसके लिए व्यापारी फार्म सी पर घोषणा प्रस्तुत करने में असफल रहा। निर्धारण प्राधिकारी ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय (मार्च 1989) 8,150 रुपये की राशि का कर लगाया परन्तु रिटर्नों के साथ कर का भुगतान न करने के

लिए 6,730 रुपये का ब्याज नहीं लगाया। इस चूक के परिणामस्वरूप 6.10 लाख रुपये की राशि के ब्याज की वसूली नहीं हुई।

चूक के विषय में लेखापरीक्षा में (फरवरी 1990) संकेत किया गया था तथा विभाग को अनुस्मारक (जुलाई 1991) में दिया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1992)।

49.2 रबड़ की बिक्री के काम में लगे एक पंजीकृत व्यापारी ने वर्ष 1983-84 के दौरान अपनी 28.12 लाख रुपये की कुल बिक्री पर इस आधार पर कटौती का दावा किया कि बिक्री अन्य पंजीकृत व्यापारियों को की गई थी। निर्धारण प्राधिकारी ने व्यापारी का एक पक्षीय निर्धारण करते समय 28.12 लाख रुपये की बजाए बिक्री का 60 लाख रुपये पर निर्धारण किया तथा व्यापारी के दावे को अनुमत नहीं किया, क्योंकि वह निर्धारित घोषणा फार्म एस टी-1 पर प्रस्तुत करने में असफल रहा तथा 60 लाख रुपये की निर्धारित बिक्री पर कर लगाया परन्तु रिटनों के साथ कर का भुगतान न करने पर ब्याज नहीं लगाया। इस चूक के परिणामस्वरूप 4.38 लाख रुपये की राशि के ब्याज की वसूली नहीं हुई।

लेखापरीक्षा में चूक के विषय में संकेत करने पर (दिसम्बर 1988), विभाग ने व्यापारी का पुनर्निर्धारण किया (सितम्बर 1990) तथा व्यापारी के प्रति ब्याज के रूप में 1.84 लाख रुपये के ब्याज की अतिरिक्त मांग उठाई। ब्याज की शेष राशि के उद्ग्रहण तथा उसकी वसूली की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई (जनवरी 1992)।

49.3 वर्ष 1983-84 के दौरान पेट्रोलियम उत्पाद के विनिर्माण तथा बिक्री कार्य में लगे एक पंजीकृत व्यापारी ने अपनी त्रैमासिक रिटनों में दूसरे प्रजीकृत व्यापारियों को की गई 19.73 लाख रुपये की राशि की बिक्री के प्रति कटौती का दावा किया परन्तु अपने दावे के समर्थन में एस टी-1 फार्म पर घोषणा प्रस्तुत नहीं कर सका। निर्धारण प्राधिकारी ने व्यापारी का निर्धारण करते समय (मार्च 1988), 1.12 लाख रुपये के कर का उद्ग्रहण किया परन्तु रिटनों के साथ कर का भुगतान न करने पर याज के उद्ग्रहण में चूक कर गया।

इस चूक के विषय में लेखापरीक्षा में संकेत करने पर (दिसम्बर 1988), विभाग ने व्यापारी के प्रति 76,842 रुपये के ब्याज की अतिरिक्त मांग उठायी (जनवरी 1989)। वसूली की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई (जुलाई 1991)। तथापि, विभाग ने सूचित किया (सितम्बर 1990) कि अपीलीय ट्रिब्यूनल बिक्री कर ने वसूली के लिए स्थगन आदेश दे दिया है।

49.4 वर्ष 1984-85 के दौरान, प्रिंटिंग स्याही के काम में लगे एक पंजीकृत व्यापारी ने अपनी त्रैमासिक रिटनों में दूसरे पंजीकृत व्यापारियों को की गई 6.49 लाख रुपये की राशि की बिक्री के

प्रति कटौती का दावा किया परन्तु अपने दावे के समर्थन में एस टी-1 फार्म पर घोषणा प्रस्तुत नहीं कर सका। निर्धारण प्राधिकारी ने निर्धारण करते समय (जनवरी 1989) 45,409 रुपये की राशि का कर लगाया गया परन्तु रिटर्नों के साथ कर का भुगतान न करने पर 31,439 रुपये का ब्याज नहीं लगाया। उसी तरह व्यापारी ने वर्ष 1984-85 के दौरान 90,795 रुपये की राशि की अंतर्राज्यीय बिक्री के प्रति कर की रियायती दर का दावा किया जो उसे अनुमत कर दिया गया था, परन्तु वह अपने दावे के समर्थन में फार्म "सी" पर घोषणा प्रस्तुत नहीं कर सका। निर्धारण प्राधिकारी ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय (जनवरी 1989), 5447 रुपये की राशि का कर लगाया, परन्तु रिटर्नों के साथ कर का भुगतान न करने के लिए ब्याज नहीं लगाया। इस चूक के परिणामस्वरूप 35,178 रुपये की राशि के ब्याज की वसूली नहीं हुई।

इस चूक के विषय में विभाग को अगस्त 1989 में संकेत किया गया था तथा मार्च 1990 तथा नवम्बर 1990 में इसके अनुस्मारक भी दिए गए; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1992)।

49.5 वर्ष 1984-85 के दौरान, पी वी सी कम्पाऊंड के काम में लगे एक पंजीकृत व्यापारी ने अपनी त्रैमासिक रिटर्नों में अन्य पंजीकृत व्यापारियों को की गई 6.34 लाख रुपये की बिक्री के प्रति कटौती का दावा किया परन्तु अपने दावे के समर्थन में एस टी-1 फार्म पर घोषणाएं प्रस्तुत नहीं कर सका। निर्धारण को अंतिम रूप देते समय (मार्च 1989) फार्म एस टी-1 के द्वारा समर्थित एक लाख रुपये की राशि की बिक्री निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अनुमत नहीं की गई थी और उसने 7.34 लाख रुपये की कुल बिक्री पर कर लगाया परन्तु कर का भुगतान न करने पर 40,050 रुपये की राशि के ब्याज के उद्ग्रहण के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा में इस चूक के विषय में संकेत करने पर (सितम्बर 1990), विभाग ने बताया (दिसम्बर 1991) कि व्यापारी के प्रति ब्याज के उद्ग्रहण के लिए कार्यवाही की जा रही है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (जनवरी 1992)।

49.6 वर्ष 1985-86 के दौरान, धातु सामग्री के काम में लगे एक पंजीकृत व्यापारी ने अन्य पंजीकृत व्यापारियों को की गई 7.52 लाख रुपये की राशि की बिक्री के प्रति कटौती का दावा किया परन्तु अपने दावे के समर्थन में फार्म एस टी-1 पर घोषणाएं प्रस्तुत नहीं कर सका। निर्धारण प्राधिकारी ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय (फरवरी 1990), 52,647 रुपये की राशि का कर

लगाया, परन्तु रिटनों के साथ कर का भुगतान न करने पर 35,668 रुपये की राशि का ब्याज नहीं लगाया।

इस चूक के विषय में लेखापरीक्षा में संकेत किया गया था (सितम्बर 1990) तथा विभाग को इसका एक अनुस्मारक भी दिया गया (अगस्त 1991), उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1992)।

49.7 वर्ष 1983-84 के दौरान, खाद्य तथा अन्य तेलों के पुनर्विक्रय में लगे दिल्ली के एक पंजीकृत व्यापारी ने अन्य पंजीकृत व्यापारियों को की गई 5.15 लाख रुपये तक की बिक्री के प्रति कटौती का दावा किया। तथापि, व्यापारी अपने दावे के समर्थन में एस टी-1 फार्म पर घोषणा प्रस्तुत नहीं कर सका। निर्धारण प्राधिकारी ने 32,137 रुपये की राशि का कर लगाया (मार्च 1988) परन्तु रिटनों के साथ कर का भुगतान न करने पर 35,116 रुपये की राशि का कर नहीं लगाया।

लेखापरीक्षा में इस चूक के विषय में संकेत करने पर (मई 1988), विभाग ने मामले का पुनर्निर्धारण किया (अप्रैल 1990) तथा 80,343 रुपये के अर्थदण्ड सहित 1.15 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग उठाई।

49.8 वर्ष 1985-86 के दौरान बिजली के काम में लगे एक पंजीकृत व्यापारी ने अपनी त्रैमासिक रिटनों में अन्य पंजीकृत व्यापारियों को की गई 6.91 लाख रुपये की राशि की बिक्री के प्रति कटौती का दावा किया, परन्तु अपने दावे के समर्थन में फार्म एस टी-1 में 5.05 लाख रुपये की घोषणाएं प्रस्तुत नहीं कर सका। निर्धारण प्राधिकारी ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय (जनवरी 1990), 50,536 रुपये की राशि का कर लगाया, परन्तु रिटनों के साथ कर का भुगतान न करने पर 34,997 रुपये की राशि का ब्याज नहीं लगाया।

इस चूक के विषय में लेखापरीक्षा में संकेत किया गया था (अगस्त 1990) तथा विभाग को एक अनुस्मारक भी दिया गया (अगस्त 1991); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जनवरी 1992)।

49.9 वर्ष 1984-85 के दौरान लौहे तथा स्टील के काम में लगे एक पंजीकृत व्यापारी ने अपनी त्रैमासिक रिटनों में अन्य पंजीकृत व्यापारियों को की गई 11.59 लाख रुपये की बिक्री के प्रति कटौती का दावा किया, परन्तु अपने दावे के समर्थन में फार्म एस टी-1 पर घोषणाएं प्रस्तुत नहीं कर सका। निर्धारण प्राधिकारी ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय (मार्च 1989), 46,353 रुपये की राशि का कर लगाया, परन्तु रिटनों के साथ कर का भुगतान न करने पर 34,764 रुपये की राशि का ब्याज नहीं लगाया उसी प्रकार व्यापारी ने 1.06 लाख रुपये की अंतर्राज्यीय बिक्री के प्रति रियायती दर का दावा किया, परन्तु अपने दावे के समर्थन में घोषणाएं प्रस्तुत करने में असफल रहा। निर्धारण

प्राधिकारी ने निर्धारण को अंतिम रूप देने समय (मार्च 1989), 8480 रुपये की राशि का कर लगाया, परन्तु रिटनों के साथ कर का भुगतान न करने पर 6,360 रुपये की राशि का ब्याज नहीं लगाया।

लेखापरीक्षा में इस चूक के विषय में संकेत करने पर (मई 1990), जिसका एक अनुस्मारक भी दिया गया (जुलाई 1991), विभाग ने मामले का पुनर्निर्धारण किया (अगस्त 1991) तथा व्यापारी के प्रति 41,124 रुपये की अतिरिक्त मांग उठाई।

उपर्युक्त मामलों के विषय में जुलाई 1991 तथा अक्टूबर 1991 के बीच गृह मंत्रालय को सूचित किया गया था: उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1992)।

50. कर से अनियमित छूट प्रदान करना

दिल्ली बिक्री कर अधिनियम, 1975 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत एक पंजीकृत व्यापारी से दूसरे पंजीकृत व्यापारी को की गई वस्तुओं की बिक्री को क्रेता व्यापारी से प्राप्त फार्म एस टी-1 पर निर्धारित घोषणाओं से समर्थित अपनी रिटनों के साथ इस प्रकार की बिक्री की सम्पूर्ण सूची प्रस्तुत करने पर, विक्रेता व्यापारी की बिक्री में से घटाने की अनुमति दी गई है। परन्तु, यदि एक व्यापारी अपनी बिक्री के विवरण छुपाता है तो अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत बिक्री पर भुगतान योग्य कर के अतिरिक्त कर की राशि का अधिकतम टाई गुणा अर्थदण्ड तथा ब्याज, जिस से बचा जा सकता था, उद्ग्राह्य है।

50.1 खाद्य तेल तथा गुड के काम में लगे दिल्ली के एक पंजीकृत व्यापारी ने क्रेता व्यापारी से प्राप्त घोषणाओं (एस टी-1) के आधार पर अन्य स्थानीय पंजीकृत व्यापारियों को वर्ष 1983-84 के दौरान की गई बिक्री के प्रति 126.59 लाख रुपये की कटौती का दावा किया तथा उसे इसकी अनुमति दे दी गई। अनुमत कटौती सही नहीं थी क्योंकि केवल 119.69 लाख रुपये की राशि के प्रति भी फार्म एस टी-1 में घोषणाएं दी गई थीं। इसके परिणामस्वरूप 6.90 लाख रुपये की बिक्री, जो कि निर्धारित घोषणाओं के अंतर्गत नहीं आती थी, पर 34,498 रुपये की राशि का कर नहीं लगाया गया। इसके अतिरिक्त, गलत विवरण प्रस्तुत करने तथा रिटनों के साथ कर का भुगतान न करने के कारण व्यापारी पर अधिकतम 86,244 रुपये का अर्थदण्ड तथा 23,631 रुपये का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

आगे निर्धारण प्राधिकारी ने 1983-84 की अवधि के निर्धारण को अंतिम रूप देने समय स्थानीय पंजीकृत व्यापारियों की बहियों में 56.21 लाख रुपये के मूल्य की वस्तुओं की बिक्री का

सत्यापन न करने तथा अन्य पंजीकृत व्यापारियों को 42.15 लाख रुपये की राशि की बिक्री के दावे के समर्थन में एस टी-1 फार्म प्रस्तुत करने में असफल रहने पर 4.92 लाख रुपये की राशि का कर लगाया, परन्तु रिटर्नों के साथ कर का भुगतान न करने पर 16.5.84 से 21.3.88 तक 3.37 लाख रुपये का ब्याज लगाने में असफल रहा।

लेखापरीक्षा में चूक के विषय में संकेत करने पर (अगस्त 1988), विभाग ने बताया (दिसम्बर 1991) कि पुनर्निर्धारण की कार्यवाही प्रारंभ की जा रही थी। मामले की आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (जनवरी 1992)।

50.2 बिक्री कर अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक व्यापारी को, जो अंतर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य अथवा भारत की सीमा के बाहर निर्यात के दौरान किसी सरकारी विभाग अथवा एक पंजीकृत व्यापारी को वस्तुएं बेचता है, चार प्रतिशत की रियायती दर पर कर देना होगा अथवा निर्धारित फार्म पर घोषणा प्रस्तुत करने की शर्त पर भारत से बाहर निर्यात की गई वस्तुओं के मूल्य की सीमा तक अपनी कुल बिक्री में से कटौती का दावा करना होगा।

सर्जिकल वस्तुओं के काम में लगे एक दिल्ली के पंजीकृत व्यापारी ने अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत 24 एस टी-1 प्रपत्रों तथा 3 छूट प्रमाणपत्रों के आधार पर अपनी कुल बिक्री (1984-85) में से 22.46 लाख रुपये की कटौती का दावा किया और उसे यह अनुमत की गई। तथापि इन फार्मों की संवीक्षा (अगस्त 1989) से पता चला कि इन फार्मों की कुल राशि केवल 9.35 लाख रुपये परिकलित की गई। इस प्रकार, व्यापारी को 13.11 लाख रुपये की अधिक कटौती प्रदान की गई जिसके परिणामस्वरूप 65,527 रुपये के कर तथा 49,800 रुपये के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ (15 अगस्त 1989)।

इसी प्रकार उसी व्यापारी पर उसके द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत 66 'सी' तथा 'डी' फार्मों के आधार पर 18.16 लाख रुपये की राशि की अंतर्राज्यीय बिक्री पर रियायती कर लगाया गया। इन फार्मों का जोड़ वास्तव में केवल 16.67 लाख रुपये परिकलित किया गया जिसके आधार पर कर की राशि घटाने के पश्चात 16.03 लाख रुपये की कटौती ग्राह्य थी। इस प्रकार 2.13 लाख रुपये की बिक्री पर, जो निर्धारित घोषणा प्रपत्रों से समर्थित नहीं थी, 21,348 रुपये के कर का अपवंचन हुआ था। इसके अतिरिक्त रिटर्नों के साथ कर का भुगतान न करने पर 15 अगस्त 1989 तक, 16,225 रुपये का ब्याज भी उद्ग्रह्य था।

आगे, व्यापारी त्रैमासिक रिटर्नों में दावित कर की कटौती/रियायती दरों के समर्थन में फार्म एस टी-1 पर 5.15 लाख रुपये की घोषणाएं 1.27 लाख रुपये के 'सी' फार्म तथा 2.01 लाख रुपये के

निर्यात दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहा। निर्धारण प्राधिकारी ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय (मार्च 1989), 53508 रुपये की राशि का कर लगाया परन्तु त्रैमासिक रिटर्नों के साथ कर का भुगतान न करने पर 15 अप्रैल 1989 तक 37,456 रुपये की राशि का कर नहीं लगाया।

अगस्त 1989 तथा बाद में सितम्बर 1990 में लेखापरीक्षा में चूक के विषय में संकेत करने पर, विभाग ने बताया था (जनवरी 1992) कि व्यापारी का पुनर्निर्धारण किया जा रहा है। मामले में आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (जनवरी 1992)।

50.3 कास्मेटिक्स के काम में लगे दिल्ली के एक पंजीकृत व्यापारी ने क्रेता व्यापारियों से प्राप्त घोषणाओं (एस टी-1) के आधार पर वर्ष 1984-85 के दौरान अन्य स्थानीय पंजीकृत व्यापारियों को की गई बिक्री के प्रति 11.06 लाख रुपये की कटौती का दावा किया जो उसे अनुमत कर दी गई। अनुमत कटौती सही नहीं थी क्योंकि केवल 8.73 लाख रुपये की राशि की बिक्री फार्म एस टी-1 पर घोषणाओं से समर्थित थी। इसके परिणामस्वरूप 2.33 लाख रुपये की बिक्री, जो निर्धारित घोषणाओं द्वारा समर्थित नहीं थी, पर 23,283 रुपये की राशि का कर नहीं लगाया गया। इसके अतिरिक्त गलत विवरण प्रस्तुत करने तथा रिटर्नों के साथ कर का भुगतान न करने पर अधिकतम 58,108 रुपये का अर्थदण्ड तथा 16 मार्च 1990 तक 21,537 रुपये का ब्याज नहीं लगाया गया था।

लेखापरीक्षा (अगस्त 1989) में चूक के विषय में संकेत करने पर, विभाग ने बताया (जनवरी 1992) कि व्यापारी का पुनर्निर्धारण किया जा रहा है। मामले में आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (जनवरी 1992)।

50.4 मोटर पुर्जों के काम में लगे दिल्ली के एक पंजीकृत व्यापारी ने क्रेता व्यापारियों से प्राप्त घोषणाओं (एस टी-1) के आधार पर वर्ष 1984-85 के दौरान अन्य स्थानीय पंजीकृत व्यापारियों को की गई बिक्री के प्रति 29.04 लाख रुपये की कटौती का दावा किया तथा उसे यह कटौती अनुमत की गई थी। अनुमत कटौती सही नहीं थी क्योंकि केवल 28.04 लाख रुपये की बिक्री एस टी-1 फार्म में घोषणाओं द्वारा समर्थित थी। इसके परिणामस्वरूप एक लाख रुपये की बिक्री, जो कि निर्धारित घोषणाओं से समर्थित नहीं थी, पर 10,000 रुपये का कर नहीं लगाया गया। इसके अतिरिक्त गलत विवरण प्रस्तुत करने तथा रिटर्नों के साथ कर का भुगतान न करने पर 25,000 रुपये का अर्थदण्ड तथा 31 मार्च 1990 तक 6,925 रुपये का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

लेखापरीक्षा में संकेत किए जाने पर विभाग ने व्यापारी का पुनर्निर्धारण किया (जनवरी 1991) तथा 20,150 रुपये (10,150 रुपये के ब्याज सहित) की अतिरिक्त मांग उठायी। वसूली तथा अर्थदण्ड के उद्ग्रहण की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 1992)।

50.5 दिल्ली में एक पंजीकृत व्यापारी का वर्ष 1985-86 का निर्धारण करते समय (मार्च 1990) क्रेता व्यापारी द्वारा उसको 10 नवम्बर 1981 के पश्चात जारी एस टी-1 घोषणा प्रपत्रों के आधार पर 2.40 लाख रुपये की बिक्री उसकी कुल बिक्री में से घटायी गई थी जिसमें एक से अधिक लेन देन शामिल थे तथा इस फार्म में शामिल आर्थिक सीमा के अधिक राशि का कुल योग 2.08 लाख रुपये परिकल्पित किया गया। इसके परिणामस्वरूप 14,548 रुपये की राशि का कर कम लगाया गया, इसके अतिरिक्त 11,652 रुपये की राशि का ब्याज भी उद्ग्रहण था।

लेखापरीक्षा में इस अनियमितता के विषय में संकेत करने पर, विभाग ने व्यापारी का पुनर्निर्धारण किया (जून 1991) तथा 38,295 रुपये (कर 14,548 रुपये ब्याज 13,747 रुपये तथा अर्थदण्ड 10,000 रुपये) की अतिरिक्त मांग की।

50.6 वर्ष 1984-85 के लिए, स्टील के काम में लगे एक पंजीकृत व्यापारी का निर्धारण करते समय (मार्च 1989) 5.72 लाख रुपये की बिक्री उसकी कुल बिक्री में से एक घोषणा प्रपत्र (एस टी-1) के आधार पर घटाई गई थी। तथापि, लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि निर्धारित आर्थिक सीमा से अधिक 5.46 लाख रुपये की राशि के 43 बिल घोषणा प्रपत्रों में शामिल थे। कुल बिक्री में से इन बिक्रियों की अनियमित कटौती के परिणामस्वरूप 21,832 रुपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

इस चूक का लेखापरीक्षा में संकेत किया गया था (जनवरी 1990) तथा इसका विभाग को एक अनुस्मारक भी दिया गया (सितम्बर 1990), उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1992)।

उपर्युक्त मामलें अगस्त 1991 तथा अक्टूबर 1991 के बीच मंत्रालय को सूचित किए गए थे; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1992)।

51. अर्थदण्ड का न लगाया जाना

दिल्ली बिक्री कर अधिनियम 1975 के प्रावधानों के अनुसार, वस्तुएं खरीदते समय जब एक पंजीकृत व्यापारी उसके पंजीकरण प्रमाण पत्र के अंतर्गत न आने वाली किन्हीं वस्तुओं अथवा वस्तुओं की श्रेणी, इन प्रमाण पत्रों के अंतर्गत न आने वाली इस प्रकार की वस्तुओं अथवा वस्तुओं की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करने का अपराध करता है, तो उद्ग्रहण कर के अधिकतम ढाई गुणा के अतिरिक्त ऐसी अवधि के लिए जो छः माह तक बढ़ाई जा सके का कठोर कारावास या जुर्माना या

दोनों तथा जहां अपराध लगातार चल रहा हो, अपराध की अवधि के दौरान अधिकतम 200 रुपये प्रति दिन का जुर्माना लगाया जाएगा।

51.1 दिल्ली में पी वी सी प्लास्टिक के काम में लगे एक पंजीकृत व्यापारी ने उसके मुख्यालय से 1982-83 के दौरान अंतरित 17.19 लाख रुपये की सी आर सी ए शीटें दर्शायी थी जिसके समर्थन में उसने कोई सांविधिक फार्म जारी नहीं किया था, क्योंकि ये शीटें उसके पंजीकरण प्रमाण पत्र के अंतर्गत नहीं आती थी। वर्ष 1982-83 के लिए निर्धारण को अंतिम रूप देने समय निर्धारण प्राधिकारी गलत बयानी का पता लगाने तथा आभियोजन कार्यवाहियां शुरू करने अथवा व्यापारी पर अर्थदण्ड लगाने में असफल रहा। इसके परिणामस्वरूप 3.01 लाख रुपये की राशि का अर्थदण्ड नहीं लगाया गया।

लेखापरीक्षा में (अक्टूबर 1988) इस चूक के विषय में संकेत करने पर विभाग ने व्यापारी का पुनर्निर्धारण किया (अप्रैल 1990) तथा 1.20 लाख रुपये की राशि का कर लगाया तथा 3 लाख रुपये का अर्थदण्ड लगाया। वसूली की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 1992)।

51.2 डायरियों तथा कैलेण्डरों के व्यापार में लगे एक पंजीकृत व्यापारी ने वर्ष 1984-85 के दौरान 2.89 लाख रुपये की करमुक्त पोलिविनाइल क्लोराइड की बनी वस्तुएं यह मिथ्या विवरण देते हुए खरीदी कि खरीदी गई वस्तुएं उसके पंजीकरण प्रमाणपत्र के अंतर्गत आती थी जबकि यह मद पुनर्विक्रय के उद्देश्य के लिए उसके प्रमाणपत्र में शामिल नहीं की गई थी। निर्धारण प्राधिकारी इस मिथ्या विवरण का पता लगाने में असफल था तथा परिणामतः न तो व्यापारी के विरुद्ध अभियोजन कार्यवाहियां प्रारंभ की गई थी न ही निर्धारण प्राधिकारी द्वारा व्यापारी के प्रति 50,642 रुपये तक अर्थदण्ड लगाने की कोई कार्यवाही की गई थी।

लेखापरीक्षा में (जुलाई 1989) तथा उसके बाद विभाग को (जनवरी 1990) तथा (अगस्त 1991) में इस अनियमितता के बारे में इंगित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1992)।

51.3 दिल्ली में इलैक्ट्रॉनिक वस्तुओं के विनिर्माण के व्यापार में लगे एक पंजीकृत व्यापारी ने वर्ष 1982-83 के दौरान वह वस्तुएं खरीदी जिनका उसके पंजीकरण प्रमाणपत्र में विनिर्माण के लिए केवल कच्चे माल के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी गई थी न कि पुनर्विक्रय उद्देश्यों के लिए। व्यापारी ने 1.29 लाख रुपये की राशि की वस्तुओं का पुनर्विक्रय करके पंजीकरण प्रमाण पत्र का

दुरुपयोग किया। उसके निर्धारण को अंतिम रूप देते समय (मार्च 1987) निर्धारण प्राधिकारी तथ्यों के मिथ्या निरूपण का पता लगाने में असफल रहा तथा न तो व्यापारी के विरुद्ध अभियोजन कार्यवाहियां प्रारंभ की गईं न ही 32,229 रुपये से अनाधिक अर्थदण्ड लगाया गया।

लेखापरीक्षा में (फरवरी 1988) इस चूक की ओर ध्यान दिलाए जाने पर विभाग ने व्यापारी का पुनर्निर्धारण किया (सितम्बर 1990) तथा 32,229 रुपये के अर्थदण्ड सहित 45,121 रुपये की अतिरिक्त मांग की। वसूली की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 1992)।

उपर्युक्त मामले जुलाई 1991 तथा अक्टूबर 1991 के बीच गृह मंत्रालय को सूचित किए गए थे; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1992)।

52 सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार निर्धारण में गलती

दिल्ली बिक्री कर अधिनियम, 1975 में निहित उपबंधों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत यदि कोई व्यापारी निर्धारित तिथि तक किसी अवधि की विवरणी भेजने में असफल रहता है या व्यापारी दिए गए नोटिस का पालन नहीं करता है तथा न तो वह पेश होता है न ही साक्ष्य प्रस्तुत करता है तो निर्धारण प्राधिकारी को व्यापारी को सुनवाई के लिए पेश होने के लिए यथोचित अवसर दिए जाने के बाद अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार व्यापारी का निर्धारण करने की शक्ति प्रदान की गई है।

52.1 एक पंजीकृत व्यापारी ने वर्ष 1986-87 की निर्धारित विवरणियां प्रस्तुत नहीं की थी। निर्धारण प्राधिकारी ने अपनी सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार एक पक्षीय रूप से व्यापारी का उस वर्ष का निर्धारण उसके पूर्ववर्ष 1985-86 में निर्धारित टर्नओवर पर 10 प्रतिशत वृद्धि पर आधारित 52 लाख रुपये (सात प्रतिशत की दर पर कर योग्य) निर्धारित किया। वर्ष 1985-86 का टर्नओवर भी सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार एकपक्षीय रूप से लेखा पुस्तिकाओं के अभाव में उसके द्वारा फाइल की गई विवरणियों में घोषित टर्नओवर पर 10 प्रतिशत की वृद्धि के आधार पर 47.48 लाख रुपये (10 प्रतिशत की दर पर कर योग्य) निर्धारित किया गया। तथापि, प्रस्तुत एस टी-2 प्रपत्र के उपयोगिता लेखे से लेखापरीक्षा में यह देखा गया था (अगस्त 1991) कि व्यापारी ने वर्ष 1985-86 के दौरान अन्य पंजीकृत व्यापारियों से 211.22 लाख रुपये मूल्य की वस्तुएं घोषणा पत्र देकर कर का भुगतान किए बिना खरीदी थी।

जैसा कि लेखापरीक्षा में इंगित किया गया (अगस्त 1991), व्यापारी द्वारा की गई खरीदों को लेखे में लेते हुए सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर व्यापारी का वर्ष 1985-86 के 232.34 लाख रुपये के टर्नओवर तथा वर्ष 1986-87 के 256.57 लाख रुपये के टर्नओवर पर पुनर्निर्धारण किया

गया तथा 205.78 लाख रुपये (वर्ष 1985-86 के लिए 99.22 लाख रुपये तथा वर्ष 1986-87 के लिए 106.56 लाख रुपये) की अतिरिक्त मांग की गई थी (सितम्बर 1991)। वसूली से संबंधित आगे की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 1992)।

52.2 दिल्ली में वर्ष 1985-86 के लिए प्लास्टिक पाइपों के व्यापार में लगे एक व्यापारी का एकपक्षीय निर्धारण को अंतिम रूप देने समय सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर उसका टर्नओवर 55 लाख रुपये नियत किया गया था (मार्च 1990) क्योंकि उसने न तो चौथी तिमाही की त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत की और न ही कई नौटिसों के जारी होने के बावजूद उसने अभिलेख प्रस्तुत किए थे। व्यापारी द्वारा प्रस्तुत एस टी-2 प्रपत्र में उपयोगिता लेख से लेखापरीक्षा में यह देखा गया था (मार्च 1991) कि वास्तव में व्यापारी ने अन्य पंजीकृत व्यापारियों से घोषणापत्र देकर 117.47 लाख रुपये मूल्य की वस्तुएं कर का भुगतान किए बिना खरीदी थी।

लेखापरीक्षा में संकेत किए जाने पर (मार्च 1991) निर्धारण प्राधिकारी ने सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर व्यापारी का 140.96 लाख रुपये के टर्नओवर पर कर का पुनर्निर्धारण करके 13.43 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग की (जुलाई 1991)। मांग की वसूली से संबंधित रिपोर्ट प्रतीक्षित है (जनवरी 1992)।

उपर्युक्त मामले अगस्त 1991 तथा अक्टूबर 1991 के बीच गृह मंत्रालय को सूचित कर दिए गए थे; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1992)।

53. पंजीकरण प्रमाण पत्र में अनियमित प्राधिकार देने के कारण हानि

दिल्ली बिक्री कर अधिनियम 1975 के उपबंधों के अंतर्गत एक पंजीकृत व्यापारी से कर का भुगतान किए बिना वस्तुएं खरीद सकता है, यदि वह वस्तुएं, जिसकी बिक्री दिल्ली में कर योग्य है, के विनिर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग करने के लिए अभिप्रेत हो। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए इस प्रकार की मदों की विभाग द्वारा उस उद्देश्य, जिसके लिए व्यापारी द्वारा उनका उपयोग किया जाएगा, का उल्लेख करते हुए व्यापारी के पंजीकरण प्रमाण पत्र में अनुमति दी जाती है।

दिल्ली में स्टेनलैस स्टील प्लेट के व्यापार में लगे एक पंजीकृत व्यापारी ने वर्ष 1984-85 के दौरान एस टी-1 प्रपत्र में निर्धारित घोषणा देते हुए 11.46 लाख रुपये मूल्य के कर मुक्त ग्राइंडिंग व्हील खरीदे। विभाग द्वारा व्यापारी को उसके पंजीकरण प्रमाणपत्र में अनुमत किए गए ग्राइंडिंग व्हीलों का किसी तैयार उत्पाद के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रत्यक्ष रूप से

उपयोग नहीं किया गया था तथा मूल्य हास परिसम्पति होने के कारण उसको पंजीकरण प्रमाणपत्र में विनिर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता। विभाग द्वारा व्यापारी को ग्राइडिंग व्हीलों की कर मुक्त खरीद की अनुमति देने में गलती करने के परिणामस्वरूप 80,190 रुपये की हानि हुई जिसका अन्यथा इस प्रकार की खरीदें करते समय व्यापारी द्वारा भुगतान किया जाता है।

आगे व्यापारी ने क्रेता व्यापारियों से प्राप्त निर्धारित प्रपत्र (एस टी-1) में घोषणाएं प्रस्तुत करके अन्य पंजीकृत व्यापारियों को की गई बिक्री के प्रति 41.30 लाख रुपये की कटौती का दावा किया था। मार्च 1989 में निर्धारण को अंतिम रूप देते समय निर्धारण प्राधिकारी ने सत्यापन करने पर बिक्री को अस्वीकृत कर दिया तथा कर लगाया लेकिन 10.33 लाख रुपये से अनाधिक अर्थदण्ड तथा 2.83 लाख रुपये की राशि (मार्च 1989 तक) के ब्याज का उद्ग्रहण करने में असफल रहे।

लेखापरीक्षा में (जुलाई 1989) विभाग को इस चूक के बारे में इंगित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1992)।

उपर्युक्त मामले सितम्बर 1991 में गृह मंत्रालय को सूचित किए गए थे; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1992)।

54. कर योग्य टर्नओवर से अनियमित कटौती का दिया जाना

दिल्ली बिक्री कर अधिनियम 1975 के उपबंधों के अंतर्गत व्यापारी का कर योग्य टर्नओवर से कटौती की अनुमति दी जाती है यदि बिक्री किये गए माल पर देय कर की बिक्री कर आयुक्त की संतुष्टि के अनुसार अदा किया गया दिखाया जाए। वहीं अधिनियम के अनुसार कर मुक्त घोषित वस्तुओं की बिक्री, वहीं अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत न कर योग्य घोषित बिक्रियों तथा व्यापारी के पंजीकरण प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट वस्तुओं का पंजीकृत व्यापारियों को दिल्ली में या अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्यिक की दिशा या भारत के बाहर निर्यात की दिशा में बिक्री के लिए वस्तुओं के विनिर्माण में उसके द्वारा कच्चे माल के रूप में उपयोग करने के लिए अभिप्रेत होने की वजह से की गई बिक्रियां कर लगाने योग्य नहीं हैं।

गन्नी बैगों के व्यापार में लगे एक पंजीकृत व्यापारी ने अपनी सकल टर्नओवर (1984-85) से 18.26 लाख रुपये की कटौती का दावा किया जो अनुमत किया गया जिसके समर्थन में उसने 11 एफ फार्म प्रस्तुत किए। निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कटौती की व्यापारी के शपथपत्र में शपथ के इस कथन के आधार पर अनुमति दी गई थी कि फेरीवालों से वस्तुएं बिक्री कर का भुगतान करने के बाद खरीदी गई थी जिसके लिए कर का भुगतान करने का कोई प्रमाण सरकारी लेखे में नहीं दिया गया था। चूंकि फेरीवाले अपंजीकृत व्यापारी हैं इसलिए दि वि क अधिनियम की धारा 22

के अंतर्गत कर वसूल नहीं कर सकते हैं। व्यापारी की सकल टर्नओवर से इन वस्तुओं के प्रति कटौती (कर का भुगतान करने का कोई प्रमाण प्रस्तुत किए बिना अपंजीकृत व्यापारियों से खरीदी गई वस्तुओं से अभिप्राय) सही नहीं थी तथा परिणामतः 1.28 लाख रुपये की राशि के कर की वसूली नहीं हुई।

लेखापरीक्षा (मार्च 1990) में इंगित की गई आपत्ति विभाग को (सितम्बर 1990) एक अनुस्मारक द्वारा सूचित की गई थी; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1992)।

उपर्युक्त मामले अक्टूबर 1991 में गृह मंत्रालय को सूचित किए गए थे; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1992)।

55. कर की गलत दर के लागू होने के कारण अल्प वसूली

दिल्ली बिक्री कर अधिनियम, 1975 के उपबंधों तथा उसके अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं के साथ पठित "सैनेटरी वस्तुओं" की बिक्री पर कर रूप में दस पैसे की दर से उद्ग्राह्य है।

दिल्ली में वर्ष 1985-86 के लिए सैनेटरी वस्तुओं के व्यापार में लगे एक पंजीकृत व्यापारी का एकपक्षीय निर्धारण करते समय निर्धारण प्राधिकारी ने उसकी टर्नओवर 8.56 लाख रुपये पर निर्धारित की तथा समस्त टर्नओवर पर अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित 10 प्रतिशत की दर की बजाए 7 प्रतिशत की दर से कर लगाया।

लेखापरीक्षा में (अगस्त 1990) गलती की ओर ध्यान दिलाए जाने पर विभाग ने व्यापारी का पुनर्निर्धारण किया (अगस्त 1990) तथा 31,546 रुपये (ब्याज सहित) की अतिरिक्त मांग की। वसूली की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 1992)।

उपर्युक्त मामला अगस्त 1991 में गृह मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1992)।

परिवहन तथा पर्यटन निदेशालय

56. 15 वर्षों के बाद पंजीकरण के नवीकरण में विलम्ब के कारण राजस्व में हानि

मोटर वाहन अधिनियम 1988 के उपबंधों के अंतर्गत परिवहन वाहन के अलावा मोटर वाहन के संबंध में उक्त अधिनियम के आरंभ होने से पहले या बाद में जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र अधिनियम

में निहित उपबंधों की शर्तों पर इस प्रकार के प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि से केवल पंद्रह वर्षों की अवधि के लिए वैध होंगे तथा उसके बाद नवीकरण करने योग्य होंगे।

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान (मई 1990) यह देखा गया था कि 1973 के अंत तक कुल 75,680 कारें तथा 1,50,670 स्कूटर पंजीकृत हुए जिसके लिए 1988-89 के दौरान निर्धारित दर पर पुनः पंजीकरण शुल्क अदा किया जाना अपेक्षित था। उन वाहनों जिनके लिए अन्य राज्यों (जहां वाहन स्थानान्तरित किए गए थे) को अनापति प्रमाणपत्र जारी किए गए थे, की संख्या 75,645 कारें तथा 1,50,660 स्कूटर थे। विभाग को देय 100 रुपये प्रतिकार तथा 30 रुपये प्रति स्कूटर की दर पर परिकलित पुनः शुल्क की राशि 120.84 लाख रुपये परिकलित की गई जिसके विस्तृत ब्यौरे अनुबंध "क" में दिए गए हैं।

इसके प्रति विभाग वर्ष 1988-89 के दौरान पुनः पंजीकरण शुल्क के रूप में केवल 0.44 लाख रुपये ही वसूल कर सका। इस प्रकार 1988-89 से 120.4 लाख रुपये का पर्याप्त शेष बिना वसूल किए रहा।

मामला परिवहन आयुक्त को अगस्त 1991 में सूचित किया गया था; विभाग से प्राप्त (नवम्बर 1991) उत्तर लेखापरीक्षा आपति से संबंधित नहीं था। अतः मामला पुनः विभाग को भेजा गया था (नवम्बर 1991)। आगे की प्रागति अभी तक प्रतीक्षित है (जनवरी 1992)।

उपर्युक्त मामला सितम्बर 1991 में गृह मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1992)।

57. परमिट शुल्क के गलत नियतन के कारण राजस्व की हानि

दिल्ली मोटर वाहन नियम 1959 के उपबंधों के अंतर्गत समय समय पर यथासंशोधित परमिट शुल्क एक समय में चार माह की अवधि के लिए अस्थायी परमिट का नवीकरण जारी करने के लिए वसूल किया जाने वाला परमिट शुल्क 200 रुपये था। तथापि चार माह से कम की अवधि के लिए अस्थायी परमिट जारी करने का निर्धारित शुल्क पांच रुपए प्रतिदिन था।

तथापि, लेखापरीक्षा में (मई 1990) परिवहन निदेशालय के अभिलेख की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि वर्ष 1988-89 के दौरान 564 मामलों में 15 दिनों या एक माह या दो माह की अवधि के लिए अस्थायी परमिट जारी किए गए थे तथा प्रत्येक परमिट के लिए 5 रुपये प्रतिदिन की बजाए 15 दिनों एक माह तथा दो माह की अवधि के लिए क्रमशः 25 रुपये, 50 रुपये तथा 100 रुपये की दर से परामर्श शुल्क प्रभारित किया गया था। चूंकि नियमों में चार माह से कम की अवधियों के लिए मासिक दर पर अस्थायी परमितों के लिए शुल्क प्रभारित करने की व्यवस्था नहीं है, निदेशालय द्वारा अपनायी

गई पद्धति न केवल अनियमित थी बल्कि इसके परिणामस्वरूप 61,850 रुपये के राजस्व की हानि भी हुई।

मई 1990 में विभाग को चूक के बारे में संकेत किया गया था। विभाग ने नवम्बर 1991 में सूचित किया कि 54,600 रुपये की राशि पहले ही वसूल की जा चुकी थी। शेष राशि की वसूली से संबंधित रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 1992)।

उपर्युक्त मामला सितम्बर 1991 में गृह मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1992)।

धीरेन्द्र स्वरूप

(धीरेन्द्र स्वरूप)

नई दिल्ली :

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा-II

दिनांक : 3 अप्रैल 1992

केन्द्रीय राजस्व

प्रतिहस्ताक्षरित

सि. जि. सोमैया

(सि. जि. सोमैया)

नई दिल्ली :

भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक

दिनांक : 3 अप्रैल 1992

परिशिष्ट-1

(पैराग्राफ 3.6.1 की ओर देखें)

वर्ष 1985-90 के दौरान (प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को) पंजीकृत मामलों का निपटान

वर्ष	सूचित किए गए	रद्द किए गए	प्रविष्ट किए गए	परिकलित किए गए	चुनौती दिए गए	दण्डित	अभिमुक्त	जांच लंबित	जांच लंबित	लापता (4-6-10)	मामलों की प्रतिशतता (कॉलम 11 से कॉलम 4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

भा द सं के अंतर्गत

1985	30410	1645	28765	12823	12796	2450	2114	8232	13	15956	55.5
1986	29828	1473	28355	14541	14474	2377	1569	10528	21	13860	48.9
1987	25832	1446	24386	13356	13142	1852	1099	10191	80	11164	45.8
1988	28017	1369	26648	14508	14338	1533	661	12144	220	12090	45.3
1989	30523	1465	29058	15908	15137	961	238	13938	467	12454	42.8
1990	31847	1376	30471	16497	14883	779	112	13992	2972	12616	41.4

स्थानीय तथा विशेष नियमों के अंतर्गत

1985	7799	32	7767	7680	7680	2801	1138	3741	3	84	1.08
1986	7693	75	7618	7487	7485	2352	1067	4066	13	120	1.60
1987	6768	102	6666	6483	6470	2123	444	3903	13	183	2.70
1988	6426	88	6338	6273	6250	2466	326	3458	15	73	1.10
1989	7726	35	7691	7575	7359	2381	130	4848	252	80	1.03
1990	9398	29	9369	9238	8110	2863	133	5114	1192	67	0.70

परिशिष्ट-॥

(पैराग्राफ 3.6.2 की ओर देखिए)

महिलाओं के प्रति अपराध

	1985	1986	1987	1988	1989	1990
दर्ज मामलों की संख्या						
(क)	2163	3108	3899	4923	6164	6182
मामलों के प्रकार						
महिलाओं से छेड़छाड़	95	112	95	130	159	177
बलात्कार	89	92	104	127	161	185
दहेज के कारण मौतें	43	64	79	103	109	120
दहेज से संबंधित मामले						
(भा द सं की धारा 406						
के अंतर्गत)	54	95	210	390	268	226
पति या ससुराल वालों द्वारा						
अत्याचार	169	266	344	349	336	341
मामले जिनमें स्त्री धन पुनः						
आरंभ किया गया था	-	-	456	549	586	530
(उपर्युक्त क की प्रतिशतता)			(11.6%)	(11.15%)	(9.5%)	(8.6%)
समझौतों में समाप्त होने						
वाले मामले	604	473	763	1209	1786	1437
(उपर्युक्त क से प्रतिशतता)	(27.9%)	(15.2%)	(19.5%)	(24.5%)	(28.9%)	(23.24%)
भा द सं की धारा 498-क\						
406 के अंतर्गत अभियोग के						
लिए सिफारिश किए गए						

मामले	158	359	476	675	725	563
(उपर्युक्त क से प्रतिशतता)	(7.3%)	(11.5%)	(12.2%)	(13.7%)	(11.7%)	(9.1%)
दजेज विरोधी अधिनियम						
1961 के अंतर्गत अभियोग						
के लिए सिफारिश किए						
गए मामले	16	7	10	6	4	2
(उपर्युक्त क से प्रतिशतता)	(0.7%)	(0.2%)	(0.25%)	(0.12%)	(0.06%)	(0.03%)

टिप्पणी: जनवरी 1991 में, वर्ष 1990 के अन्वेषण के लिए लम्बित मामलों की संख्या 473 थी।

परिशिष्ट-III

(पैराग्राफ 26 की ओर देखें)

बट्टे खाते डाली गई/छोड़ी गई तथा अनुग्रही भुगतानों की न वसूली योग्य राशियां तथा हानियां:

अट्ठारह मामलों में 1990-91 के दौरान अन्य कारणों के कारण हानियों को निरूपित करने वाली 0.068 लाख रुपये की राशि को बट्टे खाते डाला गया था तथा पांच मामलों में 0.94 लाख रुपये राशि के अनुग्रहपूर्वक भुगतान किए गए थे, जिसके विस्तृत ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

विभाग	अन्य कारणों के कारण		अनुग्रहपूर्वक भुगतान	
	मामलों की संख्या	राशि (लाख रु. में)	मामलों की संख्या	राशि (लाख रु. में)
पुलिस आयुक्त का कार्यालय	-	-	5	0.94
दिल्ली उच्च न्यायालय कार्यालय, मुख्य अभियंता, दिल्ली प्रशासन जोन-1	16	0.044	-	-
जोड़	18	0.068	5	0.94

अनुबंध-क

(पैराग्राफ 56 की ओर देखें)

मोटरसाईकिल/स्कूटर कार

1973-74 के दौरान पंजीकृत वाहनों की कुल संख्या	1,50,670	75,680
जो 1988-89 में पुनः पंजीकरण के लिए नियत थे		
घटाएं जारी किए गए अनापत्ति प्रमाणपत्र	10	35
1988-89 के दौरान चालू वाहन का शेष जिसका पुनः		
पंजीकरण अपेक्षित था	1,50,660	75,645
वास्तविक पुनः पंजीकरण	445	889
प्रति वाहन पुनः पंजीकरण शुल्क की दर	30 रुपये	100 रुपये
पुनः पंजीकरण से प्राप्ति योग्य कुल राशि		
(1,50,660X30)+		
(75,645X100)	1,20,84,300 रुपये	
पुनः पंजीकरण की वास्तविक राशि		
पुनः पंजीकरण सैल द्वारा भेजी गई सूचना के		
अनुसार शुल्क	44,633 रुपये	
बकाया शेष राशि	1,20,39,667 रुपये	

शुद्धि पत्र

पृष्ठ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
(ix)	12 (नीचे से)	शिक्षाख	शिक्षा,
10	अंतिम लाइन के नीचे जोड़ें	-	सहकारी कम्पनियों, सहकारी बैंकों तथा समितियों में किए गए निवेश नीचे दिए गए हैं:
20	1	दी जा	दी
43	1	निदेशालय	निदेशालय
45	9	देखभारत	देखभाल
49	6	5.30 प्रति	5.30 रु प्रति
75	5	तर्क	तर्क
75	8	03	63

